PERFECT 7

FORTNIGHTLY CURRENT AFFAIRS

अगस्त 2022 / Issue-1

यूपीएससी और राज्य आधारित पीसीएस परीक्षाओं के लिए उपयोगी

मुख्य परीक्षा विशेष

राजव्यवस्था, संविधान, शासन
अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सामाजिक न्याय

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बड़ी उम्मीदें
- चीन का बैंकिंग संकट
- दलबदल विरोधी कानून की वैधता और स्पीकर की भूमिका
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स के लिए नए वैश्विक मानक
- भारत की न्याय वितरण प्रणाली में सुधार
- आर्थिक विकास योजना में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं
- पनडुब्बी

dhyeyaias.com

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

COMPREHENSIVE UP-PCS MAIN TEST SERIES 2022

TOTAL TEST 06

FULL LENGTH GS 04

GENERAL HINDI 01

ESSAY 01

KNOCKOUT PHASE

STARTING FROM

14th AUGUST 2022

OFFLINE & ONLINE

DHYEYA EDGE

- ☑ Time bound (12 Days) evaluation by experts close to real evaluators of UPPSC.
- ☑ Personalised interactive discussion by subject experts on one-on-one basis through online mode.
- ☑ Bilingual Model answer of each question would be provided after the test.
- ☑ To develop the understanding of current UPPSC pattern and coverage of entire syllabus.
- ☑ To develop Answer-Writing Skills among candidates.

Fee Structure :

Offline - Rs. 3500/- (Including GST)

Online - Rs. 3000/- (Including GST)

Dhyeya Student :

Offline - Rs. 2500/- (Including GST)

Online - Rs. 2000/- (Including GST)

FACE TO FACE CENTRES

Delhi (Mukherjee Nagar) Ph: 9289580074 / 75 | Delhi (Laxmi Nagar) Ph: 9205212500 / 9205962002 | Greater Noida Ph: 9205336037 / 38 | Prayagraj Ph: 0532-2260189/8853467068 | Lucknow (Aliganj) Ph: 0522-4025825/9506256789 | Lucknow (Gomti Nagar) Ph: 7234000501/ 7234000502 | Lucknow (Alambagh) Ph: 7518373333/7518573333 | Kanpur Ph: 7887003962/7897003962 | Gorakhpur Ph: 0551-2200385/7080847474

Visit Website

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

20 वर्षों का भरोसा

सफलता ही हमारी परम्परा!

IAS, PCS, PCS-J

(Hindi & English Medium)

Visit Website

Delhi (Mukherjee Nagar) : Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar Ph: **9289580074/75** • Delhi (Laxmi Nagar) : 1/53, Lalita Park, Near Gurudwara, Laxmi Nagar Ph: **9205212500/9205962002** • Greater Noida : Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt, Greater Noida Ph: **9205336037/38** • Prayagraj : SP Marg, Civil Lines, Prayagraj Ph: **0532-2260189/8853467068** • Lucknow (Aliganj) : A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow Ph: **9506256789/7570009002** • Lucknow (Gomti Nagar) : Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Gomti Nagar, Lucknow Ph: **7234000501/ 7234000502** • Lucknow (Alambagh) : Opposite Phoenix Mall Gate No. 3, L.D.A Colony, Alambagh Lucknow Ph: **7518373333/7518573333** • Kanpur : 113/154 Swaroop Nagar, Kanpur Ph: **7887003962/7897003962** • Gorakhpur : Narayan Tower, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Ph: **0551-2200385/7080847474**

Director's Message

Mr. Vinay Kumar Singh

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

Yours very truly,

Vinay Kumar Singh
CEO and Founder

Mr Q H Khan

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहां छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Yours very truly,

Q H Khan
Managing Director

प्रस्तावना

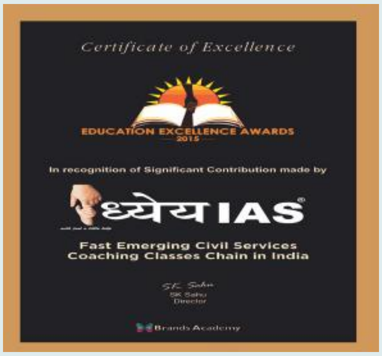

समसामयिक मुद्दे अथवा करेंट अफेयर्स संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर प्रासंगिक सूचनाओं से जुड़ाव होना अभ्यर्थियों के लिए काफी जरूरी समझा गया है और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए परफेक्ट 7 मैगजीन को विद्यार्थी जगत के समक्ष माह में दो बार रखा जा रहा है. आईएस और पीसीएस की तैयारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू स्तर की गतिशील प्रकृति के तथ्यों और विश्लेषणों को आप सभी तक समावेशी रूप में रखा जाय. परफेक्ट 7 मैगजीन इसी विजन और दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है और विद्यार्थियों की कंटेंट के स्तर पर बहुआयामी जरूरतों को समझती है. इसीलिए इस मैगजीन को करेंट अफेयर्स के साथ साथ सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण खंडों से जुड़े अति प्रासंगिक कंटेंट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है. एक तरफ जहां करेंट अफेयर्स के स्तर पर सबसे पहले मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 ज्वलंत विषयों पर समसामयिक लेखों को, पेपर 4 के लिए एथिक्स की केस स्टडीज को, स्वतंत्रता आंदोलन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तित्वों के जीवन और भूमिक. ाओं, सामान्य अध्ययन के विविध खंडों के सर्वाधिक उपयोगी विषयों पर मुख्य परीक्षा के स्तर पर कवरेज दिया जा रहा है, वहीं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर एक माह के 14 सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के मुद्दों को कवर किया जा रहा है जिसमें सर्वाधिक जोर पर्यावरण पारिस्थितिकी, कला और संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी , अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर है. शब्दावली और अन्य आयामों एक छोटा खंड भी परफेक्ट 7 मैगजीन का पार्ट होगा.

विद्यार्थियों की संकल्पना के स्तर पर समझ को बढ़ाने के लिए ब्रेन बूस्टर्स को 7 ग्राफिक्स के जरिये विषय को संक्षेप और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है. इसके अलावा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रमुखता से पूछे जाने वाले ग्लोबल इनिशिएटिव्स, वैश्विक संस्थाओं, संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली, महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स, सूचकांकों पर अपडेटेड जानकारी इस पत्रिका में शामिल रहेगी. इस मैगजीन को केवल तथ्यों या केवल एनालिसिस पर जोर देते हुए नही बनाया गया है बल्कि इस मैगजीन का विजन यह है कि सिविल सेवा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उभरते हुए ट्रेंड्स और प्रश्नों की नई प्रकृति को देखते हुए हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को एक ऐसी समावेशी मैगजीन उपलब्ध कराई जाए जिससे वे सिविल सेवा एग्जाम की नई जरूरतों को समझते हुए अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें. हमें उम्मीद हैं कि परफेक्ट 7 अपने नए रूप में आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा और इसके साथ ही आप सभी के सुझावों का स्वागत रहेगा.

विनय कुमार सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

PERFECT 7
FORTNIGHTLY CURRENT AFFAIRS

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PERFECT 7 TEAM

सपादक	:	विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	:	क्यू. एच. खान
सहसंपादक	:	आशुतोष मिश्र
	:	सौरभ चक्रवर्ती
उप-संपादक	:	अमन कुमार
प्रकाशन प्रबंधन	:	डॉ.एस.एम. खालिद
संपादकीय सहयोग	:	प्रशान्त सिंह
	:	सन्तोष सिंह
	:	हरि ओम पाण्डेय
	:	शिव वरदान
	:	भानू प्रताप
	:	गौरव चौधरी
	:	देवेन्द्र सिंह
	:	लोकेश शुक्ला, प्रिंस
मुख्य लेखक	:	विवेक ओझा
मुख्य समीक्षक	:	ए.के. श्रीवास्तव
	:	विनीत अनुराग
	:	बाघेन्द्र सिंह
आवरण सज्जा	:	अरूण मिश्रा
एवं विकास	:	पुनीष जैन
टंकण	:	सचिन, तरून
कार्यालय सहायक	:	राजू, चन्दन, अरूण

जनसत्ता, दैनिक जागरण, डाउन टू अर्थ,
इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीक्ली, योजना,
कुरुक्षेत्र, द प्रिंट

विषय सूची

समसामयिकी लेख 1-17
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बड़ी उम्मीदें
- चीन का बैंकिंग संकट
- दलबदल विरोधी कानून की वैधता और स्पीकर की भूमिका
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स के लिए नए वैश्विक मानक
- भारत की न्याय वितरण प्रणाली में सुधार
- आर्थिक विकास योजना में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं
- पनडुब्बी

संक्षिप्त मुद्दे राष्ट्रीय 18-22
संक्षिप्त मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय 22-23
संक्षिप्त मुद्दे पर्यावरण 24-28
संक्षिप्त मुद्दे विज्ञान एवं तकनीक 29-31
संक्षिप्तमुद्देआर्थिक 32-33
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्वपूर्ण खबरें 34-37
समसामयिक घटनाएं एक नजर में 38
ब्रेन-बूस्टर 39-45
मुख्य परीक्षा विशेष 46-60
समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न 61-62
व्यक्ति विशेष 63

DHYEYA EDUCATIONAL SERVICES PVT. LTD.
AN ISO 9001:2008 COMPANY

Face to Face Centres

MUKHERJEE NAGAR	: 9205274741, 9205274742
RAJENDRA NAGAR	: 9205274743
LAXMI NAGAR	: 9205212500, 9205962002
ALLAHABAD	: 0532-2260189, 8853467068
LUCKNOW (ALIGANJ)	: 0522-4025825, 9506256789
LUCKNOW (GOMTINAGAR)	: 7234000501, 7234000502
GREATER NOIDA	: 9205336037, 9205336038
KANPUR	: 7887003962, 7897003962
BHUBANESWAR	: 8599071555
SRINAGAR (J&K)	: 9205962002

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

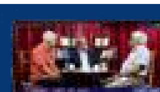

DHYEYA TV
Current affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
Ex. Editor RSTV) & by Dhyeya Team
Broadcasted on YouTube & Dhyeya TV

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बड़ी उम्मीदें

चर्चा में क्यों?

- द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार, 25 जुलाई को संसद के सेंट्रल हॉल में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। मुर्मू को भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। शपथ लेने के तुरंत बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि लोगों का विश्वास और समर्थन उनकी सबसे बड़ी ताकत है।
- वह अपने विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के 35.97% के मुकाबले 64.03% इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल करके भारत की राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाने वाली पहली आदिवासी महिला बनीं।
- 64 वर्षीय मुर्मू ने 540 सांसदों सहित कुल 2,824 मतदाताओं के वोट हासिल किए, जबकि सिन्हा ने 208 सांसदों सहित 1,877 मतदाताओं का समर्थन प्राप्त किया ।

भारत के राष्ट्रपति : चुनाव

- राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं तथा राष्ट्रपति को आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से चुना जाता है। इस प्रणाली के द्वारा राज्य के बीच एकरूपता को सुरक्षित करने के लिए, तथा सभी राज्यों और संघ के बीच समानता को प्रत्येक वोट के लिए उपयुक्त महत्व दिया जाता है।
- राष्ट्रपति को भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण होना चाहिए, और लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए।
- उनका कार्यकाल पांच साल का होता है और वह फिर से चुनाव के लिए पात्र होते हैं।

महाभियोग

- उनका पद से निष्कासन संविधान के अनुच्छेद 61 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।
- वह उपराष्ट्रपति को संबोधित कर, अपने पद से इस्तीफा दे सकता है ।

शक्तियां और कर्तव्य

- संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है ।
- राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है ।
- राष्ट्रपति संसद को आहूत करने, सत्रावसान, अभिभाषण, संदेश आदि भेजता है।
- वह मत्रिमंडल के सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है ।
- किसी भी समय अध्यादेश जारी कर सकता है, सिवाय तब जबकि संसद सत्र चल रहा हो ।
- वित्तीय और धन विधेयकों को पेश करने के लिए सिफारिशें करता है और कुछ मामलों में विधेयकों को मंजूरी देता है ।
- सजा के सन्दर्भ में माफी, राहत, या सजा को कम या निलंबित कर सकता है।
- जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो वह उस राज्य की सरकार के सभी या किसी भी कार्य को अपने हाथ में ले सकता है।
- राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं यदि वह संतुष्ट हैं कि एक गंभीर आपातकाल मौजूद है, जिससे भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की सुरक्षा को खतरा है, चाहे वह युद्ध या बाहरी आक्रामकता या सशस्त्र विद्रोह से हो।
- राष्ट्रपति पांचवीं अनुसूची के अन्तर्गत व्याप्त प्रावधान का रक्षक है। राष्ट्रपति अधिकांश जनजातीय आबादी वाले किसी भी क्षेत्र को पाँचवीं अनुसूची मे शामिल कर सकता है।

द्रौपदी मुर्मू के बारे में

- द्रौपदी मुर्मू भारत की 15 वीं और वर्तमान राष्ट्रपति हैं।
- वह ओडिशा की पूर्व कैबिनेट मंत्री और झारखंड की पूर्व राज्यपाल भी रही हैं।
- ओडिशा के आदिवासी जिले मयूरभंज के एक दूरदराज के गांव में स्थित साधारण परिवार में जन्मी मुर्मू ने ओडिशा राज्य सिंचाई विभाग में सहायक शिक्षक और कनिष्ठ सहायक के रूप में काम किया है।
- श्रीमती मुर्मू ने 1997 में भाजपा के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, रायरंगपुर में पार्षद के रूप में काम किया।
- उन्होंने भाजपा के टिकट पर ओडिशा राज्य विधानसभा के लिए दो बार चुने जाने से पहले भाजपा ओडिशा इकाई की अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। उन्होने नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजद-भाजपा गठबंधन सरकार में 2002-2004 के दौरान कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया। जहाँ उन्हें

सर्वश्रेष्ठ विधायी सदस्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

- हालांकि उनका व्यक्तिगत जीवन संघर्ष और त्रासदी से भरा रहा। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में शिखर को छुआ और राजनीतिक-सामाजिक सेवाओं में सराहनीय कार्य किया।
- श्रीमती मुर्मू ने इतिहास रचा है क्योंकि वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनीं, साथ ही उन्हें एक आदिवासी राज्य की पहली आदिवासी राज्यपाल बनने और ओडिशा में जन्मी पहली महिला राज्यपाल बनने का भी गौरव प्राप्त है।

उनके निर्वाचन पर आलोचनात्मक प्रतिक्रियाए

- इस महत्वपूर्ण पद के लिए मुर्मू के नाम ने भारत के आदिवासी लोगों से मिश्रित प्रतिक्रिया प्राप्त की है। कुछ खुश हैं, लेकिन कुछ ने संदेह व्यक्त किया है। वे बताते हैं कि राज्यपाल के रूप में, उन्होंने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 में प्रस्तावित संशोधनों पर रोक लगा दी थी, लेकिन झारखंड के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन के लिए आगे नहीं आ रही थीं।

महत्वपूर्ण मुद्देः उम्मीदें

- हाल ही में, देश अपने लोकतांत्रिक ताने-बाने पर नियमित रूप से हमले देख रहा है। इसके अलावा, जनजातीय समुदायों को सरकार की विकास और निजीकरण नीति का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
- वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 जैसे विभिन्न अधिनियमों में संशोधन, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों को दरकिनार करने का एक सीधा प्रयास है।
- यह आदिवासी समुदाय को हाशिए और गरीबी के गर्त में धकेलने के लिए किया जा रहा है। 1996 में पेसा (पीईएसए) के अधिनियमन के बाद से, 10 में से चार राज्यों, अर्थात् छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा, ने अभी तक पेसा के लिए नियम नहीं बनाए हैं।
- पीईएसए का कार्यान्वयन उन राज्यों में संदिग्ध है जिन्होंने नियम बनाए हैं।

अनुसूचित क्षेत्रों का शहरीकरण

- संविधान की पांचवीं अनुसूची आदिवासी बहुल क्षेत्रों में गांवों और कस्बों के प्रशासन के लिए पंचायती राज अधिनियम और नगरपालिका अधिनियम से अलग कानूनों को अनिवार्य करती है।
- संसद ने ग्रामीण जनजातीय क्षेत्रों के लिए 1996 में पेसा अधिनियमित किया। तथापि, शहरी जनजातीय क्षेत्रों के लिए इसी प्रकार का विधान - अनुसूचित क्षेत्रों के लिए नगरपालिका विस्तार (एमईएसए), 2001 विधेयक - अधिनियमित नहीं किया गया था।
- डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि कम से कम 181 नगरपालिकाएं सात राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में असंवैधानिक रूप से काम कर रही हैं। शहरी क्षेत्रों को बिना कानूनी आधार के विस्तारित करने से अनुसूचित क्षेत्रों में शासन संकट पैदा हो गया है और जनजातीय लोगों के पारंपरिक अधिकारों को कमजोर किया गया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि द्रौपदी मुर्मू इस मुद्दे को कैसे सुलझाती हैं?

एससी और एसटी के खिलाफ किये जा रहे अपराध

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा 2020 के लिए नवीनतम रिपोर्ट से पता चलता है कि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को 2020 के दौरान उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है।
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों में 2019 की तुलना में क्रमशः9.4 प्रतिशत और 9.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

भूमि अलगाव

- वनों और सामुदायिक संसाधनों पर पहुंच और नियंत्रण की हानि, विकास परियोजनाओं के कारण जबरन बेदखली और उचित पुनर्वास और ऋणग्रस्तता की कमी।
- अध्ययनों के अनुसार, 50 से अधिक वर्षों से 'विकास' परियोजनाओं के कारण भारत में 50 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। विस्थापितों में से लगभग आधे बांधों, खानों और औद्योगिक विकास के कारण हुए हैं।
- आदिवासी समुदाय, विस्थापितों का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा हैं तथा सबसे बुरी तरह प्रभावित हैं। द्रौपदी मुर्मू से यह उम्मीद की जाती है कि वह इस गंभीर स्थिति पर तत्काल गौर करेंगी और अपने अच्छे कार्यों के माध्यम से समुदाय के विस्थापन के दर्द को कम करेंगी।

आगे की राह

- अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति द्रौपदी मुर्मू की ओर उम्मीद से देख रहा है। उसे उम्मीद है कि उनके खिलाफ अत्याचार कम हो जाएगा। वे उम्मीद करते हैं कि वह आदिवासी समुदाय पर खनन और बड़े पैमाने पर विकास का बोझ कम होगा ।
- राष्ट्रपति के रूप में, उन्हें अनुसूचित जनजाति समुदाय के हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। यह उनके लिए लिटमस टेस्ट होगा। देश को उम्मीद है कि शीर्ष पद के लिए उनका चुनाव प्रतीकात्मक नहीं होगा, बल्कि अंतिम व्यक्ति के लिए कुछ विशेष परिवर्तन लायेगा ।
- राष्ट्रपति के रूप में, मुर्मू को संविधान और कानून का संरक्षण और बचाव करना है।

चीन का बैंकिंग संकट

परिचय

स्थिर विकास, बढ़ती बेरोजगारी, बंधक भुगतान (MORTGAGE PAYMENT) हड़तालों में वृद्धि, अवरुद्ध जमा धन, और चल रहे कोविड शटडाउन का एक घातक मिश्रण चीन की अर्थव्यवस्था को विनाशकारी सामाजिक और राजनीतिक परिणामों के साथ प्रभावित करने का संकेत दे रहा है।

हेनान की प्रांतीय राजधानी में, सैकड़ों जमाकर्ताओं ने पिछले हफ्ते पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना कार्यालय के सामने ग्रामीण बैंकों में जमा किये जीवन बचत की मांग करने के लिए रैली की थी। साथ ही कई अधूरे आवास-परियोजनाओं के हजारों खरीदारों ने शेष भुगतान को छोड़ देने की धमकी दी थी। यह सब उसी सप्ताह के दौरान हुआ जब सरकार ने निराशाजनक दूसरी तिमाही के आर्थिक प्रदर्शन के आंकड़े जारी किए।

मुद्दा क्या है?

एक साथ दो घटनाएं हुई हैं:

- **अप्रैल से अब तक चार बैंकों के ग्राहक अपना पैसा निकालने में असमर्थ रहे हैं। जिसके कारण मई के बाद से, समय-समय पर कई विरोध हुए हैं।**
- चीनी मीडिया ने कुल जमा धन को $ 1.5 बिलियन बताया है। इन बैंकों ने पहले अपने ग्राहकों को सूचित किया कि आंतरिक रखरखाव के कारण निकासी को निलंबित कर दिया गया है: इनमे युझोऊ शिन मिन शेंग विलेज बैंक, शंघायी हुमिन कंट्री बैंक, न्यु ओरिएण्टल बैंक ऑफ कैफेंग , और झेचेंग हुआनगहई कम्युनिटी बैंक शामिल हैं। बाद में साफ हो गया कि बैंकों में वित्तीय धोखाधड़ी की जांच चल रही है।
- पिछले कई वर्षों में, चीन के छोटे उधारदाताओं के बीच बैंक रन में वृद्धि हुई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि 2019 में कम से कम दो छोटे उधारदाताओं ने निकासी में स्पाइक देखा और पांच उधारदाताओं के पास 2020 में बैंक रन थे। इन घटनाओं में से अधिकांश को रोकने और जमाकर्ताओं को आश्वस्त करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।
- चीन में लगभग 4,000 ग्रामीण उधारदाता हैं, और विश्लेषकों ने चीनी वित्तीय संस्थानों में उपभोक्ता विश्वास की गिरावट को व्यवसायों के खराब कॉर्पोरेट शासन, अपारदर्शी स्वामित्व और सख्त कोविड नियंत्रणों के बीच आर्थिक गतिविधि में गिरावट को जिम्मेदार ठहराया है।
- चीन की बैंकिंग निगरानी संस्था चाइना बैंकिंग एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी कमीशन (सीबीआईआरसी) ने कहा कि उपभोक्ताओं को 50,000 युआन तक की जमा राशि के लिए अपना पैसा वापस मिलना शुरू हो जाएगा।
- **चीन में रियल एस्टेट डेवलपर्स ने वित्तीय चूक की एक लहर देखी है, विशेष रूप से एवरग्रांडे, जो ऋण में लगभग $ 300 बिलियन के साथ फंस गया है।**
- महत्वपूर्ण ऋण भार और वित्तीय मुद्दों के परिणामस्वरूप, कई आवासीय परियोजनाएं कई वर्षों से अधूरी रह गई हैं। इससे खरीदारों और चल रहे विरोध प्रदर्शन में काफी नाराजगी है।
- हाल ही में जारी आंकड़ों से पता चलता है कि प्रभावित बंधक (MORTGAGE) का कुल मूल्य 2 बिलियन युआन ($ 300 मिलियन) है, लेकिन कुछ विश्लेषकों का मानना है कि वास्तविक संख्या इससे काफी अधिक है।
- चीन के दूसरे सबसे बड़े डेवलपर एवरग्रांडे (Evergrande) के पिछले साल शुरू होने के बाद से, देश का रियल एस्टेट बाजार, जो आर्थिक उत्पादन में 30% तक का योगदान देता है, उथल-पुथल में है।

चीन पर इस तरह के संकट का प्रभाव

- इस साल के अंत में अपनी 20वीं पार्टी कांग्रेस की अगुवाई में, चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक खतरनाक समय है क्योंकि यह एक वर्ष में विश्वास कम होने का संकेत देता है जिसका उद्देश्य स्थिरता को प्राथमिकता देना था। बीजिंग वर्तमान में जिन भारी कठिनाइयों का सामना कर रहा है, उसका एक उदाहरण है, विभिन्न चीनी शहरों में घर के खरीदारों द्वारा अधूरी संपत्तियों पर शेष भुगतान करने से इंकार करना और साथ ही हेनान में बड़े पैमाने पर बैंक जमाकर्ताओं का विरोध करना जो सरकारी भ्रष्टाचार की निंदा कर रहे हैं।
- संपत्ति की कीमतों में दशकों से लगातार वृद्धि हुई है, जो कि एक निश्चित अचूक साधन के रूप में सेवा कर रहा है ताकि बढ़ते मध्यम वर्ग के लिए आय वृद्धि सुनिश्चित हो सके और वर्षों से चीन के अजेय विकास के प्रमुख चालक के रूप में कार्य किया जा सके। चीन की अर्थव्यवस्था का अनुमानित 30 प्रतिशत देश के रियल एस्टेट उद्योग से

आता है। हालाँकि, चीन के अधिकांश अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ आज इस बात से सहमत हैं कि बीजिंग की उधार और निर्माण आर्थिक रणनीति त्रुटिपूर्ण है और अतिरिक्त बुनियादी ढांचे में निवेश करने से स्थायी भविष्य के बजाय केवल आपदा ही हो सकती है।

- हालांकि, जैसा कि हाल ही में निराशाजनक जीडीपी आंकड़ों को देखा गया है, इस तरह के निरंतर विस्तार को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ओमीक्रोन कोरोनोवायरस Sub-type को रोकने के लिए कई शहर-व्यापी लॉकडाउन ने बहुत नुकसान पहुंचाया है।
- विश्लेषकों के अनुसार, सबसे हालिया बेरोजगारी के आंकड़े और अधिक मजबूत संकेतक हैं। सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, युवा बेरोजगारी बढ़कर 19.3% हो गई है। इसने मार्च और अप्रैल में प्रमुख चीनी शहरों में लागू किए गए पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन द्वारा तेजी प्रदान की है।
- चीन के 80 प्रतिशत घर का निर्माण पूर्व-भुगतान योजनाओं का उपयोग करके किया गया था। दूसरे शब्दों में, भले ही केंद्रीय बैंक उद्योग को बचाना चाहता परन्तु यह बंधक (MORTGAGE) दरों को कम किए बिना ऐसा नहीं कर सकता था।
- यह प्रदर्शन अभी तक के प्रणाली में घटते विश्वास का एक और संकेत है जिसने चीन को बेहद अमीर बना दिया है, लेकिन अब खतरे में प्रतीत होता है। स्थानीय सरकारों की तेजी से बिगड़ती बैलेंस शीट, जिनकी डेवलपर्स को भूमि पार्सल की बिक्री देश के स्ट्रैटोस्फेरिक विकास के लिए स्टार्टर मोटर थी, अभी चिंता का एक और कारण है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि बैंकिंग प्रणाली केंद्र सरकार की सहायता से नुकसान को अवशोषित करेगी।

वैश्विक स्तर पर इस संकट के प्रभाव

विश्व अर्थव्यवस्था के लिए तस्वीर हाल ही में खराब हो चुकी है और आईएमएफ ने चेतावनी जारी की है कि अगले 12 महीनों के भीतर दुनिया भर में मंदी की संभावना बढ़ रही है।

- यूक्रेन युद्ध के कारण लाखों लोगों के लिए रहने की लागत स्थिति खराब हो गई है।
- दुनिया भर में पैचवर्क महामारी के बाद आर्थिक सुधार चीन में आपूर्ति की कमी और लगातार कोविड लॉकडाउन के कारण बाधित हुई है।
- एक विश्वव्यापी ऊर्जा संकट शुरू हो सकता है यदि यूरोप को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बाधित होती रहती है, जिससे कई अर्थव्यवस्थाएं मंदी में चली जाएंगी।
- अन्य राष्ट्र, विशेष रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) जैसी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय विकास पहलों के माध्यम से चीन के साथ घनिष्ठ संपर्क में रहने वाले लोग, चीन में वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप पीड़ित हो सकते हैं, जिसे अधिक सटीक रूप से समग्र आर्थिक संकट के रूप में वर्णित किया गया है।
- चीनी निर्यात में मंदी से उन देशों (विशेष रूप से दक्षिण एशियाई देशों) को नुकसान होगा जो विनिर्माण घटकों और अन्य तैयार उत्पादों हेतु 'आपूर्ति मूल्य श्रृंखला' के लिए चीन पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, और इससे वैश्विक पोस्ट-महामारी आर्थिक प्रोत्साहन को गति का सामान्य नुकसान हो सकता है।

भारत पर प्रभाव

आयात:

- चीन भारत के लिए आयात का एक प्रमुख स्रोत है, जिसमें रसायन, दूरसंचार उपकरण, सक्रिय औषधीय सामग्री, स्मार्टफोन और ऑटोमोबाइल के लिए घटक शामिल हैं। इसलिए चीनी अर्थव्यवस्था के कमजोर होने का असर भारत में बुनियादी ढांचे और उपभोक्ता बाजारों पर पड़ेगा।

निर्यात:

- यदि चीन में दोहरे संकट चीनी अचल संपत्ति बाजार में एक लंबी मंदी का कारण बनते हैं, तो भारत के तेज लौह अयस्क निर्यात - जिनमें से कई चीन के लिए नियत हैं वे भी प्रभावित हो सकते हैं।

निवेश:

- एक धीमी चीनी अर्थव्यवस्था भारतीय निवेशकों को अपना पैसा निकालने का कारण बन सकती है। भारत विनिर्माण के लिए अगला प्रमुख आधार बन सकता है यदि यह आर्थिक परिवर्तनों को जल्दी से आगे बढ़ा सकता है।

निष्कर्ष:

- वैश्विक महामारी के बाद आर्थिक सुधार के लिए गति की सामान्य कमी के अलावा, धीमी चीनी अर्थव्यवस्था में परिदृश्य तेज व्यापार (Brisk Trade Front) के मोर्चे पर चिंताओं का पूर्वाभास करता है। वित्तीय प्रणाली की अस्थिरता से परेशानी का एक स्रोत उत्पन्न हो सकता है। राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने हाल ही में सामाजिक और आर्थिक सद्भाव को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है और आबादी को आश्वस्त किया है कि चीन महामारी के बाद आर्थिक सुधार के रास्ते पर है।
- आर्थिक सुधारों को लागू करने के अलावा, भारत को चीन से दूर अपने आयात में विविधता लानी होगी, वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ानी होगी और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल होना होगा।

दलबदल विरोधी कानून की वैधता और स्पीकर की भूमिका

सन्दर्भ

हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा में हुए राजनीतिक उलटफेर के कारण दल-बदल विरोधी कानून की वैधता और स्पीकर की भूमिका एक बार पुनः चर्चा में है।

परिचय

हाल ही में महाराष्ट्र की राजनीति में भारी उलटफेर देखने को मिला। शिवसेना में आपसी मतभेद के कारण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को त्यागपत्र देना पड़ा। इसके उपरांत महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट तथा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। शिवसेना के दोनों गुटों ने एक दूसरे पर दल-बदल का आरोप लगाया है। इसी स्थिति के कारण एक बार पुनः दलबदल विरोधी कानून की वैधता तथा इस सन्दर्भ में स्पीकर की भूमिका चर्चा में है।

दल-बदल विरोधी कानून के विषय में

- 1980 के दशक में भारत में लगातार बढ़ते दलबदल तथा 'आया राम गया राम' की स्थिति के कारण सरकार की स्थिरता लगातार प्रभावित हो रही थी। इस समस्या के निदान हेतु 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता (Disqualify) के बारे में प्रावधान किया गया ।
- दलबदल विरोधी कानून के सन्दर्भ में संविधान में एक नयी अनुसूची (दसवीं अनुसूची) जोड़ी गई है। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य सरकार स्थिरता को सुनिश्चित करना तथा दल-बदल के लिए सांसदों/विधायकों की खरीद-फरोख्त को रोकना था ।

प्रमुख उपबंध

दसवीं अनुसूची में दल-परिवर्तन के आधार पर सांसदों तथा विधायकों की निरर्हता के प्रावधान किए गए हैं।

किसी सदन का सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, उस सदन की सदस्यता के निरर्हक माना जाएगा-

- यदि वह स्वेच्छा से ऐसे राजनैतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है।
- यदि वह उस सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत देता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है तथा राजनीतिक दल से उसने पंद्रह दिनों के भीतर क्षमादान न पाया हो।
- यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
- यदि छह महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
- यदि कोई संसद सदस्य दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो वह अनुच्छेद 102(2) के तहत संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- इसी प्रकार यदि कोई राज्यविधायिका के सदस्य को दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो वह अनुच्छेद 191(2) के तहत विधान सभा या विधान परिषद की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- हालाँकि दल-परिवर्तन के आधार पर उपरोक्त अयोग्यता निम्नलिखित दो मामलों में लागू नहीं होती-
- यदि कोई सदस्य दल में टूट के कारण अपने दल से बाहर हो गया हो। दल में टूट तब मानी जाती है जब एक-तिहाई सदस्य मिलकर सदन में एक नये दल का गठन कर लेते हैं।
- 1985 के अधिनियम के अनुसार, एक राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्यों के एक-तिहाई सदस्यों द्वारा 'दल-बदल' को 'विलय' माना जाता था।
- लेकिन 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने इसे परिवर्तित कर दिया गया तथा यह उपबंध किया गया कि दल-बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि उसके कम-से-कम दो-तिहाई सदस्य विलय के पक्ष में हों।
- गौरतलब है कि यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी चुने जाने पर अपने दल की सदस्यता से स्वैच्छिक रूप से बाहर चला जाता है अथवा अपने कार्यकाल के बाद अपने दल की सदस्यता फिर से ग्रहण कर लेता है। यह छूट पद की मर्यादा और निष्पक्षता के लिए दी गई है।
- दलबदल के सम्बन्ध में स्पीकर को निर्णय का अधिकार है।
- प्रारम्भ में स्पीकर का निर्णय अंतिम होता था परन्तु 1992 के किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्हू (Zachilhu) वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दलबदल सम्बन्धी कानून में स्पीकर की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन रहेगी

दलबदल विरोधी कानून में स्पीकर की भूमिका

- दल-बदल विरोधी कानून में निर्णय का अंतिम अधिकार सम्बंधित सदन के स्पीकर को है। हालाँकि पद की मर्यादा और निष्पक्षता के लिए स्पीकर को दलबदल से छूट दी गई है। यदि वह स्वयं स्पीकर बनने के बाद अपने दल की सदस्यता से स्वैच्छिक रूप से बाहर चला जाता है तथा अपने कार्यकाल के बाद अपने दल की सदस्यता फिर से ग्रहण कर लेता है , तो उसपर दलबदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। हालाँकि किसी सदस्य की दलबदल से सम्बंधित निर्हर्ता का निर्णायक प्राधिकारी स्पीकर ही होता है।
- भारत के दलगत राजनीति में दलबदल से सम्बंधित मुद्दों में प्राय: स्पीकर की भूमिका संदिग्ध पायी जाती है। चूंकि अध्यक्ष/सभापति का निर्णय अंतिम होता है, तो ऐसे में यह देखा गया है कि यदि सत्तारूढ़ दल के पक्ष में दलबदल हुआ है तो अध्यक्ष/सभापति द्वारा दलबदल विरोधी कार्यवाही और निर्णय में जानबूझकर विलम्ब किया जाता है।
- कई बार स्पीकर द्वारा दलबदल विरोधी कार्यवाही करने से पहले ही राज्यपाल सदन में शक्ति परीक्षण (Floor Test) निर्देश दे देता है जिससे सरकार ही गिर जाती है। राज्यपाल का यह कृत्य स्पीकर को 10वीं अनुसूची के तहत अपने अपने कार्यों का निर्वहन करने से रोकता है।
- दल-बदल विरोधी कानून में स्पीकर की भूमिका के सन्दर्भ में उच्चतम न्यायालय ने भी अपनी टिप्पणी दी है। 1992 के किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्हू वाद में उच्चतम न्यायलय ने अभिनिर्धारित किया कि दलबदल सम्बन्धी कानून में स्पीकर की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन रहेगी । हालाँकि यहाँ सीमित न्यायिक समीक्षा देखी जाती है।
- हालाँकि उच्चतम न्यायलय ने निर्णय में विलम्ब की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया है तथा यह अभिनिर्धारित किया कि अध्यक्ष (स्पीकर) को तीन महीने में मामले पर अपना निर्णय दे देना होता है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि अगर स्पीकर अपने इस कर्तव्य में विफल होता है तो क्या कार्यवाही की जायेगी?

दलबदल विरोधी कानून को और अधिक एफिसिएंट बनाने के लिए दिए गए प्रमुख सुझाव

- दलबदल विरोधी कानून को निर्मित हुए लगभग 37 वर्ष हो गए परन्तु अभी भी यह कानून पूर्ण रूप से अपने उद्देश्यों पर खरा नहीं उतर सका है। इस सन्दर्भ में समय- समय पर विभिन्न निकायों द्वारा सुझाव दिए गए हैं । जिनका वर्णन निम्नवत है-
- चुनावी सुधार के सन्दर्भ में 1990 में निर्मित दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा था कि दल-बदल कानून के तहत प्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराने का निर्णय चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा लिया जाना चाहिये।
- इसके साथ ही इस समिति ने यह अनुशंसा की थी कि सदन के मनोनीत सदस्यों को उस स्थिति में अयोग्य ठहराया जाना चाहिये यदि वे किसी भी समय किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं।
- विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में यह अनुशंसा की गई कि चुनाव से पूर्व दो या दो से अधिक पार्टियाँ यदि गठबंधन कर चुनाव लड़ती हैं तो दल-बदल विरोधी प्रावधानों में उस गठबंधन को ही एक दल समझा जाए। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि राजनीतिक दलों को व्हिप (Whip) केवल तभी जारी करनी चाहिये, जब सरकार की स्थिरता पर खतरा हो। जैसे-दल के पक्ष में वोट न देने या किसी भी पक्ष को वोट न देने की स्थिति में अयोग्य घोषित करने का आदेश।
- दल बदल के सन्दर्भ में निर्वाचन आयोग ने अपनी भूमिका बढ़ाने की बात की थी। निर्वाचन आयोग ने यह कहा कि दल बदल विरोधी निर्णयों में आयोग के बाध्यकारी सलाह पर राष्ट्रपति/ राज्यपाल द्वारा निर्णय लेने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

निष्कर्ष

निर्वाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा 'हम भारत के लोग' अपनी सम्प्रभुता का हस्तांतरण करते हैं। अत: यह प्रक्रिया तथा इसके परिणाम में पवित्रता अनिवार्य है। इस सन्दर्भ में यह आवश्यक है कि जनादेश का अपमान करने वाली दल-बदल जैसे समस्याओ को समाप्त करने में महत्वपूर्ण प्रयास किये जाएँ।

NOTES

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स के लिए नए वैश्विक मानक

मुद्दा क्या है?

नवंबर 2021 में 193 देशों ने 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता' पर यूनेस्को में एक पथ-प्रदर्शक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इससे संबंधित नैतिक मानकों के संबंध में पहले वैश्विक मानक ढांचे की योजना बनाता है और राज्यों पर भी जिम्मेदारी डालता है कि वे इसे अपने स्तर पर लागू करें। यह समझौता एआई के उपयोग और डिजाइनिंग के संबंध में सरकारों और तकनीकी कंपनियों के लिए मार्ग निर्धारित करता है।

समझौते के उद्देश्य जो अब वैश्विक मानक निर्धारित करते हैं:

- **शक्ति संतुलन को बनाए रखना:** यह जनता और एआई बनाने वाले संगठनों तथा संस्थानों के बीच संबंधों को मौलिक रूप से बदलने का इरादा रखता है।
- यदि इन प्रौद्योगिकियों के विकास में मानव हितों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, तो असमानता उस स्तर तक बढ़ जाएगी जो मानव इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई थी।

जीवन चक्र को विनियमित करना:

- यूनेस्को के सदस्य देशों ने एआई प्रणालियों के पूरे जीवन चक्र की निगरानी और नियंत्रण के उपायों को शामिल करने के लिए एक समझौते 'अनुसंधान-डिजाइन-विकास-तैनाती और उपयोग' पर भी पहुंचे।
- इसका मतलब यह है कि उन्हें यह सुरक्षित करने के लिए सकारात्मक उपायों को अपनाना चाहिए कि एआई डिजाइन टीमों पर महिलाओं और वंचित अल्पसंख्यकों का समान रूप से प्रतिनिधित्व किया जा सके।

- **डेटा, गोपनीयता और जानकारी तक पहुंच का प्रबंधन:**
- यह डेटा पर उपयोगकर्ता नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता को स्थापित करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को आवश्यक रूप से डेटा देखने और निकालने की अनुमति मिलती है।
- यह सदस्य देशों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता है कि संवेदनशील डेटा के संचालन के लिए उचित उपाय किए जाएं, जवाबदेही प्रभावी हो, और नुकसान के मामले में निवारण तंत्र हों।

सामाजिक स्कोरिंग और बड़े पैमाने पर निगरानी पर प्रतिबंध लगाना:

- यह स्पष्ट रूप से बड़े पैमाने पर निगरानी और सामाजिक मूल्यांकन के लिए एआई प्रौद्योगिकियों के उपयोग को मना करता है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि नियामक ढांचे बनाते समय, सदस्य राज्यों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि अंतिम जवाबदेही और जिम्मेदारी हमेशा लोगों के साथ होनी चाहिए। एआई प्रौद्योगिकी को अपने स्वयं के कानूनी व्यक्तित्व को प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।

पर्यावरण की रक्षा

- यह इस बात पर जोर देता है कि एआई प्रणेताओं (Actors) को संसाधन, डेटा और ऊर्जा-कुशल एआई प्रौद्योगिकियों का चयन करना चाहिए, जो पर्यावरण ीय चुनौतियों को संबोधित करने और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में तेजी से प्रचलित हैं।
- यह अनुरोध करता है कि सरकारें एआई प्रौद्योगिकी के उत्पादन में सहायता करने के लिए पर्यावरण, ऊर्जा खपत और कार्बन पदचिह्न पर कच्चे माल के निष्कर्षण के प्रभावों का मूल्यांकन करें।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)

- **एआई** - एआई रोबोट और मशीनों में मानव बुद्धि का सिमुलेशन है जो मनुष्यों की तरह व्यवहार करने और सोचने के लिए डिजाइन किया गया है।
- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस** के तीन मुख्य उद्देश्य हैं: सीखना, तर्क और धारणा।
- **मशीन लर्निंग** - यह अवधारणा कि कंप्यूटर सिस्टम मनुष्यों की सहायता के बिना स्वचालित रूप से नए डेटा से सीख सकते हैं और अनुकूलित कर सकते हैं, मशीन लर्निंग के रूप में जाना जाता है।
- **डीप लर्निंग एल्गोरिदम बड़ी मात्रा में असंरचित डेटा, जैसे टेक्स्ट,फोटो या वीडियो को अंतर्ग्रहण करके ऑटोनोमस लर्निंग की अनुमति देता है।**

2021 के डाटा अनुसार, भारत एआई से संबंधित प्रौद्योगिकी के लिए दुनिया के शीर्ष बाजारों में से एक है, जिसका बाजार मूल्य $ 7.8 बिलियन से अधिक है।

AI के अनुप्रयोग

- **हेल्थकेयर** - एआई का उपयोग सर्जिकल ऑपरेशन, दवा की खुराक और विभिन्न रोगी उपचारों के लिए किया जाता है।
- **गेमिंग**- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शतरंज खेलने वाले कंप्यूटर भी शामिल हैं।
- **ऑटोमोबाइल:** एआई तकनीक का उपयोग सेल्फ-ड्राइविंग वाहनों में किया जाता है।
- **वित्त:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग अनियमित डेबिट

कार्ड के उपयोग और भारी खाते की जमा जैसी गतिविधियों की पहचान करने और उसे हाइलाइट करने के लिए किया जाता है।

- **कृषि:** एआई का उपयोग रोग निदान, दवा छिड़काव और वास्तविक समय क्षेत्र अंतर्दृष्टि के लिए किया जाता है।
- **सहायता:** कमजोर एआई सिस्टम में ऐप्पल के सिरी (Siri) और अमेजॉन के एलेक्सा जैसे व्यक्तिगत सहायक शामिल हैं जिन्हे एक विशेष काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत एआई से संबंधित प्रौद्योगिकियों के लिए दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है जिसका मूल्य 2021 में 7.8 बिलियन डॉलर से अधिक रहा है।

कृषि, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सहित उद्योगों में एआई की विशाल क्षमता को 2018 में नीति आयोग द्वारा प्रकाशित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय रणनीति में उजागर किया गया है।

एआई के लाभ:

भारत पारंपरिक पुलिसिंग का उपयोग करना जारी रखा है। भारत में पूर्वानुमानित पुलिसिंग में एआई-आधारित उत्पादों के कारण विकासरत हैं।

- एआई के उपयोग के साथ, अपराध पैटर्न की भविष्यवाणी की जा सकती है, और संदिग्धों को बड़ी मात्रा में सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके पहचाना जा सकता है जो देश भर में आसानी से उपलब्ध है।
- सरकार सभी रिकॉर्ड, विशेष रूप से आपराधिक रिकॉर्ड को डिजिटाइज कर रही है, और उन्हें सीसीटीएनएस नामक एक डेटाबेस में संकलित कर रही है, जहां एक दोषी या संदिग्ध के बायोमेट्रिक्स और आपराधिक इतिहास सहित सभी जानकारी सुलभ है।
- **कृषि में:** इसमें विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग हैं, जिसमें यह निर्धारित करना शामिल है कि एक फसल को कितने पानी की आवश्यकता है?
- कठिन समस्याओं को हल करने के लिए, जैसे संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना।
- **डेटा विश्लेषण:** एआई प्रौद्योगिकी डेटा विश्लेषण में सहायता करती है, जो मोबाइल डिवाइस पावर मैनेजमेंट, मौसम पूर्वानुमान, वीडियो और छवि विश्लेषण और ऑटोमोबाइल में बिजली प्रबंधन जैसी प्रणालियों की प्रभावशीलता को बढ़ाती है।

AI से संबंधित चुनौतियां

- **अत्यधिक पक्षपाती परिणाम** – एआई को खिलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा अक्सर हमारे समुदायों की विविधता को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं, जिससे पक्षपाती या भेदभावपूर्ण परिणाम होते हैं।
- चीन और भारत संयुक्त रूप से इमेजनेट में तस्वीरों का मुश्किल से 3% बनाते हैं, हालांकि यह दुनिया की आबादी का लगभग एक तिहाई हिस्सा बनाते हैं।
- **चेहरा पहचान प्रौद्योगिकी के साथ समस्या:** जैसा कि चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग अधिक बार किया जाता है जिससे नस्लीय पूर्वाग्रह की संभावना बढ़ रही है।
- बड़ी तकनीकी कंपनियों द्वारा जारी किए गए तीन कार्यक्रमों के लिए अशुद्धि दर हल्के रंग वाले पुरुषों के लिए 1% थी, लेकिन डार्क स्किन वाले पुरुषों के लिए 19% और डार्क स्किन वाली महिलाओं के लिए 35% तक थी।
- चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी में अशुद्धियों के परिणामस्वरूप अनुचित गिरफ्तारी हुई है।
- एआई अक्सर ऐसे परिणाम पैदा करता है जिन्हें पक्षपाती या भेदभाव के रूप में चिह्नित किया जा सकता है क्योंकि यह हमारी संस्कृतियों की विविधता का प्रतिनिधि नहीं है।
- गोपनीयता का अधिकार खतरे में है क्योंकि किसी के इंटरनेट गतिविधि डेटा को उनकी अनुमति के बिना किसी और द्वारा एक्सेस किया जाना संभव है। गोपनीयता का अधिकार अभी भी ऑफलाइन उपयोगकर्ता की स्थिति में खतरे में है, या किसी ऐसे व्यक्ति ने 'डस्कनेक्ट' रहने के लिए चुना है, जो 'स्मार्ट सिटी' के माध्यम से यात्रा करने वाले डिस्कनेक्ट किए गए उपयोगकर्ता की तरह है।
- असमानताएं बढ़ जाएंगी यदि इन प्रौद्योगिकियों का उत्पादन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले व्यावसायिक ढांचे को मानव हितों को पहले रखने के लिए समायोजित नहीं किया जाता है।

AI से जुड़ी नैतिक चुनौतियां

रोजगार का खतरा: स्वचालन श्रम के पदानुक्रम में मुख्य चिंता है। रोबोटिक्स और एआई कंपनियां ऐसी बुद्धिमान मशीनें बना रही हैं वे ऐसे कार्यों को करती हैं जो आमतौर पर कम वेतन वाले श्रमिकों द्वारा किए जाते हैं, जैसे कैशियर को बदलने के लिए स्वयं सेवा कियोस्क और फील्ड श्रमिकों को बदलने के लिए फ्रूट-पिकिंग रोबोट।

इसके अतिरिक्त वह दिन जल्द ही आएगा जब लेखाकारों, व्यापारियों और मध्य प्रबंध कों सहित कई डेस्क पदों को एआई द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

असमानताओं को बढ़ाना: कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके, एक व्यवसाय अपने मानव कर्मचारियों पर अपनी निर्भरता को काफी कम कर सकता है, जिसका अर्थ है कि कम व्यक्तियों को लाभ प्राप्त होगा।

- नतीजतन एआई-संचालित व्यवसायों से लाभ उठाने वाले एकमात्र लोग ऐसे व्यवसायों के मालिक हैं। जो एआई डिजिटल बहिष्करण को भी बढ़ा सकता है।
- इसके अतिरिक्त, निवेश उन देशों में जाने की उम्मीद है जहां एआई से संबंधित गतिविधि पहले से ही अच्छी तरह से

स्थापित है, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रों के बीच और भीतर व्यापक असमानताएं हो सकती हैं।

- इसलिए, नए अवसरों के वादे के परिणाम स्वरूप वास्तव में कार्यकर्ता रीस्किलिंग पर स्पष्ट नीति की अनुपस्थिति में मुख्य नई असमानताएं होंगी।

- **भेदभाव करने वाले रोबोट:** यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि मनुष्य, जिनके पास पूर्वाग्रह की क्षमता है, वे हैं जो एआई सिस्टम को डिजाइन करते हैं।
- यह एआई निगरानी और चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकियों को अल्पसंख्यकों और रंगभेद के व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव करने का कारण बन सकता है।
- **डेटा गोपनीयता मुद्दे:** एआई भी महत्वपूर्ण डेटा गोपनीयता मुद्दों को उठाता है। हमारे डिजिटल पदचिह्नों को डेटा के लिए एल्गोरिथ्म की कभी न खत्म होने वाली खोज के परिणामस्वरूप हमारी जागरूकता या सूचित अनुमति के बिना कब्जा कर बेचा जा रहा है।
- कैम्ब्रिज एनालिटिका मामला, जिसमें इन एल्गोरिदम और विशाल डेटा को वोट परिणामों में हेरफेर करने के लिए दुरूपयोग किया गया था, को संभावित जोखिमों के बारे में एक मजबूत चेतावनी कहानी के रूप में कार्य करना चाहिए जो मौजूदा एआई बिजनेस मॉडल व्यक्तियों और समाज दोनों के लिए पैदा करते हैं।
- **क्या होगा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे खिलाफ हो गया?**
- विश्व स्तर पर कैंसर को समाप्त करने के लिए एक एआई प्रणाली का अनुरोध करने की कल्पना करें। बहुत गणना के बाद, यह एक सूत्र पैदा करता है जो वास्तव में पृथ्वी पर हर किसी को नष्ट करके कैंसर को समाप्त करता है, अर्थात यह मानवजाति के खिलाफ भी जा सकता है

भारत और AI

एक कनाडाई कंपनी द्वारा ग्लोबल एआई रिपोर्ट 2019 के अनुसार, इस क्षेत्र में कार्यरत एआई विशेषज्ञों की संख्या के लिए भारत दुनिया में दसवें स्थान पर है।

- CBSE इस साल अपने नौवीं कक्षा के पाठ्यक्रमों के लिए एक वैकल्पिक विषय के रूप में AI की पेशकश शुरू करेगा।
- भारत में पहले शैक्षणिक संस्थान के रूप में, आईआईटी हैदराबाद ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता में एक पूर्ण बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (बी टेक) कार्यक्रम की पेशकश शुरू कर दी है।
- कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद, यह एआई में एक पूर्ण बी टेक कार्यक्रम की पेशकश करने वाला दुनिया का तीसरा शैक्षणिक संस्थान है।
- आईआईआईटी हैदराबाद ने एआई और मशीन लर्निंग के साथ-साथ ब्लॉकचेन और वितरित लेजर प्रौद्योगिकियों पर प्रसिद्ध कार्यकारी कार्यक्रम भी पेश किए हैं।
- भारतीय रक्षा बल उन उत्पादों और प्रौद्योगिकियों को प्रयोग कर रहे हैं जो रक्षा उपायों में सहायता करेंगे।
- भारत में, व्यवसाय और शैक्षणिक संस्थान अब एआई पर एक साथ काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण IBM का ब्लू प्रोजेक्ट है।
- देश में कई स्टार्ट-अप हैं जो इमेज एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस आदि जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट हैं।
- यह अनुमान लगाया गया है कि एआई वर्ष 2035 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 957 बिलियन डॉलर की वृद्धि करेगा, जिससे भारत की वार्षिक विकास दर में 1.3 प्रतिशत अंक की वृद्धि होगी।

भारत में AI का अनुप्रयोग:

- जैसे ही एआई का उपयोग भारत में प्रसारित होता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्रों से विभिन्न प्रमुख संकेतकों पर ध्यान आकर्षित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत में, प्रत्येक 1,000 रोगियों के लिए 0.8 डॉक्टर हैं (यूके: 2.8, ऑस्ट्रेलिया: 5, चीन: लगभग 4)। यह कम प्रतिशत बताता है कि भारतीय चिकित्सक बहुत मेहनत कर रहे हैं। भारत में, डॉक्टर लगभग 2 मिनट के लिए प्रत्येक रोगी को देखते हैं, जबकि अमेरिका में लगभग 20 मिनट होते हैं। एआई डॉक्टरों के लिए एक उपयोगी उपकरण हो सकता है ताकि उन्हें रोगियों का अधिक तेजी से और कम श्रम के साथ निदान करने में मदद मिल सके।
- अन्ना विश्वविद्यालय के सहयोग से तमिलनाडु ई-सरकारी एजेंसी द्वारा 'अनिल' नामक एक तमिल स्मार्ट सहायक जारी किया गया है। यह एनएलपी-आधारित स्मार्ट सहायक उपयोगकर्ताओं को कई महत्वपूर्ण सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक चरण-दर-चरण मैनुअल प्रदान करता है। सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान के लिए एआई को लागू करने में तमिलनाडु सरकार काफी आगे है।
- 500,000 से अधिक किसान परिवारों के पास अब एक स्मार्टफोन ऐप के माध्यम से एजेंसी के हाल ही में जारी AI-आधारित कृषि कीट और रोग निदान प्रणाली तक पहुंच है। जब कोई किसान कीट या रोगग्रस्त फसल की तस्वीर लेता है, तो सिस्टम कीट या बीमारी की पहचान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग करता है और फिर किसान को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के बारे में सूचित करता है।
- तमिलनाडु सरकार उपस्थिति को ट्रैक करने के लिए चेहरे की पहचान, एआई के अत्याधुनिक उपयोग का उपयोग कर रही है। यह दृष्टिकोण प्रति दिन 45 मिनट से अधिक बचाता है और स्कूलों

को आवश्यक अनुदेशात्मक कार्यों के लिए अतिरिक्त समय देता है।

- डॉक्टरों की मदद करने और भारत के दूरदराज के हिस्सों की सेवा करने एवं उनकी पहुंच का विस्तार करने के लिए, एआई-आधारित स्वास्थ्य देखभाल समाधानों का परीक्षण किया जा रहा है, जिसमें रेडियोग्राफिक डायग्नोस्टिक्स शामिल हैं जैसे कि 'सीटी स्कैन का उपयोग करके मस्तिष्क में आंतरिक रक्तस्राव का पता लगाना'।

उठाए गए कदम:

- नीति आयोग के #AIForAll अभियान से लेकर विभिन्न व्यावसायिक नीतियों तक, जिन्हें यह गारंटी देने के लिए लिया गया है कि एआई अपने दिल में साझा, मानवतावादी मूल्यों के साथ बनाया गया है, भारत ने जिम्मेदार और नैतिक एआई शासन के निर्माण में भारी प्रगति की है।
- यूनेस्को के सुझाव की अवधारणाओं को पहले से ही कई देशों में एआई कानून और नीति पर लागू किया जा रहा है, जो उनकी प्रयोज्यता को साबित करता है। अपनी 2017 एआई रणनीति के साथ, फिनलैंड इस क्षेत्र में अनुकरणीय अभ्यास के एक उदाहरण के रूप में कार्य कर रहा है।
- एआई पर राष्ट्रीय कार्यक्रम को सरकार ने 2018-19 के बजट में नीति आयोग द्वारा अत्याधुनिक और उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास को निर्देशित करने के लक्ष्य के साथ स्थापित करने का आदेश दिया गया था।
- 20 मार्च, 2019 को, नीति आयोग ने AIRAWAT (Artificial Intelligence Research] Analytics and Knowledge Assimilation Platform) क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए कैबिनेट नोट जारी किया।
- सरकार ने बजट 2019-20 में खेलो इंडिया के तहत एक राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की ताकि युवाओं को नए युग के कौशल, जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, चीजों का इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, 3 डी प्रिंटिंग, आभासी वास्तविकता आदि के लिए तैयार किया जा सके।

आगे बढ़ने की राह:

- नैतिक एआई शासन के लिए उचित प्रोत्साहनों को राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय नीति में निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन प्रौद्योगिकियों का वादा पूरा हो सके।
- इन टीमों की विविधता की गारंटी देने के लिए कोटा प्रक्रियाएं होनी चाहिए, या इस तरह के समावेश पहलों को बढ़ावा देने के लिए उनके सार्वजनिक बजट से धन आवंटित किया जाना चाहिए।
- इस समझौते के साथ, यह आशा है कि महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए प्रोत्साहन किया जाये और एआई का उपयोग अब भूख, पर्यावरणीय आपदाओं, असमानताओं और महामारियों जैसे मुद्दों से निपटने के लिए किया जा सकता हो **संपूर्ण समाज दृष्टिकोण:** आम लोगों के लाभ के लिए, भारत सहित कई राष्ट्र एआई पदोन्नति और एआई शासन के बीच उचित संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इन प्रयासों में लाभ और खतरों के बारे में जागरूकता शामिल है।

भारत की न्याय वितरण प्रणाली में सुधार

परिचय :

सामान्य दृष्टिकोण के अनुसार, भारतीय अदालतें अपनी लंबी प्रक्रिया और वादियों हेतु चुनौती के लिए जानी जाती हैं। जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सार्वजनिक किए गए आंकड़ों के अनुसार , भारतीय अदालतों के समक्ष 3.27 मिलियन मामले बकाया हैं, जिनमें से 85,000 मामले 30 से अधिक वर्षों से लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उच्च न्यायालयों और राज्यों को आपराधिक मुकदमों में अंतराल और त्रुटियों को खत्म करने के उद्देश्य से नियमों का एक सेट लागू करने के लिए दो महीने की अनुमति दी है। आंकड़ों के अनुसार, भारत के अधिकांश दोषियों में गरीब लोग हैं; लगभग 70% कैदी विचाराधीन हैं।

भारत की न्याय वितरण प्रणाली- मूल बातें

अपराध की समस्या से निपटने वाली संघीय,

राज्य और स्थानीय सरकारी संस्थाओं के संग्रह को आपराधिक न्याय प्रणाली कहा जाता है। कुछ सरकारी विभाग जिस दक्षता के साथ काम करते हैं, वह निर्धारित करता है कि कानूनों, विनियमों और नियमों को कितनी अच्छी तरह से लागू किया जाता है? आपराधिक न्याय प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत है कि कानून को निष्पक्ष और वैध तरीके से लागू किया जाए। सामान्य तौर पर, हम कह सकते हैं कि इसमें आपराधिक न्याय प्रणाली प्रदान करने के लिए चार आवश्यक घटक शामिल हैं:

- विधानमंडल (संसद)
- प्रवर्तन (पुलिस)
- अधिनिर्णय (न्यायालय)
- सुधार संस्थान (जेल, सामुदायिक सुविधाएं)।

भारत में न्याय वितरण प्रणाली के मुद्दे

विधायिका से संबंधित मुद्दे

- भारत ने 2011-12 और 2015-2016 के बीच वार्षिक रूप से, न्यायपालिका पर सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.08 प्रतिशत खर्च किया है। भले ही केंद्र सरकार ने 13वें और 14वें वित्त आयोगों के तहत आवंटन बढ़ा दिया हो, फिर भी यह गंभीर चिंता का विषय है।
- कॉलेजियम प्रणाली और न्यायिक प्रणाली में अन्य प्रमुख कमियों के संबंध में संसद को बड़े बदलाव करने की आवश्यकता है।

न्यायिक सुधार

- न्यायिक बुनियादी ढांचे में कमी जिसे मोटे तौर पर तीन आयामों में विभाजित किया जा सकता है :
- भौतिक अवसंरचना जैसे कि कोर्ट रूम, वकीलों के कक्ष:
- 24,280 न्यायिक कर्मियों की देश में स्वीकृत शक्ति के बावजूद, भारत में 620 किराए के स्थानों सहित केवल 20,143 कोर्ट हॉल उपलब्ध हैं।
- उच्च न्यायालयों के अनुसार, 15 राज्यों ने अब तक 476 ग्राम न्यायालयों को अधिसूचित किया है । उनमें से केवल 256, 10 राज्यों में सेवारत हैं।
- जांच किए गए आधे से भी कम अदालत कक्षों में शौचालय अच्छी स्थिति में थे। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि विकलांग लोगों के लिए केवल 11 प्रतिशत शौचालय सुलभ हैं, और 26 प्रतिशत अदालत सुविधाओं में महिलाओं के लिए अलग शौचालय की कमी है।
- वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस और इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर
- निचली अदालतों में से केवल 27% जज की बेंच पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्षमताओं वाले कंप्यूटर हैं।

- **मानव संसाधन,** जिसमें न्यायाधीश और उनके सहायक कर्मचारी शामिल हैं।
- पर्याप्त योग्यता वाले न्यायाधीशों की कमी के कारण , मामले लंबित हैं और निर्णय के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती है।
- अतिरिक्त 20% न्यायाधीश होने चाहिए । जो अधिकृत शक्ति के अनुरूप हो जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा और जस्टिस आरसी चव्हाण ने इस आंकड़े का समर्थन किया है।

पुलिस प्रणाली

- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी-2007) ने उल्लेख किया कि राजनीतिक नियंत्रण का ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा दुरुपयोग किया गया है ताकि पुलिस कर्मियों को अनुचित रूप से प्रभावित किया जा सके और उन्हें व्यक्तिगत या राजनीतिक हितों की सेवा के लिए मजबूर किया जा सके। पुलिस के क्रियाकलापों ने **परिचालन स्वतंत्रता बनाम राजनीतिक कार्यपालकों के प्रति जवाबदेही के विषय** को चर्चा में ला दिया है
- **अतिभारित बल:** 2016 में, स्वीकृत पुलिस बल 181 प्रति लाख व्यक्ति था, जबकि वास्तविक संख्या 137 पुलिस थी, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुशंसित प्रति लाख लोगों पर 222 पुलिस से काफी कम है।
- इसके अतिरिक्त, पुलिस के कार्यों में विविधता और बहुआयामी दायित्वों के कारण अधिक पुलिसकर्मियों की आवश्यकता, अधिकारियों की कमी की समस्या को गंभीर बना देती है।

जेल के मुद्दे

- तीन संरचनात्मक समस्याओं ने भारतीय जेलों को बहुत लंबे समय से त्रस्त किया है: हिंसा, कर्मचारियों की कमी और अधिक कैदियों की संख्या (भीड़भाड़) ।
- 2015 और 2016 के बीच जेलों में 115 से 231 'अप्राकृतिक' मौतें हुई।
- 2015 में 77 की तुलना में 2016 में 102 आत्महत्याएं हुई, कैदियों के बीच आत्महत्या दर में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- कई अनुचित गिरफ्तारियां और रिमांड की सुनवाई के दौरान अपर्याप्त कानूनी प्रतिनिधित्व कुल जेल आबादी में विचाराधीन कैदियों के उच्च प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं।

सरकार द्वारा किए गए उपाय

- 2022-2023 के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के केंद्रीय बजट ने ई-कोर्ट, ई-जेल डेटाबेस, अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) को आईसीजेएस से जोड़कर आपराधिक न्याय के वितरण को बढ़ाने पर जोर दिया। बजट में शामिल है-
- फोरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ रुपये।
- इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) के लिए 590 करोड़ रुपये।

- जेल आधुनिकीकरण के लिए 500 करोड़ रुपये।
- नए कार्यक्रमों और पहलों के लिए, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली पर 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- 2021 में, न्यायपालिका के लिए ढांच.ागत सुविधाओं के निर्माण हेतु केंद्र प्रायो.जित योजना (सीएसएस) के विस्तार को 1 अप्रैल, 2021 से 30 मार्च, 2026 तक, पांच वर्षों के लिए अधिकृत किया गया। कार्यक्रम के लिए कुल रु. 9000 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है।
- यह भी घोषित किया गया कि नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स ग्राम न्यायालय योजना को मिशन मोड में क्रियान्वित करेगा।

आवश्यक उपाय

- **प्रौद्योगिकी का उपयोग करके काम में सुधार करें :**
- न्यायाधीश चंद्रचूड़ के अनुसार, प्रौद्यो.गिकी का उपयोग उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन केवल मानव बुद्धि ही इसकी एकमात्र वाहक बनी रहेगी । एक बहुत अच्छा उदा.हरण यह है कि गुजरात उच्च न्यायालय ''न्याय घड़ी'' स्थापित करने वाला देश का पहला न्यायालय बन गया। यह कोर्टहाउस के भीतर एक बाहरी एलइ.ेडी दीवार है जो अन्य सूचनाओं के साथ-साथ मामलों की स्थिति संबंधी आँकड़े प्रदर्शित करती है।
- न्यायिक प्रक्रियाओं, पुलिस मुख्यालयों और स्टेशनों में आवेदन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रौद्योगिकियों की जांच की जानी चाहिए।

लंबित मामलों को कम करें

- स्वीकृत न्यायिक नौकरियों के लिए भर्ती की जाये। एक विस्तृत जांच के अनुसार, 2006 और 2017 के बीच लंबित मामलों में औसत वृद्धि लगभग 2.5% प्रति वर्ष थी, हालांकि स्वीकृत न्यायिक सीटों में औसत रिक्ति लगभग 21% थी। इसलिए, सभी पदों को भरने के लिए अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी चाहिए।
- उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और भारत के मुख्य न्यायाधीश को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायालय में न्यायाधीश के पद संबंधी रिक्तियां न हों, और ऐसा करने के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा.निवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 करने के संसद के प्रस्ताव जैसे उपाय प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सकते हैं।
- अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना इस संबंध में एक और सकारात्मक कदम साबित हो सकता है।
- भारत के विधि आयोग द्वारा अपनी 230 वीं रिपोर्ट में अनुशंसित कई उच्च न्यायालय की पीठों का गठन, एक और आवश्यक कार्रवाही है जिसका उपयोग न्यायिक प्राधिकरण को विकेंद्रीकृत करने के लिए किया जाना चाहिए।
- निचले स्तर पर विशेष अदालतों की स्थापना, जैसे सुबह और शाम के न्यायालय, और ग्राम न्यायालय के प्रदर्शन को बढ़ाकर, इस कार्रवाही को बढ़ाया जा सकता है।
- लोक अदालतों के माध्यम से मध्यस्थता एवं सुलह से मामले को अदालत के बाहर ही निपटारे के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- पुलिस सुधारों के लिए पुलिस व्यवस्था का आधुनिकीकरण और प्रकाश सिंह के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
- पुलिस सुधारों के साथ-साथ आपराधिक न्याय प्रणाली में भी सुधार करना होगा। इस स्थिति में मेनन और मलीमठ समितियों के सुझावों को अमल में लाया जा सकता है।
- जेल सुधारों के लिए न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय (सेवानिवृत्त) समिति की सिफारिशों का पालन किया जा सकता है ।
- इसके साथ ही, सभी न्यायिक प्रणाली में त्वरित परीक्षण, मामले के निपटारे के लिए समय सीमा, विशेष अदालतों से रिक्तियों को भरने और आईसीटी के उपयोग से लेकर जेल सुधारों के लिए भी पृष्ठभूमि तैयार करेगी।
- कानूनी समुदाय (Legal Community) के दृष्टिकोण में बदलाव
- केस -फ्लो मैनेजमेंट और कोर्ट प्रशासन के पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाना चाहिए।
- व्यवस्था की मनोवृत्तियों में सुधार लाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायाधीश और अदालत के अधिकारी प्रभावी ढंग से काम करते हैं, वकीलों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएँ होनी चाहिए।

निष्कर्ष

- वर्तमान सीजेआई रमना के अनुसार, ऐतिहासिक न्यायिक लापरवाही ने इन स्पष्ट कमियों पर संस्थागत ध्यान की कमी को जन्म दिया है जो न्याय के प्रावधान को प्रभावित करते हैं।
- लोगों और सरकार के बीच सामाजिक अनुबंध महत्वपूर्ण रूप से निष्पक्ष परीक्षण के अधिकार, न्याय के लिए समान पहुंच और संपूर्ण न्याय वितरण प्रणाली में जनता के विश्वास पर आध ारित है। यहां तक कि संविधान के मसौदे में कुछ प्रावधान विशेष रूप से अनुच्छेद 38 और 39 (जो एक समान समाज में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों को प्राप्त करने में एक प्रभावी न्याय वितरण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हैं) शामिल थे। इन उद्देश्यों को पूरा करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति को न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर समानता, गतिशील और सूक्ष्म समायोजन की अम्बेडकरवादी दृष्टि को अपनाना आवश्यक है।

आर्थिक विकास योजना में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं

संदर्भ-

यूरोप और अमेरिका में एक असाधारण गर्मी ने तापमान रिकॉर्ड तोड़ दिया। सूखा, बाढ़, भूस्खलन आदि जैसी विनाशकारी घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं जिससे मानव जीवन खतरे में है।

परिचय-

- पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की अवधारणा प्रकृति पर हमारी निर्भरता और उस पर हमारी गतिविधियों के प्रभाव दोनों से संबंधित है। यह अर्थव्यवस्था और समाज के सभी क्षेत्रों में प्रकृति के मूल्यों के महत्व पर व्यवस्थित रूप से विचार करने का एक साधन प्रदान करता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल विकास पथ चुनने के लिए बुनियादी तर्क भी प्रदान करता है, जो इन लाभों का सम्मान और रखरखाव करेगा।

पारिस्थितिकी तंत्र सेवा क्या हैं ?

पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को मानव भलाई के लिए पारिस्थितिक तंत्र के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान के रूप में परिभाषित किया गया है, एवं हमारे अस्तित्व और जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। चार प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं हैं: प्रावधान, विनियमन, सांस्कृतिक और सहायक सेवाएं।

- प्रावधान सेवाओं को मानव की पारिस्थितिक तंत्र से उत्पाद प्राप्त करने की क्षमता की विशेषता है, जैसे कि भोजन, पानी और संसाधन, जिसमें लकड़ी, तेल, आनुवंशिक संसाधन और दवाएं शामिल हैं।
- नियामक सेवाओं को प्राकृतिक प्रक्रियाओं और पारिस्थितिक तंत्र के कामकाज से प्राप्त किसी भी लाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरणों में जलवायु विनियमन, बाढ़ विनियमन और अन्य प्राकृतिक खतरे विनियमन, परागण, जल शोधन और अन्य शामिल हैं।
- सांस्कृतिक सेवाओं में गैर-भौतिक लाभ शामिल हैं जो लोग पारिस्थितिक तंत्र से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें आध्यात्मिक संवर्धन, बौद्धिक विकास, मनोरंजन और सौंदर्य मूल्य शामिल हैं।
- सहायक सेवाएं वे हैं जो निवास स्थान से संबंधित हैं, जो स्वयं कार्य कर रही हैं, और इसलिए अस्तित्व को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, प्रकाश संश्लेषण, जल चक्र और पोषक चक्र पारिस्थितिक तंत्र के आधार हैं, जो बदले में हमें स्वयं का समर्थन करने की अनुमति देते हैं।

पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर आर्थिक विकास का प्रभाव-

- सतत विकास की कुंजी सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, लोगों की भलाई और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के संरक्षण के बीच संतुलन हासिल करना है।
- वर्तमान आर्थिक प्रतिमान समुदायों के लिए लचीलापन बनाने और पारिस्थितिक बुनियादी ढांचे की भूमिका और क्षमता की अनदेखी करने के लिए लगभग पूरी तरह से इंजीनियर संरचनाओं की निर्भरता पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- वनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को अक्सर आर्थिक विकास मॉडल में नजरअंदाज कर दिया जाता है जिनका उपयोग मानव कल्याण का वर्णन करने और उसे क्रियान्वित करने के लिए किया जाता है। इनमें से कुछ सेवाएं, जैसे जल शोधन और वायु गुणवत्ता विनियमन, ग्रह पर सभी जीवित प्राणियों के अस्तित्व के लिए मूलभूत हैं।
- अध्ययनों का अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन की आर्थिक लागत वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के दस प्रतिशत से अधिक होगी - शोध में पाया गया है कि भारत को पहले ही जलवायु प्रभावों के कारण सकल घरेलू उत्पाद का 30% नुकसान हो सकता है। वास्तव में, कम लचीली प्रणालियों के साथ, अमीर देशों की तुलना में गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन के कारण 25% अधिक प्रभाव झेलना पड़ सकता है।
- मनुष्यों के पर्यावरण पदचिह्न में जबरदस्त वृद्धि हुई है। हम प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग प्रकृति की तुलना में बहुत तेज गति से कर रहे हैं।
- कई उदाहरण विकास और पर्यावरणीय गिरावट के बीच सीधा संबंध दिखाते हैं - पिछली सदी के अंतिम दशकों में चीन ने 75 मिलियन हेक्टेयर से अधिक जंगलों को काट दिया।
- पिछले कुछ वर्षों में पानी की तीव्र कमी ने कंपनियों को बंद करने के लिए मजबूर किया है। बार-बार सूखे और बाढ़ की घटनाओं से भी अथाह वित्तीय नुकसान हुआ है। पिछले कुछ दशकों में 2,000 से अधिक हिमालय के ग्लेशियर कथित तौर पर पिघल चुके हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में जंगल की आग ने बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पिछले 3 मिलियन वर्षों में पहली बार 400 पीपीएम के निशान को छू गई है।

हमें आर्थिक विकास योजना में

पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को शामिल करने की आवश्यकता क्यों है?-

- वन स्वास्थ्य और आर्थिक प्रणालियां आपस में जुड़ी हुई हैं। विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार, आंध्र प्रदेश में वन उपयोगकर्ता समूहों के बीच नकद आय में 53 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। यह क्षेत्र में छोटे और मध्यम वन-आधारित उद्यमों के लिए बढ़े हुए समर्थन के अनुरूप है।
- आर्थिक और सामाजिक विकास के उद्देश्यों के संदर्भ में एक स्वस्थ वन आवरण के गुणक प्रभाव बहुत अधिक हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार, दुनिया के जंगलों से लगभग 1-1.5 बिलियन लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होते हैं।
- वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की एक शृंखला प्रदान करते हैं जो न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद हैं बल्कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों में से कई को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण हैं।
- यह आजीविका सहायता प्रदान करके वन-निवास समुदायों के लिए सुरक्षा जाल के रूप में भी कार्य करता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को यह समर्थन बहुत घने और मध्यम घने जंगलों के संरक्षण में निवेश करने का एक कारण है।
- उदाहरण के लिए, बाघ अभयारण्य जैसे प्राकृतिक परिदृश्य, पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं की एक शृंखला प्रदान करते हैं, और ऐसी सेवाओं से प्रति वर्ष 50,000-1,90,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के लाभ का अनुमान लगाते हैं, जैसा कि हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है। यह पारंपरिक राष्ट्रीय खातों में शामिल नहीं है।
- देश के डिकार्बोनाइजेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक सामंजस्यपूर्ण हरा प्राकृतिक आवरण भी आवश्यक है, क्योंकि जैव विविधता वाले वनों में मोनोकल्चर वृक्षारोपण की तुलना में कार्बन पृथक्करण की अधिक क्षमता होती है।
- साथ ही, जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान बढ़ता है, मोनोकल्चर वनों में जंगल की आग की घटनाओं का खतरा अधिक होता है जो न केवल वन आवरण को कम करते हैं बल्कि देश की जलवायु प्रतिबद्धताओं को भी खतरे में डालते हैं।
- 2030, 2050 और 2085 के लिए जलवायु परिवर्तन अनुमानों से संकेत मिलता है कि आईएसएफआर 2021 के अनुसार, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख जैसे हिमालयी राज्यों में तापमान में सबसे अधिक वृद्धि होगी। इस तरह के जलवायु परिवर्तन उनके वन पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे।

सतत विकास को सुरक्षित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता-

- पार्टियों के 26वें सम्मेलन (CoP26) में, भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शुद्ध तटस्थता प्राप्त करने और आर्थिक विकास के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए पांच-स्तरीय रणनीति की घोषणा की - जिसे पंचामृत कहा जाता है।
- हाल ही में, उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है कि वह 'सकल पर्यावरण उत्पाद' (जीईपी) के रूप में अपने प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन शुरू करेगी।
- MoSPI ने ''प्राकृतिक पूंजी लेखा और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन (NCAVES)'' परियोजना के तहत कई पहले की हैं, जिसका उद्देश्य भारत में पारिस्थितिकी तंत्र लेखांकन के सिद्धांत और व्यवहार को आगे बढ़ाना है।
- भारत सरकार द्वारा निर्णय लेने से पहले परियोजना के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण के रूप में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) का उपयोग।
- राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम (NAP) 2000 से निम्नीकृत वन भूमि के वनीकरण के लिए लागू किया गया है।
- प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, (CAMPA iQaM) जिसका उपयोग जलग्रहण क्षेत्रों के उपचार, प्राकृतिक उत्पादन, वन प्रबंधन, वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन, संरक्षित क्षेत्रों से गांवों के स्थानांतरण, मानव-वन्यजीव संघर्षों के प्रबंधन, प्रशिक्षण, जागरूकता पैदा करना, लकड़ी बचाने वाले उपकरणों की आपूर्ति और संबद्ध गतिविधियाँ किया जा सकता है।
- वन आग रोकथाम और प्रबंधन योजना (एफएफपीएम) एकमात्र केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है जो विशेष रूप से जंगल की आग से निपटने में राज्यों की सहायता के लिए समर्पित है।

निष्कर्ष-

- पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को स्थानिक योजना में एकीकृत करना सतत विकास की दिशा में एक आशाजनक दृष्टिकोण हो सकता है क्योंकि यह ऐसी सेवाओं को स्पष्ट करने का समर्थन करता है, इस तरह नए शहरी क्षेत्रों को विकसित करते समय पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं के बीच व्यापार के बारे में चर्चा को बढ़ावा देता है। वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं और जैव विविधता मूल्यों का अच्छा उपयोग करना न केवल पारिस्थितिक बल्कि आर्थिक समझ में आता है। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को सभी क्षेत्रों में विकास योजना और निर्णय लेने में शामिल किया जाए।

पनडुब्बी

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में आईएनएस सिंधुध्वज, भारतीय नौसेना की किलो-श्रेणी की पनडुब्बी को 35 साल की सेवा के बाद विशाखापत्तनम में सेवा से हटा दिया गया।
- इसके साथ, नौसेना के पास अब सेवा में 15 पारंपरिक पनडुब्बियां हैं।

पनडुब्बी के बारे में

- पनडुब्बी एक जलयान है जो पानी के भीतर स्वतंत्र संचालन में सक्षम है। पनडुब्बियों को उनके आकार के बा. वजूद 'जहाजों' के बजाय 'नौकाओं' के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- हालांकि प्रायोगिक पनडुब्बियों का निर्माण पहले किया गया था। यह अवध ारणा 19वीं शताब्दी के दौरान चर्चा में आयी जिसका उपयोग कई नौसेनाओं द्वारा किया गया।
- पनडुब्बियों का पहला बड़ा उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देखा गया था। अब इसका उपयोग बड़ी और छोटी कई नौसेनाओं में किया जाता है।

पनडुब्बियों के सैन्य उपयोग में शामिल हैं: दुश्मन की सतह के जहाजों पर हमला करने और विमान वाहक सुरक्षा के लिए,

- नाकाबंदी,
- परमाणु निरोध,
- (Reconnaissance)
- पारंपरिक भूमि हमला (उदाहरण के लिए, क्रूज मिसाइल का उपयोग करना),
- विशेष बलों की गुप्त प्रविष्टि।

आईएनएस सिंधुध्वज:

- यह 1986 और 2000 के बीच रूस से भारत को प्राप्त दस किलो श्रेणी की पनडुब्बियों में से एक थी।
- इसे 1987 में **नौसेना में कमीशन** किया गया था।
- आईएनएस सिंधुध्वज के नाम कई प्रथम स्थान हैं जिनमें शामिल हैं
  - स्वदेशी सोनार USHUS का संचालन,
  - स्वदेशी उपग्रह संचार प्रणाली रुक्मणी और एमएसएस,
  - जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली और
  - स्वदेशी टारपीडो अग्नि नियंत्रण प्रणाली।
- यह एकमात्र पनडुब्बी थी जिसे इनोवेशन के लिए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था।

किलो-श्रेणी की पनडुब्बी:

- किलो-श्रेणी की पनडुब्बी डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बी हैं जो
  - 3,000 टन विस्थापन,
  - 300 मीटर की गहराई तक गोता,
  - अधिकतम गति 18 समुद्री मील,
  - 53 क्रू के साथ 45 दिनों के लिए अकेले काम कर सकता है।
- श्रृंखला में प्रमुख पोत के नाम पर किलो-श्रेणी की पनडुब्बियों को सिंधुघोष-श्रेणी कहा जाता है।
- किलो-क्लास एक **अत्यधिक भरोसेमंद पारंपरिक** पनडुब्बी है, जो 9 देशों की नौसेनाओं में अनुमानित 62 सेवा हैं ।
- वे भारतीय नौसेना की पहली पनडुब्बियां थीं जो पानी के भीतर से जहाज-रोधी और भूमि-हमला क्रूज मिसाइलों को दाग सकती थीं।

भारत को पनडुब्बियों की आवश्यकता क्यों है?

भारत को मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से अधिक पनडुब्बियों की आवश्यकता है:

- **हमारी अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए:**
  - भारत की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए
  - सभी प्रकार की समुद्री चुनौतियों और खतरों के साथ-साथ हमारे समुद्री व्यापार और व्यापारियों की सुरक्षा के खिलाफ।
  - राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा करना।
  - लगातार विकसित हो रही नई चुनौतियों का सामना करना चूंकि सुरक्षा चुनौतियां आने वाले समय में और बढ़ेंगी।
- **चीन का मुकाबला करना:**
  - चीन आने वाले वर्षों में हिंद महासागर में बहुत अधिक जहाजों और पनडुब्बियों को तैनात करने जा रहा है।
  - चीन पाकिस्तान को आठ पनडुब्बियां और चार विध्वंसक दे रहा है, जिनका इस्तेमाल चीन प्रॉक्सी के तौर पर कर सकता है।
  - पेंटागन की 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन वर्तमान में चार SSBN संचालित करता है और दो अतिरिक्त तैयार कर रहा है। इसमें छह एसएसएन और 50 डीजल-संचालित हमला पनडुब्बियां (एसएस) हैं।

भारतीय नौसेना में पनडुब्बियां:

- पनडुब्बियों के साथ भारत का प्रयास दिसंबर 1967 में यूएसएसआर से फॉक्सट्रॉट क्लास के आईएनएस कलवरी के साथ शुरू हुआ। 1969 तक, भारत में चार पनडुब्बी थे।
- 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान, युद्ध में पनडुब्बियों का इस्तेमाल किया गया था।
- 1971-74 के बीच, भारत ने फॉक्सट्रॉट श्रेणी की चार और पनडुब्बियां खरीदीं लेकिन फिर एक दशक तक हमें कोई नई पनडुब्बी नहीं मिली।
- 1981 में, पश्चिम जर्मनी से दो टाइप-209 पनडुब्बियों को खरीदने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जबकि दो अन्य को मझगांव डॉक में असेंबल किया जाना था, जिससे शिशुमार क्लास का गठन किया।
- भारत को 1986 से 1992 तक यूएसएसआर से आठ और जर्मनी से दो पनडुब्बियां मिलीं।
- 1992 और 1994 में, दो जर्मन पनडुब्बियां जो भारत में बनाई गई थीं, को भी कमीशन किया गया था। भारत ने 1999 और 2000 में रूस से दो किलो क्लास पनडुब्बियां खरीदीं।
- 1999 में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण के लिए 30 वर्षीय योजना (2000-30) में एक विदेशी मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) के साथ साझेदारी में भारत में निर्मित छह पनडुब्बियों की दो उत्पादन लाइनों की परिकल्पना की गई थी। परियोजनाओं को P-75 कहा गया ।
- 30 वर्षीय योजना में अनुमान लगाया गया था कि **भारत को 2012-15** तक **12 नई पनडुब्बियां** मिल जाएंगी। इसके बाद, **भारत 2030 तक स्वयं 12 बना लेगा, जिससे बेड़े का आकार 24 हो जाएगा तथा पुरानी पनडुब्बियों को सेवामुक्त कर दिया जाएगा।**

पनडुब्बी के प्रकार:

पनडुब्बियां या तो डीजल-इलेक्ट्रिक या परमाणु-संचालित हो सकती हैं। कोई भी प्रकार परमाणु हथियार रख सकता है।

- **डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बी:**
  - ◆ यह चलने के लिए डीजल इंजनों द्वारा चार्ज की गई इलेक्ट्रिक मोटरों का उपयोग करता है।
  - ◆ इन इंजनों को संचालित करने के लिए हवा और ईंधन की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि उन्हें अधिक सतह पर आने की आवश्यकता होती है, जिससे उनका पता लगाना आसान हो जाता है।
  - ◆ इलेक्ट्रिक मोड पर चलने पर, ये पनडुब्बियां डीजल इंजन के चलने की तुलना में बहुत अधिक शांत होती हैं।
  - ◆ अधिकांश पनडुब्बियां आज पारंपरिक रूप से संचालित (डीजल-इलेक्ट्रिक) हैं और रखरखाव के लिए छोटी और सस्ती होती हैं।
- **परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां:**
  - ◆ परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां एक ऑनबोर्ड परमाणु रिएक्टर द्वारा उत्पन्न भाप से निकलती हैं जो टर्बाइनों को घुमाती है।
  - ◆ इतने लंबे समय तक चलने वाली शक्ति का एक स्रोत होने का मतलब है कि वे वर्षों तक जलमग्न रह सकते हैं। प्रभावी रूप से केवल अपने कर्मचारियों के भोजन और पानी की जरूरतों के लिए ही सतह पर आने की आवश्यकता होती है ।
  - ◆ ये बड़े होते हैं लेकिन इसके लिए अधिक महंगे बुनियादी ढांचे और रखरखाव की आवश्यकता होती है।
- **सामान्य पनडुब्बी के संक्षिप्त नाम नीचे सूचीबद्ध हैं:**
  - ◆ SS: पनडुब्बी (पनडुब्बी जहाज)
  - ◆ SSK: डीजल-इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी
  - ◆ SSN: परमाणु शक्ति से चलने वाली हमला पनडुब्बी
  - ◆ SSB: डीजल-इलेक्ट्रिक बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां
  - ◆ SSBN: परमाणु शक्ति से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां

भारतीय नौसेना में पनडुब्बी:

- **अरिहंत वर्ग**
  - ◆ अरिहंत भारतीय **परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों का एक वर्ग है** जिसे **भारतीय नौसेना के लिए** बनाया जा रहा है।
  - ◆ इन्हें परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों के डिजाइन और निर्माण के लिए 900 अरब रुपये की उन्नत प्रौद्योगिकी पोत (एटीवी) परियोजना के तहत विकसित किया गया था।
  - ◆ भारत ने इन जहाजों को 'रणनीतिक स्ट्राइक परमाणु पनडुब्बियों' के रूप में वर्गीकृत किया है।
  - ◆ 26 जुलाई 2009 को लॉन्च किया गया, INS अरिहंत (SSBN 80), जिसे S2 स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन नामित किया गया है, भारत की अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों का प्रमुख जहाज है।
  - ◆ विशाखापत्तनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में एटीवी परियोजना के तहत 6,000 टन के जहाज का निर्माण किया गया था।
  - ◆ पनडुब्बी को अगस्त 2016 में चालू किया गया था और 2018 में संचालन के लिए तैनात किया गया था।
- **कलवरी क्लास**
  - ◆ **प्रोजेक्ट 75** परियोजना के तहत, भारतीय नौसेना 6 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का अधिग्रहण करने का इरादा रखती है, जिसमें उन्नत एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) भी होगा।

◆ श्रृंखला की पहली पनडुब्बी, INS **कलवरी, अक्टूबर** 2015 में लॉन्च की गई थी और दिसंबर 2017 में कमीशन की गई थी - निर्धारित समय से पांच साल पीछे।

◆ दूसरा, **आईएनएस खंडेरी, जन. वरी** 2017 में परीक्षण के लिए लॉन्च किया गया था और सितंबर 2019 में चालू किया गया था।

◆ तीसरी पनडुब्बी, **INS करंज, जनवरी** 2018 में लॉन्च की गई थी और 10 मार्च, 2021 को चालू की गई थी।

◆ INS **वेला** चौथा है।

◆ पांचवां, INS **वागीर,** नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया था और इसने बंदरगाह परीक्षण शुरू कर दिया है।

◆ छठी पनडुब्बी, INS **वाग्शीर,** तैयार करने के उन्नत चरण में है।

- **सिंधुघोष वर्ग**

◆ सिंधुघोष श्रेणी की पनडुब्बिय. ां किलो-श्रेणी की डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बी हैं और इन्हें 877EKM नामित किया गया है।

◆ यह जहाज Rosvooruzhenie और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के बीच एक अनुबंध के तहत उत्पादित है।

- **शिशुमार वर्ग**

◆ शिशुमार श्रेणी के जहाज (टाइप 1500) डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बिय. ां हैं जिन्हें जर्मन यार्ड Howaldts-werke-Deutsche Werft (HDW) द्वारा विकसित किया गया है।

◆ इनमें से पहले दो जहाजों का निर्माण कील (Kiel) में एचडीडब्ल्यू द्वारा किया गया था, जबकि शेष को मुंबई में मझगांव डॉक लिमिटेड (एमडीएल) में बनाया गया है।

◆ जहाजों को 1986 और 1994 के बीच कमीशन किया गया था।

आगे की राह

- चीन जैसे प्रतिद्वंद्वी देशों के साथ मौजूद अंतर को कम करने के लिए भारत के नौसैनिक कौशल को प्राथमिकता दी जानी चाहिए अन्यथा भारत हिंद महासागर पर हावी होने की चीन की इच्छा का मुकाबला करने में अक्षम हो जाएगा।
- भारत को अपनी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और अपनी जटिल अधिग्रहण प्रक्रिया को बदलने की जरूरत है ताकि स्लाइड को अपनी सापेक्ष क्षमताओं में रोका जा सके।

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003
20 Years of Trust
Success is our tradition!
4500+ Selections in IAS & PCS
LEGACY OF SUCCESS CONTINUES...
This year too, 90+ IAS aspirants succeeded in making their dreams come true.

Admissions Open For
Offline / Online Courses
GENERAL STUDIES | CSAT | OPTIONAL SUBJECTS
For more details about Offline Courses, Call respective centre
For more details about Online Courses, Call 9205274741/42
UP-PCS MAINS TEST SERIES
GS | GEOGRAPHY | SOCIOLOGY | PSIR
STARTING FROM
14th AUG 2:00 PM
Available Optional Subjects
PRAYAGRAJ
English Medium
POLITICAL SCIENCE & IR | SOCIOLOGY
GEOGRAPHY | HISTORY
हिन्दी माध्यम
इतिहास | समाजशास्त्र
राजनीति विज्ञान | भूगोल
LUCKNOW (ALIGANJ)
English Medium
POLITICAL SCIENCE & IR | SOCIOLOGY
GEOGRAPHY | HISTORY
हिन्दी माध्यम
इतिहास | समाजशास्त्र
राजनीति विज्ञान | भूगोल
NORTH DELHI (MUKHERJEE NAGAR)
English Medium
GEOGRAPHY | SOCIOLOGY
हिन्दी माध्यम
इतिहास | भूगोल
AT OTHER CENTRES OPTIONAL SUBJECTS ARE AVAILABLE IN HYBRID MODE
FOR OFFLINE COURSES, CALL RESPECTIVE CENTRE
FOR ONLINE COURSES, CALL 9205274741 / 42
Delhi (Mukherjee Nagar) : Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar Ph: 9289580074/75 • Delhi (Laxmi Nagar) : 1/53, Lalita Park, Near Gurudwara, Laxmi Nagar Ph: 9205212500/9205962002 • Greater Noida : Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt, Greater Noida Ph: 9205336037/38 • Prayagraj : SP Marg, Civil Lines, Prayagraj Ph: 0532-2260189/8853467068 • Lucknow (Aliganj) : A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow Ph: 9506256789/7570009002 • Lucknow (Gomti Nagar) : Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Gomti Nagar, Lucknow Ph: 7234000501/ 7234000502 • Lucknow (Alambagh) : Opposite Phoenix Mall Gate No. 3, L.D.A Colony, Alambagh Lucknow Ph: 7518373333/7518573333 • Kanpur : 113/154 Swaroop Nagar, Kanpur Ph: 7887003962/7897003962 • Gorakhpur : Narayan Tower, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Ph: 0551-2200385/7080847474

संक्षिप्त मुद्दे

राष्ट्रीय

1 44वें शतरंज ओलंपियाड

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 28 जुलाई 2022 को चेन्नई के महाबलीपुरम में स्थित जवाहर लाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित होने वाले भव्य उद्घाटन समारोह में 44 वें शतरंज ओलंपियाड का शुभारंभ किया।

- प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 44वां शतरंज ओलंपियाड पहली बार भारत में शतरंज की उत्पत्ति के स्थान तमिलनाडु में आयोजित किया जा रहा है। यह 3 दशकों में पहली बार एशिया में आ रहा है। इसमें भाग लेने वाली टीमों की अब तक की सबसे अधिक संख्या है। इसमें महिला वर्ग में सबसे अधिक प्रविष्टियां (Entries) हैं।
- शतरंज ओलंपियाड की पहली मशाल रिले इस बार शुरू हुई है।
- यह गर्व की बात है कि शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल रिले की शुरुआत भविष्य में हमेशा भारत से ही होगी।
- तमिलनाडु में स्थित चतुरंगा वल्लभनाथर के मंदिर में शतरंज से जुड़ी एक दिल. चस्प कहानी है। जिसमें एक राजकुमारी के साथ भगवान ने भी शतरंज का खेल खेला था।
- स्वाभाविक रूप से तमिलनाडु का शतरंज से गहरा ऐतिहासिक संबंध रहा है।
- यही कारण है कि तमिलनाडु भारत के लिए शतरंज का पावरहाउस है। इसने भारत को कई शतरंज ग्रैंडमास्टर दिए हैं।
- शतरंज का खेल भारत के रास्ते दुनिया के कई देशों में पहुंचा और बहुत लोक. प्रिय हुआ है। आज, स्कूलों में शतरंज का उपयोग युवाओं और बच्चों के लिए शिक्षा के एक उपकरण के रूप में किया जा रहा है।
- और इतना ही नहीं हाल के वर्षों में भारत तेजी से शतरंज के खेल में अपने प्रदर्शन को लगातार अच्छा करता दिख रहा है।
- केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।
- प्रधानमंत्री ने 19 जून, 2022 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम में पहली बार शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले का शुभारंभ किया था।
- स्विट्जरलैंड स्थित फिडे (FIDE) मुख्यालय जाने से पहले यह मशाल 40 दिनों की अवधि में करीब 20,000 किलोमीटर की यात्रा करके देश के 75 ऐतिहासिक स्थानों से होकर गुजरी और महाबलीपुरम में इसका समापन हुआ।
- 44 वां शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई 2022 से लेकर 9 अगस्त 2022 के दौरान चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है।
- इस प्रतियोगिता में 187 देशों के हिस्सा लेने के साथ ही यह किसी भी शतरंज ओलंपियाड में सबसे बड़ी भागीदारी होगी।
- भारत इस प्रतियोगिता में अब तक का अपना सबसे बड़ा दल भी उतार रहा है जिसमें 6 टीमों के 30 खिलाड़ी शामिल हैं।

पुरुष वर्ग

- **भारत-1** विदित गुजराती, पी हरिकृष्णा, अर्जुन एरिगैसी, एस.एल. नारायण और शशिकरन कृष्णन शामिल हैं।
- **भारत-2** निहाल सरीन, डी गुकेश, बी अधिबान, आर प्रज्ञानंदा और रौनक साध वानी हैं।
- **भारत-3** सूर्य शेखर गांगुली, एसपी सेथु. रमन, अभिजीत गुप्ता, कार्तिकेयन मुरली और अभिमन्यु पुराणिक शामिल हैं।

महिला वर्ग

- **भारत-1** कोनेरू हम्पी, डी हरिका, आर वैशाली, तानिया सचदेव और भक्ति कुलकर्णी शामिल हैं।
- **भारत-2** वंतिका अग्रवाल, सौम्या स्वाम. ीनाथन, मैरी एन गोम्स, पद्मिनी राउत और दिव्या देशमुख हैं।
- **भारत-3** ईशा करावड़े, साहिती वार्शिनी, प्रत्युषा बोड्डा, नंदीधा पीवी और विश्व वासनवाला शामिल हैं।

शतरंज ओलंपियाड क्या है?:

- इस प्रतियोगिता का आयोजन वर्ल्ड शतरंज फेडरेशन (FIDE) संस्था द्वारा दो साल में एक बार किया जाता है।
- इस प्रतियोगिता की प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें 4 नियमित जबकि 1 खिलाड़ी रिजर्व होता है।
- वर्ष 1927 में पहली बार शतरंज ओलंपियाड का आयोजन FIDE द्वारा आधिकारिक तौर पर लंदन में किया गया था।
- COVID-19 महामारी के दौरान FIDE ने पहली बार 43 वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन जुलाई, 2020 में ऑनलाइन किया था जिसमें भारत ने रूस के साथ संयुक्त रूप से स्वर्ण पदक जीता था।
- शतरंज ओलंपियाड का स्वर्ण पदक सभी प्रतिभागी देशों में रूस सबसे अधिक 25 बार जीत चुका है।

विश्व शतरंज महासंघ (FIDE):

- स्थापना- 20 जुलाई,1924 को पेरिस, फ्रांस में हुई थी।
- आदर्श वाक्य- हम एक लोग हैं।
- मुख्यालय- लुसाने, स्विट्जरलैंड
- सदस्य देश- 195

- अध्यक्ष- अर्कडी ड्वोर्को. विच(रूस)
- FIDE को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा वर्ष 1999 में मान्यता प्रदान की गई थी।

2 स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत

चर्चा में क्यों?

देश का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत (आईएसी) आईएनएस विक्रांत इस साल अगस्त में 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाने के लिए कमीशन किया जाएगा।

आईएनएस विक्रांत

- आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। भारत में बनने वाला यह सबसे बड़ा एवं सबसे शक्तिशाली पोत है। इसके निर्माण की लागत लगभग 23 हजार करोड़ रुपये है। इसके निर्माण से भारत अब उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसी अत्याधुनिक निर्माण क्षमता है।
- इस पोत का चौथा परीक्षण रविवार यानी 10 जुलाई 2022 को किया गया।
- आईएसी का पहला समुद्री परीक्षण अगस्त 2021 में सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। इसके बाद क्रमशः अक्टूबर 2021 और जनवरी 2022 में दूसरे और तीसरे चरण के समुद्री परीक्षण किए गए। इन परीक्षणों के दौरान, प्रणोदन मशीनरी, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक सूट, डेक मशीनरी, जीवन रक्षक उपकरण, जहाज के नेविगेशन और संचार प्रणालियों का परीक्षण किया गया था।
- रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में वाहक के समुद्री परीक्षणों की प्रगति की जानकारी देते हुए कहा, "जहाज की डिलीवरी जुलाई के अंत में लक्षित की जा रही है, इसके बाद अगस्त में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए जहाज को कमीशन किया जाएगा।"

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड:

- कोचीन शिपयार्ड को भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले कंपनी के रूप में 1972 में शामिल किया गया था। पिछले तीन दशकों में यह कंपनी भारतीय पोत निर्माण और मरम्मत उद्योग में एक अग्रदूत के रूप में उभरी है। यह यार्ड भारत में सबसे बड़े पोतों का निर्माण और मरम्मत कर सकता है।

सारांश

- इस पोत के निर्माण से ना केवल स्वदेशी डिजाइन और निर्माण क्षमताओं में वृद्धि हुई है, बल्कि बड़ी संख्या में सहायक उद्योगों का विकास हुआ है। जिसमें 2,000 से अधिक सीएसएल कर्मियों और सहायक उद्योगों में लगभग 12,000 कर्मचारियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।

3 अविवाहित महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात का अधिकार:सुप्रीम कोर्ट

चर्चा में क्यों ? :

- एक 25 वर्षीय अविवाहित महिला ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था जब दिल्ली हाई कोर्ट ने लगभग 24 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने के लिए उसकी याचिका को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति नियम 2003, अविवाहित महिलाओं को कवर नहीं करता है। महिला ने मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट 1971 के तहत निर्धारित नियमों की धारा 3बी को चुनौती दी, जिसमें 20 सप्ताह के भ्रूण के बाद केवल 7 प्रकार की महिलाओं को गर्भपात की अनुमति दी गई है।

कोर्ट का मत

- एक अविवाहित महिला को सुरक्षित गर्भपात के अधिकार से वंचित करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसकी व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वतंत्रता का उल्लंघन है। अतः अविवाहित महिला को भी गर्भपात का अधिकार है।
- निचली अदालत ने अनुचित रूप से प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण अपनाया कि सुरक्षित गर्भपात के लिए उसकी याचिका को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत कवर नहीं किया गया क्योंकि गर्भावस्था विवाह के बाहर एक सहमति के रिश्ते से उत्पन्न हुई थी।
- निचली अदालत को फटकार लगाते हुए बेंच ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप को सुप्रीम कोर्ट पहले ही मान्यता दे चुका है। सामाजिक मुख्यधारा में बड़ी संख्या में ऐसे लोग है, जो विवाह पूर्व यौन संबंध बनाने में कोई बुराई नहीं देखते हैं। कानून का इस्तेमाल सामाजिक नैतिकता की धारणा के लिए नहीं किया जा सकता जिससे उनकी व्यक्तिगत स्वायत्तता और शारीरिक अखंडता में अनुचित रूप से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।
- अदालत ने एम्स द्वारा एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया, जो यह जांच करेगा कि महिला का गर्भपात करना सुरक्षित है या नहीं जो एक सप्ताह में रिपोर्ट जमा करेगा।

तथ्य जिन पर अदालत ने अपना फैसला दिया

- अदालत ने जोर दिया कि 2021 में एमटीपी अधिनियम में संशोधन ने पति शब्द को साथी के साथ प्रतिस्थापित कर दिया था, यह एक स्पष्ट संकेत है कि कानून अविवाहित महिलाओं को अपने दायरे में शामिल करता है।
- संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत यह महिला का प्रजनन पसंद अधिकार तथा उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अविभाज्य हिस्सा है।
- उसके पास शारीरिक अखंडता का एक पवित्र अधिकार है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रजनन विकल्प चुनने का एक महिला का अधिकार भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक आयाम है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने उदाहरणों से उद्धृत किया है।
- अदालत ने कहा कि एक महिला को गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर करना न केवल उसकी शारीरिक अखंडता का उल्लंघन होगा बल्कि उसके मानसिक आघात को भी बढ़ा देगा।

प्रावधान

- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) अधिनियम 2021 के अनुसार, 20 सप्ताह तक के गर्भधारण के लिए एक डॉक्टर की राय में समाप्ति की अनुमति है। 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भधारण के लिए संशोधित कानून में दो डॉक्टरों की राय की आवश्यकता होती है।
- एमटीपी अधिनियम के तहत निर्धारित नियमों की **धारा 3बी** यह उन सात श्रेणियों की महिलाओं को अनुमति देता है जिन्हें चौबीस सप्ताह तक गर्भावस्था की समाप्ति के लिए योग्य माना जाएगा, उदाहरण, बलात्कार से पीड़ित महिला, नाबालिग, वैवाहिक स्थिति में बदलाव (विवाहित से तलाकशुदा), आदि।

निष्कर्ष

- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार, असुरक्षित गर्भपात भारत में मातृ मृत्यु दर का तीसरा प्रमुख कारण है, और असुरक्षित गर्भपात से संबंधित कारणों से हर दिन करीब 8 महिलाओं की मौत हो जाती है। यह सच है कि गर्भपात महिलाओ की शारीरिक स्वतंत्रता का एक आयाम है फिर भी इसका रेगुलेशन जरुरी है।

4 2021 में भारतीय नागरिकता त्यागने वालों के आकड़े

मुख्य बातें

- देश में भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इनमें से अधिकतर मिलियनर शामिल हैं।
- वर्ष 2021 में एक लाख 63 हजार 370 लोगों ने भारतीय नागरिकता को छोड़ दिया। जबकि साल 2020 में 85 हजार 256 और साल 2019 में एक लाख 44 हजार 17 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी।

क्यों देश छोड़ते है लोग?

- सामान्य तौर पर, लोग अपने देश में बेहतर नौकरियाँ और रहने की अच्छी स्थिति न होने के कारण देश छोड़ देते हैं, जिसे आम तौर पर ब्रेनड्रेन नाम से जानते है।
- कुछ को जलवायु परिवर्तन या प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थितियों से बाहर जाना पड़ता है।
- कुछ हाई-प्रोफाइल मामलों में - जैसे कि मेहुल चोकसी - भारत छोड़ने वाले लोग कानून से भाग रहे हैं या कथित अपराधों के लिए कानूनी कार्रवाई के डर से दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर रहे है।

ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू की 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार , उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों द्वारा जन्म से प्राप्त नागरिकता त्यागने के निम्न कारण हैं -

- अपराध दर बढ़ने या देश में व्यापार के अवसरों की कमी ।
- महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा चिन्ता।
- जलवायु और प्रदूषण जैसे जीवन शैली कारक।
- करों सहित वित्तीय चिंताएं, परिवारों के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर।
- दमनकारी सरकारों से बचने के लिए।

प्रमुख गंतव्य देश

- सामान्य तौर पर, ऐसे देश जहां भारतीय लंबे समय से प्रवास कर रहे हैं या जहां लोगों के परिवार या दोस्त हैं।
- जहां आसान कागजी कार्रवाई हो ।
- अधिक स्वागत योग्य सामाजिक और जातीय वातावरण हो। उदाहरण ऑस्ट्रेलिया ,कनाडा, यूके, यूएसए आदि।
- गोल्डन वीजा चला रहे देशो में, गोल्डन वीजा के तहत धनी लोगों को अपने देश में निवेश करने के एवज में वीजा देते है।

इसका प्रभाव

लाभ

- अपने मूल देशों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकतें हैं।
- प्रेषण (remittances) के प्रेषक के रूप में उनकी प्रमुख भूमिका।
- व्यापार और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दे सकतें हैं।
- उद्यमशीलता को बढ़ावा दे सकतें हैं।
- नए ज्ञान और कौशल को स्थानांतरित कर सकतें हैं।
- भारत के किसी दूसरे देश से संबंधो को और मजबूत बना सकतें हैं।

हानि

- देश में अच्छे स्किल यूथ की कमी।
- अपराधियों को पकडना मुश्किल
- देश के धन का दूसरे देश में जाना।
- सरकार के टैक्स में कमी।

संवैधानिक प्रावधान

- नागरिकता संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध है जो संसद के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता हैद्य
- संविधान श्नागरिकश शब्द को परिभाषित नहीं करता है।
- नागरिकता के प्रावधान भाग 2 (अनुच्छेद 5 से 11) में दिए हैं।
- 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आए संविधान के अन्य प्रावधानों के विपरीत, इन अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया गया था, जब संविधान अपनाया गया।
- **अनुच्छेद 9:** यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा।
- **अनुच्छेद 10:** यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों में से किसी के तहत भारत का नागरिक है या माना जाता है, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, ऐसा नागरिक बना रहेगा।
- **अनुच्छेद 11:** यह संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति और उससे संबंधित सभी मामलों के संबंध में कोई भी प्रावधान करने का अधिकार देता है।

अन्य प्रावधान

- 1955 का नागरिकता अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने के पांच तरीकों को निर्धारित करता है, जैसे जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र का समावेश।
- भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नही होती है।
- भारतीय नागरिकता 3 प्रकार से छोड़ी जा सकती है, स्वैच्छिक त्याग, स्वचालित समाप्ति, सरकार द्वारा वंचित ।
- नागरिकता छोड़ चुके लोगों के लिए PIO और OCI की सुविधा जिससे वह देश में बिना वीजा के आ सकतें हैं और व्यापार कर सकतें हैं। PIO कार्ड को खुद वीजा के रूप में मान्यता मिली है।

5 कालाजार या काला बुखार रोग का पश्चिम बंगाल में प्रसार

चर्चा में क्यों?

- अभी हाल ही में भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग से बताया कि पिछले एक महीने में बंगाल के ग्यारह जिलों में काला बुखार या कालाजार रोग के कम से कम 65 मामले सामने आए हैं।
- एक अनुमान के मुताबिक बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लगभग 165.4 मिलियन लोग इस बीमारी की चपेट में हैं।
- जबकि पिछली रिपोर्ट बताती है कि पश्चिम बंगाल से कालाजार रोग सामान्य रूप से खत्म हो गया है।

कालाजार या काला ज्वर रोग क्या है?

- कालाजार या विसरल लीशमैनियासिस एक प्रोटोजोआ परजीवी रोग है, जो सैंडफ्लाई(बालू मक्खी) के काटने से फैलता है। सैंडफ्लाइज भूरे रंग के होते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं। मक्खियाँ 'लीशमैनिया डोनोवानी' नामक परजीवी से संक्रमित होती हैं। इस बीमारी को 'ब्लैक फीवर' भी कहा जाता है।
- लीशमैनियासिस एक इलाज योग्य बीमा. री है।

यह बीमारी सामान्यत: तीन प्रकार की होती हैं:

1. **आँत (Visceral) का लीशमैनिया. सिस-** यह शरीर के एक से अधिक अंगों को प्रभावित करता है और यह रोग सबसे घातक होता है।
2. **त्वचीय (Cutaneous) लीशमैनिया. सिस-** यह बीमारी त्वचा पर होने वाले घावों के कारण होती है और इस के लक्षण सामान्य रूप देखने को मिलते रहते हैं।
3. **श्लेष्मत्वचीय (Mucocutaneous) लीशमैनियासिस:** इस बीमारी का सीधा सम्बन्ध त्वचा के श्लैष्मिक घावों से होता है।

रोग का विस्तार?

- इस रोग का ज्यादातर असर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में देखा जाता है।
- यह एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है जिससे भारत सहित विश्व के लगभग 100 देश प्रभावित हैं।
- नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में इस रोग के प्रभाव में उल्लेखनीय गिरावट देखी गयी है। वर्ष 2014 में इसके लगभग 9,200 मामले सामने आए थे, जबकि 2021 में इसकी संख्या गिरकर 1,276 हो गई।

कालाजार के लक्षण क्या हैं?

- कई दिनों तक अनियमित रूप से बुखार आता है।
- वजन कम होने लगता है।
- प्लीहा और यकृत दोनों बढ़ने लगते हैं।
- एनीमिया की कमी के लक्षण दिखने लगते हैं।
- त्वचा शुष्क, पतली और पपड़ीदार हो जाती है और बाल झड़ने लगते हैं।
- हल्की त्वचा वाले लोगों में, हाथ, पैर, पेट और चेहरे की त्वचा का रंग भूरा हो सकता है।

इस बीमारी के फैलने के कारण:

- जागरूकता का अभाव और व्यापक गरी. बी।

उपचार में क्या शामिल है?

- उपचार के लिए एंटी-लीशमैनियल दवाएं दी जाती हैं।
- डब्ल्यूएचओ के अनुसार कीटनाशक स्प्रे, कीटनाशक-उपचारित जालों आदि उपयोग करके आसपास के क्षेत्र में सैंडफ्लाइज की संख्या को कम करके इस रोग पर नियंत्रण किया जा सकता है।

भारत सरकार द्वारा इस बीमारी को खत्म करने के प्रयास:

- भारत सरकार ने वर्ष 2015 तक इस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ रहा। हालांकि, राष्ट्रीय काला-अजार उन्मूलन कार्यक्रम के माध्यम से मामलों की संख्या में काफी कमी आई है।
- केंद्र सरकार द्वारा दवाएं, कीटनाशक छिड़काव और तकनीकी सहायता दी गई, जबकि राज्य सरकारों द्वारा राज्य/जिला मलेरिया नियंत्रण कार्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के माध्यम से लागू किया गया था।

राष्ट्रीय कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम:

- भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2002 में वर्ष 2010 तक कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे वर्ष 2015 में पुनः संशोधित किया गया।
- भारत में कालाजार उन्मूलन के अंतर्गत उप-जिला स्तर पर प्रति 10,000 जन. संख्या में 1 मामले का लक्ष्य रखा गया।

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम:

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन इस कार्यक्रम द्वारा भारत में छह वेक्टर जनित बीमारियों- मलेरिया, डेंगू, लिम्फैटिक फाइलेरिया, कालाजार, जापानी इंसेफलाइटिस और चिकनगुनिया पर रोकथाम तथा नियंत्रण किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय

1 शंघाई सहयोग संगठन और इसकी रूपरेखा

चर्चा में क्यों?

- ईरान और बेलारूस जल्द ही चीन और रूस समर्थित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के नए सदस्य बन सकते हैं। सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद शिखर सम्मेलन में, एससीओ नेतृत्व ईरान सदस्यता के दायित्वों पर एक दस्तावेज को अपना सकता है। बेलारूस के विलय की कानूनी प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है।

एससीओ के बारे में:

- SCO की स्थापना जून 2001 में 'शंघाई फाइव' के स्थान पर की गई थी।
- एससीओ में उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल हैं।
- शंघाई फाइव देश 1996 में सोवियत काल के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा, सीमा पर सैनिकों की कमी और आतंकवाद को कम करने के लिए एक साथ आए थे।
- भारत ने 2005 में समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा हासिल किया और 2017 में पाकिस्तान के साथ पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ।

लक्ष्य:

- सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और आपसी संबंधो को मजबूत करना।
- राजनीतिक, व्यापार और आर्थिक, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी और संस्कृति में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना।
- शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण में संबंधों को बढ़ाना।
- क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना और बनाए रखना ।
- एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत नई अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की स्थापना।

संरचना:

- **राज्य परिषद के प्रमुख-** एससीओ का सर्वोच्च निकाय जो अपने आंतरिक कामकाज और अन्य राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ बातचीत का फैसला करता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करता है।
- सरकार परिषद के प्रमुखों द्वारा एससीओ के भीतर बातचीत के आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर बजट को मंजूरी देता है, विचार करता है और निर्णय लेता है।
- **विदेश मंत्री की परिषद** दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है।
- **क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (RATS):** इसकी स्थापना आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने के लिए की गई थी।
- SCO सचिवालय बीजिंग चीन में स्थित है।
- **राजभाषा:** एससीओ सचिवालय की आधिकारिक कामकाजी भाषा रूसी और चीनी है।
- एससीओ के चार पर्यवेक्षक देश अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस और मंगोलिया भी हैं।

एससीओ भारत के लिए कितना प्रासंगिक है?

- एससीओ, सदस्यों को अन्य सदस्यों के साथ मतभेदों पर चर्चा को प्रोत्साहित करने के लिए मंच प्रदान करता है।
- एससीओ भारत को यूरेशियाई सुरक्षा समूह के एक अभिन्न अंग के रूप में, इस क्षेत्र में धार्मिक उग्रवाद और आतंकवाद से उत्पन्न होने वाली केन्द्रापसारक ताकतों (Centrifugal Forces) को नियंत्रित और बेअसर करने में सक्षम बनाएगा।
- तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग - ऊर्जा, व्यापार और परिवहन लिंक का निर्माण ,पारंपरिक और गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों से निपटने - को एससीओ तंत्र के माध्यम से सुगम बनाया जा सकता है।
- मध्य एशिया में भारत की आर्थिक पहुंच की नींव जो 2012 की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति पर आधारित है, जिसमें 4 सी - कामर्स, कनेक्टिविटी, कांसुलर और कम्युनिटी पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- एससीओ भारत को एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां वह चीन और पाकिस्तान दोनों को एक क्षेत्रीय संदर्भ में रचनात्मक रूप से शामिल कर सकता है और भारत के सुरक्षा हितों को मजबूत कर सकता है।
- एससीओ एक ऐसा समूह है जो नई दिल्ली को पश्चिमी दुनिया के साथ अधिक मजबूत संबंधों के लिए उपयोगी है क्योंकि यह भारत के भू-राजनीतिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक है ।

आगे की राह

- यूक्रेन और उसके आसपास सत्ता संघर्ष तेज हो गया है। यह महाशक्तियों के बीच एक वैचारिक युद्ध और छलावरण (वास्तविक रूप को छिपाना) है जिसमें सभी देशों से एक पक्ष चुनने की अपेक्षा की जाती है। वैश्विक शासन की संस्थाएं जो शांति की गारंटी देने वाली थीं, वे सीमित शक्ति साझाकरण और कार्यतंत्र के कारण विफल हो गई हैं।
- एससीओ, अफ्रीकी संघ (एयू), आसियान, सार्क, ब्रिक्स और बिम्सटेक जैसे क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका नागरिकों के जीवन और भलाई के लिए अधिक प्रासंगिक हो गई, जिसमें सतत विकास और उत्तरदायी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करना, अपराध की रोकथाम को बढ़ावा देना, अपने क्षेत्रों में सामरिक संबंधों और कानून के शासन को स्थिर करके न्याय प्रदान करना शामिल है।
- स्पष्ट रूप से, वैश्विक शासन के लिए नए विचारों की आवश्यकता है। ''अंतर-पीढ़ीगत न्याय'' की एक नई अवधारणा अधिक न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के बेहतर तरीके के रूप में आकर्षण प्राप्त कर रही है।

NOTES

पर्यावरण

1 भारत में समुद्र तटों के लिए ब्लू फ्लैग मानक

चर्चा में क्यों?

- एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के तहत, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने समुद्र तट पर्यावरण और सौंदर्य प्रबंधन सेवा (बीईएमएस) कार्यक्रम का संचालन किया है।
- इस कार्यक्रम के तहत, ब्लू फ्लैग बीच प्रमाणन के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने के उद्देश्य से चिन्हित समुद्र तटों पर प्रदूषण उन्मूलन, समुद्र तट जागरूकता, सौंदर्यशास्त्र, सुरक्षा, निगरानी सेवाओं और पर्यावरण शिक्षा आदि से संबंधित विभिन्न गतिविधियां संचालित की गई हैं।

ब्लू फ्लैग बीच

- 6 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित कुल 10 समुद्र तटों को सुरक्षा और पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ बुनियादी ढांचे, स्वीकार्य स्नान पानी की गुणवत्ता, आत्मनिर्भर ऊर्जा आपूर्ति और पर्यावरण की दृष्टि से अच्छी सेवाओं / प्रबंधन उपायों के साथ सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय समुद्र तटों के बराबर विकसित किया गया है।

भारत में समुद्र तट जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है-

1. शिवराजपुर, देवभूमि द्वारका जिला, गुजरात
2. घोघला (दीव) दादरा नगर हवेली और दमन और दीव
3. पादुबिद्री, उडुपी जिला, कर्नाटक
4. कासरकोड, कारवार जिला, कर्नाटक
5. कप्पड़, कोझीकोड जिला, केरल
6. कोवलम, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु
7. ईडन, पुडुचेरी जिला, पुडुचेरी
8. रुशिकोंडा, विशाखापत्तनम जिला, आंध्र प्रदेश
9. गोल्डन, पुरी जिला, ओडिशा
10. राधानगर (हैवलॉक), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के तहत राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर) ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट के साथ विभिन्न समुद्र तटों पर प्राप्त कूड़े (Letter) के गुणात्मक विश्लेषण किया है ।
- अध्ययनों से संकेत मिलता है कि तटों से प्राप्त कचरा पर्यटन से उत्पन्न प्लास्टिक कचरा से 40% से 96% तक भिन्न होता है।
- MoEFCC और MoES द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार, अधिकांश कचरे बंदरगाहों से सम्बंधित उच्च समुद्र तट वाले कूड़े हैं।

ब्लू फ्लैग प्रमाणन मानदंड

- ब्लू फ्लैग समुद्र तटों को दुनिया के सबसे साफ समुद्र तटों में से एक माना जाता है। यह एक ईको-टूरिज्म मॉडल है, जो पर्यटकों/समुद्र तट पर आने वालों को स्नान, सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध कराकर क्षेत्र के सतत विकास को बढ़ावा देना चाहता है।
- समुद्र तट पर लहराता 'ब्लू फ्लैग' 33 कड़े मानदंडों और समुद्र तट के अच्छे स्वास्थ्य के साथ 100% अनुपालन का संकेत है। इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है।

मानदंड 4 प्रमुख शीर्षकों में विभाजित हैं: -

1. समुद्र तटों पर सुरक्षा और सुरक्षा सेवाएं
2. पर्यावरण शिक्षा और सूचना
3. नहाने के पानी की गुणवत्ता
4. पर्यावरण प्रबंधन

ब्लू फ्लैग प्रमाणन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

- यह प्रतिष्ठित सदस्यों- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी), डेनमार्क स्थित एनजीओ फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंटल एजुकेशन (एफईई) और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन), संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) से मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय जूरी द्वारा सम्मानित किया जाता है .
- समुद्र तटों और मरीन बीचों के लिए ब्लू फ्लैग कार्यक्रम, एक अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी संगठन, फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंटल एजुकेशन द्वारा चलाया जाता है।
- ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की तरह, भारत ने भी अपना इको-लेबल 'बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज' (बीईएमएस) लॉन्च किया है।
- समुद्र तट पर्यावरण और सौंदर्यशास्त्र प्रबंधन सेवा एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (आईसीजेडएम) परियोजना के अंतर्गत आती है।
- इसे सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट (SICOM) और केंद्रीय

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) द्वारा लॉन्च किया गया था।

BEAMS कार्यक्रम का उद्देश्य:

- तटीय जल प्रदूषण को कम करना और समुद्र तट सुविधाओं के सतत विकास को बढ़ावा देना।
- तटीय पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन
- तटीय पर्यावरण और विनियमों के अनुसार स्वच्छता और समुद्र तट स्वच्छता और सुरक्षा के उच्च मानकों को मजबूत बनाना और बनाए रखना।

2 भारत ने नामीबिया से 8 चीतों को लाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया

चर्चा में क्यों?

भारत और नामीबिया की सरकारों ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत अगस्त में अफ्रीकी देश से आठ चीतों को भारत लाया जाएगा।

समझौता-ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं :

- जैव-विविधता संरक्षण, जिसमें चीते के संरक्षण पर जोर दिया गया है। साथ ही चीते को उनके पुराने इलाके में दोबारा स्थापित करना है, जहां से वे विलुप्त हो गये हैं।
- दोनों देशों में चीते के संरक्षण को प्रो.त्साहन देने के लक्ष्य के तहत विशेषज्ञता और क्षमताओं को साझा करना उनका आदान-प्रदान करना।
- अच्छे तौर-तरीकों को साझा करके वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग।
- प्रौद्योगिकियों को अपनाने, वन्यजीव इला.कों में रहने वाले स्थानीय समुदायों के लिये आजीविका सृजन तथा जैव-विविधता के सतत प्रबंधन के मद्देनजर कारगर उपायों को साझा करने के माध्यम से वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव-विविधता उपयोग को प्रोत्साहन।
- जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण सम्बन्धी शासन-विधि, पर्यावरण सम्बन्धी दुष्प्रभ.ाव का मूल्यांकन, प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन व आपसी हितों के अन्य क्षेत्रों में सहयोग।
- जहां भी प्रासंगिक हो, वहां तकनीकी विशेषज्ञता सहित वन्यजीव प्रबंधन में कर्मियों के लिये प्रशिक्षण और शिक्षा के लिये आदान-प्रदान।

चीता (एसिनोनिक्स जुबेटस):

- यह सबसे तेज भूमि स्तनपायी और एकान्त (Solitary) जानवर है जो 100+ किमी प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ सकता है।
- विश्व में चीता (अफ्रीकी चीता और एशियाई चीता) की दो उप-प्रजातियां पाई जाती हैं।

अफ्रीकी चीता (वैज्ञानिक नामः एसिनो.निक्स जुबेटस)

संरक्षण स्तर:

- प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईयूसीएन) स्थितिः संवेदनशील।
- वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES): परिशिष्ट I
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (डब्ल्यूपीए) - 1972: अनुसूची II
- जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण (सीएमएस): परिशिष्ट I

विशेषताएं:

- इनकी त्वचा थोड़ी भूरी और सुनहरी होती है जो एशियाई चीतों से मोटी होती है।
- उनके चेहरे एशियाई चीतों की तुलना में उनके चेहरे पर बहुत अधिक धब्बे और रेखाएं होती हैं।

वितरण: पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में हजारों की संख्या में पाया जाता है।

एशियाई चीता (एसिनोनिक्स जुबेटस वे. नेटिकस)

विशेषता:

- अफ्रीकी चीतों से थोड़ा छोटे होते हैं ।
- उनके शरीर के नीचे अधिक फर के साथ, विशेष रूप से पेट पर, हल्के पीले फॉन रंग की त्वचा होती है।
- अब दुनिया में केवल ईरान में 12 एशियाई चीते बचे हैं।
- ईरान में एशियाई चीता पूरी तरह सुरक्षित है। इस प्रजाति के लिए मुख्य संरक्षित क्षेत्र कविर राष्ट्रीय उद्यान, खार तोरण राष्ट्रीय उद्यान, नयाबंदन वन्यजीव शरण, बाफग संरक्षित क्षेत्र और डार अंजीर वन्यजीव शरण हैं।

संरक्षण स्तर:

- आईयूसीएन रेड लिस्ट: गंभीर रूप से संकटग्रस्त।
- CITES: परिशिष्ट 1
- डब्ल्यूपीए: अनुसूची-2

अन्य संबंधित बिंदु

- दक्षिणी अफ्रीका (दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे) में, जहां चीते प्रासंगिक पारिस्थितिकीय-जलवायु विविधता में रहते हैं। इसके मॉडल पर भारत में चीते के लिये स्थान बनाया जा रहा है। इसके तहत चीते के लिये ऐसा माहौल तैयार किया जायेगा, जो उसके अधिक से

अधिक अनुकूल हो।

- कुनो राष्ट्रीय उद्यान की वर्तमान वहन क्षमता अधिकतम 21 चीतों की है, एक बार बहाल होने के बाद बड़े परिदृश्य में लगभग 36 चीता हो सकते हैं।
- भारत में चीता पुन:स्थापित कार्यक्रम के लिए वित्तीय और प्रशासनिक सहायता एनटीसीए के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी।
- भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआई आई), राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मांसाहारी/चीता विशेषज्ञ/एजेंसियां कार्यक्रम को तकनीकी और ज्ञान सहायता प्रदान करेंगी।
- 2020 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, भारत में चीता के पुन:स्थापन की निगरानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा की जा रही है, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामित विशेषज्ञों द्वारा निर्देशित और नियंत्रित समिति है। ।

3 भारत में 5 नए रामसर स्थल

खबरों में क्यों?

भारत ने अंतरराष्ट्रीय महत्व के पांच नए आर्द्रभूमि स्थल नामित किए हैं, जिसमें तमिलनाडु में तीन आर्द्रभूमि स्थल (करीकिली पक्षी अभयारण्य, पल्लिकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव), मिजोरम में एक (पाला आर्द्रभूमि) और मध्य प्रदेश में एक आर्द्रभूमि स्थल (साख्य सागर) शामिल हैं। इस प्रकार, देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या 49 से बढ़कर 54 हो गयी है।

रामसर कन्वेंशन के बारे में

- रामसर कन्वेंशन अंतर-सरकारी संधि है जो आर्द्रभूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमानी से उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है।
- यह कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को में ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया और 1975 में लागू हुआ था। तब से, संयुक्त राष्ट्र के लगभग 90% सदस्य देश 'कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीस' बन गए हैं और कन्वेंशन के तीन स्तंभों के लिए प्रतिबद्ध हैं।

* सभी आर्द्रभूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग की दिशा में कार्य करना ।

* अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सूची वेटलैंड्स के लिए उपयुक्त आर्द्रभूमियों को नामित करना और उनका प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना ।

* सीमा पार आर्द्रभूमि, साझा आर्द्रभूमि प्रणालियों और साझा प्रजातियों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करना ।

3. आर्द्रभूमि की परिभाषा

- आर्द्रभूमि पर रामसर सम्मेलन ने आर्द्रभूमियों को मार्श, फेन, पीट, और या पानी के क्षेत्रों के रूप में परिभाषित करता है, चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम, स्थायी हो या अस्थायी, पानी के साथ स्थिर या बहने वाला, ताजा या खारा , जिसमें समुद्री जल के वे क्षेत्र भी शामिल हैं। जिसकी गहराई निम्न ज्वार स्थिति में 6 मीटर से अधिक नहीं होती है।
- आर्द्रभूमियाँ पृथ्वी की सतह के लगभग 6% भाग को कवर करती हैं, लेकिन सभी पौधों और जानवरों की प्रजातियों में से 40% आर्द्रभूमि में रहती हैं या प्रजनन करती हैं।

रामसर साइट

- रामसर साइट घोषित करने के लिए, इसे 1971 के रामसर कन्वेंशन द्वारा परिभाषित नौ मानदंडों में से कम से कम एक को पूरा करना होगा।
- ये कमजोर, संकटापन्न, या गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजातियों या संकटग्रस्त पारिस्थितिक समुदायों का समर्थन करने जैसे हैं या, यदि यह नियमित रूप से 20,000 या अधिक जल पक्षियों का समर्थन करता है या, मछलियों के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संकलित नेशनल वेटलैंड इन्वेंटरी एंड असेसमेंट का अनुमान है कि भारत की आर्द्रभूमि लगभग 152,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.63% है।
- 2/5 वें हिस्से से थोड़ा अधिक अंतर्देशीय प्राकृतिक आर्द्रभूमि हैं और लगभग एक चौथाई तटीय आर्द्रभूमि हैं।
- भारत में 19 प्रकार की आर्द्रभूमि है, जबकि गुजरात में सबसे अधिक क्षेत्रफल है, इसके बाद आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है।

मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड:

- मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमियों की सूची में ऐसे आर्द्रभूमि स्थलों का एक रजिस्टर है जिसके पारिस्थितिक चरित्र में परिवर्तन हुए हैं अथवा हो रहे हैं, या तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप होने की संभावना है।
- मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की स्थापना अनुबंधित करने वाले दलों के सम्मेलन की सिफारिश पर 1990 में की गई थी ।
- केवल उन अनुबंधित पक्षों के अनुमोदन से ही साइटों को रिकॉर्ड में जोड़ा या हटाया जा सकता है, जिनमें वे निहित हैं ।
- भारत के दो आर्द्रभूमि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान

(राजस्थान) और लोकतक झील (मणिपुर) । चिल्का झील (ओडिशा) को रिकॉर्ड में रखा गया था लेकिन बाद में इसे इससे हटा दिया गया था।

विश्व आर्द्रभूमि दिवस

- 2 फरवरी 2022, पहला वर्ष है जब 30 अगस्त 2021 को महासभा द्वारा आर्द्रभूमि पर एक प्रस्ताव अपनाए जाने के बाद, विश्व आर्द्रभूमि दिवस को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया।
- 2022 संस्करण के लिए विषय वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर है, और यह उन कार्यों के महत्व पर प्रकाश डालता है जो सुनिश्चित करते हैं कि आर्द्रभूमि संरक्षित और स्थायी रूप से उपयोग की जाती है।

4 यूरोप में हीट वेव

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में यूरोप और दुनिया के 7 देशों में 40 डिग्री से अधिक तापमान के कारण भीषण हीटवेव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है और लोग गर्मी से मर रहे हैं।

यूरोपीय देशों पर हीटवेव के क्या हैं प्रभाव?

- फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, स्पेन, ब्रिटेन, स्वीडन, बेल्जियम और ग्रीस से अधिक यूरोपीय देश बढ़े हुए तापमान, दैनिक सेवाओं मे बाधा, बड़ी संख्या में मौतें, हजारों हेक्टेयर जंगलों में आग, बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन आदि समस्याओं से प्रभावित हैं।
- इससे पहले वर्ष 2003 में भी हीट वेव का प्रभाव यूरोप में था, जिसमें 70 हजार लोगों की मौत हुई थी।

यूरोप में खतरनाक हीट वेव की क्या वजहें है?

ग्लोबल वॉर्मिंग:

- 19 वीं सदी की तुलना में पृथ्वी का 1.1डिग्री ताप बढ़ा है।

जेट स्ट्रीम:

- धरती के ऊपरी वायुमंडल में तेजी से बहने वाली हवा (जेट स्ट्रीम) ने यूरोप में तापमान को और अधिक बढाया है।

लो प्रेशर जोन:

- कम दाब वाला क्षेत्र भी गर्म हवाओं के लिए उत्तरदायी होता है। पुर्तगाल तथा स्पेन में गर्म हवाएं लो प्रेशर जोन के कारण उपस्थित हैं।

समुद्र की गर्मी:

- जलवायु परिवर्तन के चलते आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ तेजी से पिघल रही है।
- यहां की गर्मी का प्रभाव यूरोप में चल रही हवाओं में देखा जा सकता है।
- हीट वेव लंबे समय तक एक ही जगह घूमती रहती हैं, जिससे उस क्षेत्र में गर्मी और बढ़ जाती है।

मिट्टी का सूखापन:

- मिट्टी में कम नमी के कारण तापमान में वृद्धि।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) क्या कहता है हीटवेव के सन्दर्भ में?

1. अफ्रीका से बहने वाली गर्म हवाएँ यूरोपीय देशों में तापमान को बढ़ा देती हैं जिसके कारण हीटवेव उत्पन्न होती हैं।
2. जलवायु परिवर्तन के कारण इस प्रकार की अप्रत्याशित घटनाओं में वृद्धि हुई है।
3. ग्रीन हाउस गैसों की बढती सान्द्रता के कारण भी दुनिया में तापमान बढ़ रहा है।

क्या है हीट वेव?

- जब किसी इलाके में तापमान सामान्य से कहीं ज्यादा बढ़ जाए और ऐसा कई दिनों तक बना रहे, तब उसे हीट वेव कहते हैं। इस दौरान उस क्षेत्र की आर्द्रता में भी वृद्धि हो जाती है।

हीटवेव से जुड़े मानदंड:

- हीटवेव की स्थिति में प्राय: मैदानी क्षेत्रों का तापमान कम-से-कम 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों का कम-से-कम 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है।
- जब किसी क्षेत्र का तापमान 40 डिग्री से कम या उसके बराबर है, और उसके तापमान में 5 डिग्री से 6 डिग्री की वृद्धि हो जाती है तब ऐसी स्थिति को 'हीटवेव' माना जाता है।
- भीषण हीटवेव की स्थिति में तापमान 6 डिग्री से अधिक बढ़ जाता है।
- जब किसी निश्चित क्षेत्र का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहता है, तब उस क्षेत्र की हीटवेव घोषित कर दिया जाता है।

हीटवेव के दुष्परिणाम:

हीट स्ट्रेस:

- इस स्थित में मानव शरीर का वाष्पीकरण तंत्र वातावरण में बढ़ी आर्द्रता के कारण बाधित हो जाता है।

'हीट' से मृत्यु:

- गर्मी के दौरान औसत तापमान में 0.5 डिग्री की वृद्धि से मृत्यु दर बढ़ने लगती है।

हीट स्ट्रोक

- अत्यधिक तापमान तथा वातावरण में बढ़ी हुई आर्द्रता हीट स्ट्रोक उत्पन्न करती है।
- हृदय रोग, श्वसन रोग और मधुमेह आदि से पीड़ित लोगों पर हीटस्ट्रोक का खतरा अधिक बढ़ जाता है।
- शरीर में ऊर्जा की मांग बढ़ने लगती है।
- श्रमिकों तथा कार्मिकों की कार्यक्षमता तथा उत्पादकता घटने लगती है।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organisation):

- प्रमुख उद्देश्य: मानव को प्राकृतिक

आपदाओं से बचाना तथा विश्व के संपोषणीय विकास में वृद्धि करना।

- यह संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक संगठन जिसे 23 मार्च, 1950 को स्थापित किया गया है।
- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसकी सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों के पास है।
- इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
- प्रतिवर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है।
- विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2022 की थीम है: **सही समय पर सही कार्रवाही।**

5 प्रवासी मोनार्क तितली अब संकटग्रस्त: IUCN लाल सूची

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ(आईयूसीएन) ने प्रवासी मोनार्क तितली को रेड सूची में संकटग्रस्त घोषित कर दिया है।

मोनार्क तितली(Monarch Buttarfly):

- मोनार्क सभी तितली प्रजातियों में सबसे तेज उड़ने वाली और जहरीली तितली होती है।
- यह नारंगी रंग की होती है जिनकी पंखों की नसों में काली धारियाँ और किनारों पर सफेद छोटे-छोटे धब्बे होते है।
- यह तितली एक जहरीले पौधे (मिल्क वीड) का सेवन करती है।
- मोनार्क बटरफ्लाई का वैज्ञानिक नाम डैनोस प्लेक्सिपस है, जिसका अर्थ है- नींद में परिवर्तन
- इन तितलियों का जीवनकाल केवल चार से पाँच सप्ताह तक ही होता है।
- मादा मोनार्क अन्य तितलियाँ की तुलना में आकार में बड़ी होती है।
- मोनार्क तितलियों का प्रवास दूसरी कीट प्रजातियों में से सबसे लम्बा होता है।

प्रवास:

- यह भारत और विश्व के कई देशों में सामान्यत: देखने को मिल जाती है।
- मोनार्क तितलियाँ प्रवासी तितलियाँ होती हैं।
- वे संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलीफोर्निया और कनाडा से मध्य मैक्सिको के जंगलों तक 1200 और 2800 मील या इससे अधिक दूरी की यात्रा करके आस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत पहुँचती है

लुप्तप्राय के कारण:

- जलवायु परिवर्तन
- आवास विनाश
- जंगलों की कटाई
- इनके प्रवास क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप
- मिल्क वीड पौधों की कटाई
- खेती में कीटनाशकों का छिड़काव का उपयोग
- अवैध शिकार
- जंगल में लगने वाली आग

प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ(IUCN):

- प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ(IUCN) विश्व के देशों तथा उसके नागरिकों दोनों के लिए प्राकृतिक प्रजातियों को संरक्षित करने का एक संयुक्त संघ है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी।
- इसका मुख्यालय ग्लैंड(स्विटजरलैंड) में स्थित है।
- IUCN पौधों और जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के विलोपन तथा संरक्षण से सम्बंधित 'रेड लिस्ट' जारी करती है।
- IUCN रेड लिस्ट में अब 147,517 प्रजातियां शामिल हैं, जिनमें से 41,459 विलुप्त होने के कगार पर हैं।
- जलवायु परिवर्तन ने प्रवासी मोनार्क तितली को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है।
- पिछले एक दशक में इनकी संख्या 22% से 72% के बीच कम हुई है।
- WWF (World Wide Fund) के अनुसार पिछले दो दशक में 90% की दर से इनकी संख्या कम हुई है।
- कनाडा ने वर्ष 2016 में मोनार्क तितलियों की विलुप्त होती प्रजाति को IUCN रेड सूची में शामिल करने की मांग की थी।

क्या है रेड लिस्ट?:

- यह दुनिया की सभी ज्ञात जैविक प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति को दर्शाने वाला सबसे बड़ा सूचना का स्रोत है, इससे सभी विलुपप्त जीवों और पौधों की प्रजातियों की जानकारी ली जा सकती है।

विज्ञान एवं तकनीक

1 डार्क मैटर की खोज

चर्चा में क्यों?

- अमेरिका के साउथ डकोटा राज्य में लक्स-जेपलिन (एलजेड) नाम से एक नया डार्क मैटर डिटेक्टर प्रयोग शुरू हुआ है। जो दुनिया का सबसे संवेदनशील डार्क मैटर डिटेक्टर है।
- कई भौतिक विज्ञानी दृढ़ता से मानते हैं कि ब्रह्मांड का संपूर्ण दृश्य भाग इसमें मौजूद सभी पदार्थों का केवल 5% है। शेष भाग डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है।

डार्क मैटर और उसकी मायावीपन के बारे में

- ब्रह्मांड में सभी अंत:क्रियाएं कणों पर कार्य करने वाली चार मूलभूत शक्तियों का परिणाम हैं - मजबूत परमाणु बल, कमजोर परमाणु बल, विद्युत चुम्बकीय बल और गुरुत्वाकर्षण।
- डार्क मैटर ऐसे कणों से बना होता है जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है - इसका मतलब है कि वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन के माध्यम से इंटरैक्ट नहीं करते हैं।
- ये ऐसे कण हैं जो "Dark" हैं, अर्थात् वे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं, जो कि एक विद्युत चुम्बकीय घटना है, और 'पदार्थ' क्योंकि वे सामान्य पदार्थ की तरह द्रव्यमान रखते हैं और इसलिए गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से बातचीत (interact) करते हैं।
- गुरुत्वाकर्षण बल, कण भौतिकविदों द्वारा पूरी तरह से एकीकृत और समझ में न आने के अलावा, बेहद कमजोर है।
- इसी लिए, ये कण इतनी कमजोर बातचीत करते हैं कि पता लगाने के लिए मायावी हो जाते हैं।
- ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्य ज्ञात कणों की परस्पर क्रिया डार्क मैटर कणों के संकेतों को सूचना प्रदान कर सकती है।

डार्क मैटर के अस्तित्व के पीछे भौतिक विज्ञानी का दृढ़ विश्वास।

- डार्क मैटर के पक्ष में मजबूत अप्रत्यक्ष प्रमाण हैं, और यह साक्ष्य विभिन्न स्तरों पर परिलक्षित होता है।
- सबसे कम दूरी के पैमाने पर, आकाशगंगाओं के घूर्णन पर विचार करें और यदि आप किसी भी आकाशगंगा के केंद्र से लेकर उसके रिम तक तारों को देखते हैं, तो जिस तरह से देखे गए तारों के वेग में परिवर्तन होता है, उसका ग्राफ बनाया जा सकता है।
- प्रयोगशाला में इसी फंक्शन को एक ग्राफ पर यह मानकर प्लॉट किया जाये कि केवल दृश्य पदार्थ ही वहाँ मौजूद हैं ।
- जब आप आकाशगंगा के भीतरी भाग से इसके रिम की ओर बढ़ते हैं तो तारे की गति के प्रेक्षित प्लॉट और परिकलित मान के बीच एक उल्लेखनीय अंतर होता है।
- यदि यह मान लिया जाये कि पदार्थ का एक निश्चित अंश उपस्थित है जो आकाशगंगा के बाकी तारों पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव डालता है, जिसे किसी अन्य तरीके से नहीं देखा जा सकता है, और प्लॉट की पुनर्गणना की जा सकती है, तो यह देखे गए मान के साथ सामंजस्य स्थापित हो जाता है।
- इसका मतलब है कि आकाशगंगा में एक निश्चित मात्रा में डार्क मैटर है।

अन्य दूरी पैमानों से साक्ष्य

- आकाशगंगाओं के बुलेट क्लस्टर (दो आकाशगंगा समूहों के विलय से निर्मित) का अवलोकन करके, भौतिकविदों ने अपनी गणना से पाया कि विलय के तरीके को डार्क मैटर के अस्तित्व पर विचार किए बिना पूरी तरह से समझाया नहीं जा सकता है।
- ब्रह्मांड के मानचित्रण जैसे स्लोअन डिजिटल स्काई सर्वे और ब्रह्मांड की फिलामेंटस प्रकृति के अध्ययन में भी इसी तरह के तर्क मौजूद हैं।
- इसलिए भौतिक विज्ञानी अब डार्क मैटर की अवधारणा को बहुत गंभीरता से लेते हैं।

डार्क मैटर कणों के लिए उम्मीदवार

- डार्क मैटर के लिए उम्मीदवार काल्पनिक कण होते हैं जैसे कि एक्सियन, स्टेराइल न्यूट्रिनो, कमजोर रूप से परस्पर क्रिया करने वाले बड़े कण (डब्ल्यूआईएमपी), सुपर सिमेट्रिक कण, जियोन या प्राइमर्डियल ब्लैक होल आदि।
- 'न्यूट्रिनो एक उत्कृष्ट उम्मीदवार होता यदि यह अधिक विशाल होता' हालांकि, बहुत हल्का होने के कारण, यह इस अवधारणा में फिट नहीं बैठता है।
- इन उम्मीदवारों में से एक को खोजने के लिए खोज जारी है, क्योंकि कहानी वह है जो गुरुत्वाकर्षण, सुपर समरूपता और छिपी दुनिया में एक साथ घूमती है और यह वह सामग्री है जिससे विज्ञान कथा (science fiction) बनाई जाती है।

2 स्वच्छ ऊर्जा का काला पक्ष

चर्चा में क्यों

- हम अनप्रयुक्त घोषित किए गए सौर पैनलों की पहली बड़ी लहर की ओर बढ़ रहे हैं। सौर ई-कचरे की समस्या वास्तविक है, इससे भी बुरी बात यह है कि अधिकांश मृत सौर पैनल सीधे लैंडफिल में चले जाते हैं क्योंकि उनके पुनर्चक्रण की लागत अधिक होती है।
- फेंके गए पैनल जहरीले कचरा उत्पन्न करते हैं जो संभावित रूप से लोगों को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। 2030 तक भारत के 280 GW के महत्वाकांक्षी सौर लक्ष्य के साथ, यह अनुमान है कि भारत में 2030 तक लगभग 34600 टन सौर अपशिष्ट उत्पन्न होगा।

सोलर कचरा उत्पन्न होने के कारण

राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर के अनुसार, भारत वर्तमान में सौर कचरे को इलेक्ट्रॉनिक कचरे का एक हिस्सा मानता है और इसका अलग से रेगुलेशन या हिसाब नहीं होता है।

- भारत अपनी सौर ऊर्जा स्थापना में वृद्धि कर रहा है, देश के पास उपयोग किए गए सौर पैनलों या निर्माण प्रक्रिया से होने वाले कचरे के प्रबंधन पर अभी तक कोई ठोस नीति नहीं है।
- अपनी महत्वाकांक्षी विस्तार योजनाओं के बावजूद, भारत के अधिकांश सौर पीवी विनिर्माण आयातित घटकों का उपयोग करते हैं, जो ज्यादातर चीन से प्राप्त होते हैं। जो बहुत जल्दी सोलर कचरे के रूप में तब्दील हो रहें है।
- सौर कचरे का पुनर्चक्रण करना मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता होती है। लैंडफिल बहुत अधिक सुविधाजनक है।

सौर अपशिष्ट के पुनर्चक्रण की आवश्यकता

फोटोवोल्टिक वैश्विक बिजली का केवल 3 प्रतिशत उत्पन्न करते हैं, वे दुनिया के 40 प्रतिशत टेल्यूरियम, दुनिया के 15 प्रतिशत चांदी, जस्ता, टिन, और गैलियम का उपभोग करते हैं। ये पदार्थ प्रकति में बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है।

- सौर ऊर्जा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण में न केवल एक हरित और स्वच्छ परिप्रेक्ष्य शामिल है, बल्कि संसाधन और सामग्री प्रबंधन भी शामिल है।
- भारत में दो सबसे लोकप्रिय मॉड्यूल प्रौद्योगिकियां क्रिस्टलीकृत सिलिकॉन (सी-सी) और पतली फिल्म (मुख्य रूप से कैडमियम टेल्यूराइड, सीडीटीई) हैं, जिनकी बाजार हिस्सेदारी क्रमशः 93 और 7 प्रतिशत है। दोनों तकनीकों की रिकवरी दर 85-90 प्रतिशत है।
- अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के एक अनुमान के अनुसार, सौर पैनलों से प्राप्त कच्चे माल का बाजार मूल्य 2030 तक 450 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। अतः भारत के लिए यह एक रोजगार देने का माध्यम बन सकता है साथ ही अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

संभावित समाधान

- मजबूत ई-कचरा या नवीकरणीय ऊर्जा अपशिष्ट कानून।
- पुनर्चक्रण की लागत को कम करने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश की आवश्यकता है, अक्षय ऊर्जा कचरे को कुशलता से निपटान के लिए ऊर्जा और अपशिष्ट क्षेत्र के बीच समन्वय और सौर पैनलों को लैंडफिल में समाप्त होने से बचाने के लिए अधिक पुनर्चक्रण संयंत्रों का निर्माण करना।
- सरकार SECI / DISCOMS / व परियोजना डेवलपर्स के साथ बिजली खरीद समझौते।
- लैंडफिल पर प्रतिबंध: सौर पैनल कचरा पर्यावरण के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें जहरीली धातु और खनिज होते हैं जो जमीन में रिस सकते हैं।
- रीसाइक्लिंग उद्योग को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए नए व्यापार मॉडल, प्रोत्साहन या हरित प्रमाण पत्र को प्रदान करना।
- नवीकरणीय ऊर्जा अपशिष्ट के प्रभाव को कम करने में प्रौद्योगिकी प्रगति महत्वपूर्ण होगी। उदाहरण के लिए, नए पैनल निर्माण प्रक्रिया के दौरान कम सिलिकॉन का उपयोग कम अपशिष्ट उत्पन्न करेगें।

3 इंडिया इनोवेशन इंडेक्स-2021 (भारत नवाचार सूचकांक 2021)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी किये गए भारत नवाचार सूचकांक में उत्तर प्रदेश ने अपने प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार करते हुए वर्ष 2020 में नौवें स्थान की तुलना में वर्ष 2021 में सातवीं रैंक हासिल की है।

भारत नवाचार सूचकांक- 2021

- शीर्ष 10 राज्य: 1.कर्नाटक(लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पर) 2.तेलंगाना 3.हरियाणा 4.महाराष्ट्र 5.तमिलनाडु 6.पंजाब 7. उत्तर प्रदेश 8.केरल 9.आंध्र प्रदेश 10.झारखंड
- पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर प्रथम स्थान पर, वहीं उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है
- केंद्रशासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले स्थान पर तथा दिल्ली दूसरे स्थान पर है।
- नीति आयोग द्वारा जारी यह तीसरा सूचकांक है, इसके पहले और दूसरे संस्करण को क्रमश: अक्टूबर, 2019 और जनवरी, 2021 में जारी किया गया था।
- इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 देश को एक नवाचार-संचालित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए भारत सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता का साक्षी है।

NE and Hill states

States	III 2021	Rank
Manipur	19.37	1
Uttarakhand	17.67	2
Meghalaya	16.00	3
Arunachal Pradesh	15.46	4
Himachal Pradesh	14.62	5
Sikkim	13.85	6
Mizoram	13.41	7
Tripura	11.43	8
Assam	11.29	9
Nagaland	11.00	10

UT and City states

States	III 2021	Rank
Chandigarh	27.88	1
Delhi	27.00	2
Andaman and Nicobar Islands	17.29	3
Puducherry	15.88	4
Goa	14.93	5
Jammu and Kashmir	12.83	6
Dadra and Nagar Haveli & Daman and Diu	12.09	7
Lakshadweep	7.86	8
Ladakh	5.91	9

Odisha	11.42	16
Chhattisgarh	10.97	17

Major States

States	III 2021	Rank
Karnataka	18.01	1
Telangana	17.66	2
Haryana	16.35	3
Maharashtra	16.06	4
Tamil Nadu	15.69	5
Punjab	15.35	6
Uttar Pradesh	14.22	7
Kerala	13.67	8
Andhra Pradesh	13.32	9
Jharkhand	13.10	10
West Bengal	12.98	11
Rajasthan	12.88	12
Madhya Pradesh	12.74	13
Gujarat	12.41	14
Bihar	11.58	15
Odisha	11.42	16
Chhattisgarh	10.97	17

उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में:

- नीति आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश ने देश में उच्चतम स्कोर (40.80) प्राप्त किया है, उसमे तकनीकी सुधार, नए स्टार्ट अप और व्यवसायों में बढ़ोत्तरी, उच्च क्लस्टर सघनता तथा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत में मैन्युफैक्चरिंग एवं सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
- उत्तर प्रदेश ने ज्ञान-प्रसार (नॉलेज डिफ्यूजन) में राष्ट्रीय औसत 5.81 से अधिक स्कोर किया है।

इंडिया इनोवेशन इंडेक्स :

यह इंडेक्स नीति आयोग और प्रतिस्पधर्त्मकता संस्थान द्वारा तैयार किया गया, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स देश के इनोवेशन इकोसिस्टम के मूल्यांकन और विकास का एक विस्तृत साधन है। यह राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को उनके नवाचार प्रदर्शन के क्रम में रखता है ताकि उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे।

- इस बार के सूचकांक में 36 संकेतकों के स्थान पर 66 संकेतकों को शामिल किया गया है जो श्रमशक्ति/मानव संसाधन, निवेश, नॉलेज वकर्स, कारोबारी माहौल, सुरक्षा एवं कानूनी वातावरण, नॉलेज-आउटपुट व नॉलेज-डिफ्यूजन जैसे प्रमुख स्तंभों में विभाजित हैं।
- यह सूचकांक भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नवाचार प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की प्रभावी तुलना करने के लिए 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तथा 9 केंद्र शासित प्रदेशों एवं शहर राज्यों में वर्गीकृत किया गया है।

नीति आयोग के बारे में

- राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है, का गठन 1 जनवरी, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से किया गया था।
- नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत ''थिंक टैंक'' है, जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। नीति आयोग, भारत सरकार के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को अभिकल्पित करने के साथ-साथ केंद्र और राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है।
- नीति आयोग की अधिशासी परिषद् प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य-क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नीति आयोग में निम्नलिखित नियुक्तियां की हैं।
- उपाध्यक्ष-डॉ.सुमन बेरी (अर्थशास्त्री)
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)-परमेश्वरन अय्यर

अर्थव्यवस्था

1 रुपये में वैश्विक व्यापार समझौता

चर्चा में क्यों?

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रुपये में निपटाने के लिए एक तंत्र स्थापित किया है 'जिससे भारत से निर्यात पर जोर देने के साथ वैश्विक व्यापार के विकास को बढ़ावा दिया जा सके और रुपये में वैश्विक व्यापारिक समुदाय की बढ़ती रुचि का समर्थन किया जा सके'।
- केंद्रीय बैंक का यह कदम यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को देखते हुए भारतीय मुद्रा पर बढ़ते दबाव के कारण लिया गया है।

तंत्र के बारे में:

- आरबीआई सर्कुलर के अनुसार, इस व्यवस्था के तहत सभी निर्यात और आयात को रुपये (INR) में मूल्यवर्गित और संचालित किया जा सकता है। 'दो व्यापारिक भागीदार देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय दर का निर्धारण बाजार आधारित अथवा केंद्रीय बैंक के माध्यम से की जा सकती है'।
- भारत में एडी (अधिकृत डीलर) बैंकों को रुपया आधारित वोस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी गई है। तदनुसार, किसी भी देश के साथ व्यापार लेनदेन के निपटान के लिए, भारत में एडी बैंक भागीदार व्यापारिक देश के संवाददाता बैंकों के विशेष रुपया आधारित वोस्ट्रो खाते खोल सकता है।
- इस तंत्र को लागू करने से पहले, प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग, मुंबई के केंद्रीय कार्यालय से पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी।

अन्य संबंधित प्रावधान:

- यह तंत्र भारतीय निर्यातकों को विदेशी आयातकों से निर्यात के बदले रुपये में अग्रिम भुगतान प्राप्त करने में सक्षम बना सकता है।
- इस व्यवस्था के माध्यम से किए गए व्यापार लेनदेन के लिए बैंक गारंटी की अनुमति फेमा के प्रावधानों और गारंटी और सह-स्वीकृति पर मास्टर निर्देश के प्रावधानों के अधीन है।
- मौजूदा फेमा प्रावधानों के अनुसार, नेपाल और भूटान को छोड़कर अंतिम निपटान मुक्त विदेशी मुद्रा में ही होना चाहिए।
- वोस्ट्रो खाते की रुपया शेष राशि का उपयोग अनुमेय (Permissible) पूंजी और चालू खाता लेनदेन, परियोजनाओं के लिए भुगतान और निर्यात/आयात अग्रिम प्रवाह प्रबंधन किया जा सकता है।
- इसे फेमा और इसी तरह के वैधानिक प्रावधान के अधीन, मौजूदा दिशानिर्देशों और निर्धारित सीमाओं के अनुसार सरकारी ट्रेजरी बिलों, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

वोस्ट्रो खाते के बारे में

- वोस्ट्रो खाता एक ऐसा खाता है जो एक विदेशी बैंक द्वारा घरेलू मुद्रा में खोला और रखरखाव किया जाता है।
- भारत के संबंध में यदि बैंक ऑफ अमेरिका भारतीय रुपये में एसबीआई के साथ अपना खाता खोलता है और फंड रखता है तो उसे एसबीआई के लिए वोस्ट्रो खाता कहा जाएगा।
- वह खाता बैंक ऑफ अमेरिका के लिए नोस्ट्रो खाता होगा लेकिन एसबीआई के लिए वोस्ट्रो खाता होगा।

महत्व

- भारत के इस कदम से निर्यात पर जोर देने के साथ वैश्विक व्यापार को बढ़ावा मिल सकेगा ।
- भारतीय रुपये में वैश्विक व्यापारिक समुदाय की बढ़ती दिलचस्पी को समर्थन मिल सकता है।
- भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान तंत्र स्थापित करने से ईरान और रूस जैसे प्रतिबंधों देशों के साथ व्यापार में आसानी होगी।
- इस कदम से विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव का जोखिम भी कम होगा, विशेष रूप से यूरो-रुपया समता को देखते हुए। यह रुपये की 100% परिवर्तनीयता की दिशा में पहला कदम साबित हो सकता है।
- ऐसे समय में जब कई देश 'एशिया ,अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में विदेशी मुद्रा की भारी कमी' का सामना कर रहे हैं, तब INR के माध्यम से आयात- निर्यात लेनदेन की अनुमति देने से हमारे निर्यातकों और आयातकों को मदद मिलेगी। यह कदम भारतीय रुपये की अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में मान्यता प्राप्त करने में सहायक होगा।
- रुपये में चल रही कमजोरी के बीच, यह कदम व्यापार के लिए रुपये के निपटान को बढ़ावा देकर विदेशी मुद्रा की मांग को कम कर सकता है।

2 एफसीआरए, एनजीओ फंडिंग से संबंधित कानून क्या है? चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने देश में स्वतंत्र रूप से कार्यरत कुछ देशी तथा विदेशी गैर-सरकारी संगठनों के लाइसेंसों को रद्द कर दिया है, और इनके कुछ महत्वपूर्ण डेटा को विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) की सूची से हटा दिया है।
- इससे सरकार पर राजनीतिक या वैचारिक कारणों से गैर-सरकारी संगठनों की मंजूरी रद्द करने या नवीनीकृत न करने के आरोप लगाये जा रहे हैं।

अभी तक कितने संगठनों का एफसीआरए पंजीकरण रद्द हुआ है?

- रिपोर्ट बताती है कि एफसीआरए तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 31 दिसंबर, 2021 तक लगभग 5,933 गैरसरकारी संगठनों का पंजीकरण रद्द कर दिया है इनमें मिशनरी आफ चौरिटी , ऑक्सफेम इंडिया और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसे संगठन शामिल हैं।

एफसीआरए कानून :

- एक ऐसा कानून जो भारत में स्वतंत्र रूप से कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी स्रोतों से प्राप्त धन पर अंकुश लगाने का काम करता है।
- एफसीआरए वर्ष 1976 में आपातकाल के दौरान संसद में पेश किया गया था जबकि वर्ष 2010 से यह प्रभावी हुआ।

कौन सी सूचनाएँ एफसीआरए की वेबसाइट पर होती हैं?

- गैर-सरकारी संगठनों के लाइसेंसों का विस्तृत डेटा।
- गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी अंशदान प्राप्त करने की पूर्व अनुमति।
- एनजीओ जिनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।
- जिनके लाइसेंस समाप्त हो गए हैं।
- गैर सरकारी संगठनों का वार्षिक रिटर्न आदि।

लाइसेंस प्राप्त करने के आधार :

- गैर सरकारी संगठन जो विदेशी धन प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें आवश्यक दस्तावेज के साथ एक निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
- पंजीकरण उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जिनके पास निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम होते हैं।
- आवेदनकर्ता से गृह मंत्रालय इंटेलिजेंस ब्यूरो के माध्यम से पूछताछ की जाती है।
- आवेदक काल्पनिक या बेनामी नहीं होना चाहिए।
- आवेदक धार्मिक आस्था से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने का दोषी नहीं होना चाहिए।
- आवेदक पर सांप्रदायिक तनाव या वैमनस्य पैदा करने का मुकदमा न चलाया गया हो।
- निधियों के दुरूपयोग का दोषी नहीं होना चाहिए।
- राजद्रोह के प्रचार में संलिप्त नहीं होना चाहिए।

एफसीआरए पंजीकरण कब स्थगित हो सकता है?

- केंद्र सरकार द्वारा किसी भी गैर-सरकारी संगठन का पंजीकरण स्थगित किया जा सकता है. स्थगन के बाद सरकार द्वारा तीन साल की अवधि के लिए उसका पंजीकरण अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, लेकिन यह निलंबन 180 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता है।
- निलंबन के दौरान संगठन द्वारा किसी भी तरह का विदेशी अनुदान नहीं लिया जा सकता और ना ही अपने पास रखे विदेशी धन का केंद्र की अनुमति के बगैर उपयोग किया जा सकता है।
- प्रतिवर्ष संगठनो को अपना वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होता है जो संगठन ऐसा करने में विफल रहते हैं, उन पर या तो भारी जुर्माना लगाया जाता है, या उनका पंजीकरण रद्द कर जाता है या फिर दोनों मान्य होते हैं ।
- किसी अप्रवासी भारतीय द्वारा दिया गया दान को विदेशी योगदान की श्रेणी में नहीं माना जाता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो भारतीय मूल का हो और उसके पास विदेशी नागरिकता हो उसका दिया गया दान विदेशी अंशदान के रूप में मान लिया जाता है।

NOTES

1. विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने ताशकंद में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया

विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन (एसस.ीओ) के विदेश मंत्रियों की बैठक में बोलते हुए ऊर्जा और खाद्य संकट का तत्काल समाधान करने का आह्वान किया है, जिसका सामना आज दुनिया कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न हुए व्यवधानों के कारण कर रही है। जयशंकर ने कहा, कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक प्रतिक्रिया में लचीलापन, आपूर्ति श्रृंखला में विविध ता के साथ-साथ व्यवस्थित बहुपक्षवाद शामिल होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद के सभी रूपों में जीरो टॉलरेंस जरूरी है। डॉ जयशंकर ने अफगानिस्तान पर भारत की स्थिति को दोहराया और गेहूं, दवाओं, टीकों और कपड़ों सहित भारत द्वारा दिए गए मानवीय समर्थन पर प्रकाश डाला। उन्होंने एससीओ के आर्थिक भविष्य के लिए चाबहार बंदरगाह की क्षमता को भी रेखांकित किया।

2. पीएम मोदी ने गांधीनगर में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक (गिफ्ट) सिटी में-

- भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज (IIBE) लॉन्च किया।
- एनएसई आईएफएससी-एसजीएक्स कनेक्ट भी लॉन्च किया।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के मुख्यालय की आधारशिला रखी।

सभा को संबोधित करते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा कि गिफ्ट सिटी को भारत और दुनिया के लिए एक एकीकृत वित्त और प्रौद्योगिकी सेवा केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि भारत अब यूएसए, यूके और सिंगापुर जैसे देशों की लीग में प्रवेश कर रहा है जो वैश्विक वित्त को दिशा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आईआईबीई के उद्घाटन के साथ, भारत न केवल सोने की कीमतों को प्रभावित कर सकता है बल्कि सोने की कीमतों को निर्धारित करने में भी भूमिका निभा सकता है।

3. सरकार तंबाकू उत्पाद पैक पर निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के नए सेट को अधिसूचित करती है

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी तंबाकू उत्पाद पैक पर निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के एक नए सेट को अधिसूचित किया है। संशोधित नियम इस साल 1 दिसंबर से लागू होंगे। मंत्रालय ने कहा, 1 दिसंबर, 2022 को या उसके बाद निर्मित या आयात किए गए या पैक किए गए सभी तंबाकू उत्पादों को पाठ्य स्वास्थ्य चेतावनी के साथ चित्र प्रदर्शित किया जाएगा कि ''तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है।'' इसमें कहा गया है कि अगले साल 1 दिसंबर के बाद निर्मित या आयात किए गए या पैक किए गए उत्पादों को पाठ्य स्वास्थ्य चेतावनी के साथ छवि प्रदर्शित करनी होगी कि तंबाकू उपयोगकर्ता कम उम्र में दुःखद मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। मंत्रालय ने कहा, सिगरेट के निर्माण, उत्पादन, आपूर्ति, आयात या वितरण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगे किसी भी व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी तंबाकू उत्पाद पैकेजों में निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी होनी चाहिए। प्रावधान का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है जिसमें सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 में निर्धारित कारावास या जुर्माना है।

4. भारत को इस वित्तीय वर्ष में अब तक का सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ.

पिछले वित्त वर्ष में भारत को अब तक का सबसे अधिक छह लाख 31 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए एक उदार और पारदर्शी नीति बनाई है। मंत्री ने कहा, विनिर्माण क्षेत्रों में एफडीआई इक्विटी प्रवाह भी पिछले वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 76 प्रतिशत बढ़कर एक लाख 58 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

5. देश ने 30 जून तक 403 गीगा वाट से अधिक बिजली उत्पादन की क्षमता स्थापित की।

इस वर्ष 30 जून तक देश में 403 गीगा वाट से अधिक बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता है। यह जानकारी बिजली मंत्री आर के सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। श्री सिंह ने कहा कि यह देश की लगभग 215.89 गीगा वाट (जीडब्ल्यू) की सर्वाधिक बिजली मांग, (जो इस साल अप्रैल के महीने में हुई थी) को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्य के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियों के वित्तीय और परिचालन बदलाव के उद्देश्य से उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) 2015 में शुरू किया था। श्री सिंह ने कहा कि आपूर्ति की औसत लागत और प्राप्त औसत राजस्व के बीच के अंतर को शून्य तक कम करना भी एक परिचालन मानक के रूप में लक्षित है।

6. कांगो में दो भारतीय शांति सैनिकों की मौत पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख से बोले पीएम मोदीः हमले की शीघ्र जांच की मांग

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (MONUSCO) में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन पर हालिया हमले पर चर्चा की, जिसमें दो भारतीय शांति सैनिक शहीद हो गए थे। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख से हमले के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए शीघ्र जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया। श्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के लिए भारत की स्थायी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया, जिसमें अब तक दो लाख पचास हजार से अधिक भारतीय शांति सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत काम किया है। 177 भारतीय शांति सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है, जो किसी भी सैन्य योगदान देने वाले देशों में सर्वाधिक है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सीमा सुरक्षा बल के दो शहीद जवानों के परिवारों के साथ-साथ सरकार और भारत के लोगों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की है।

7. मंदी के बीच लगातार दूसरी तिमाही में अमेरिकी जीडीपी में संकुचन

USA के वाणिज्य विभाग के अनुमान के अनुसार, यूएस सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2022 की दूसरी तिमाही में 0.9% की वार्षिक दर से संकुचित होगी। यह आर्थिक संकुचन की दूसरी लगातार तिमाही है, जो मंदी का एक अनौपचारिक संकेतक है। यह अनुमान फेडरल रिजर्व द्वारा इस साल दूसरी बार ब्याज दरों में 0.75 % की बढ़ोतरी के एक दिन बाद आया है, जो कई हफ्तों से 40 साल के उच्च स्तर की मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी और अब जीडीपी के आंकड़ों ने कई विश्लेषकों को मंदी की भविष्यवाणी करने के लिए प्रेरित किया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बढ़ती महंगाई के बीच दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो रही है। एक बयान में, अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्वीकार किया कि अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है लेकिन सही रास्ते पर हैं। अमेरिका इस संक्रमण के माध्यम से मजबूत और अधिक सुरक्षित होगा।

8. बांग्लादेश जनसंख्या जनगणना में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है

बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार महिलाओं की संख्या इसकी कुल आबादी में पुरुषों से अधिक है। बांग्लादेश की छठी जनगणना के प्रारंभिक परिणाम में कुल जनसंख्या कें 8.33 करोड़ महिलाएं, 8.17 करोड़ पुरुष और 12,629 ट्रान्सजेंडर दर्ज किए गए। सारांश डेटा जारी करते हुए, बांग्लादेश सांख्यिकी ब्यूरो (बीबीएस) ने खुलासा किया कि देश की कुल जनसंख्या 2011 में 14.4 करोड़ से बढ़कर 2022 में 16.51 करोड़ हो गई। बांग्लादेश ने औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.22 प्रतिशत दर्ज की, जो 2011 में 1.37% की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर के औसत से नीचे है। । जनसंख्या जनगणना से यह भी पता चला कि कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत 2011-2022 के बीच घटा है।

9. ब्रिटेन के बर्मिंघम में 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आगाज

राष्ट्रमंडल खेलों के 22वें संस्करण की शुरुआत बर्मिंघम के एलेक्जेंडर स्टेडियम में भव्य उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। कुल 2,000 कलाकारों ने बर्मिंघम के अतीत और वर्तमान की कहानी को उद्घाटित किया। उद्घाटन समारोह के दौरान एक विशाल एनिमेट्रोनिक बैल ने केंद्र में कदम रखा। बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में परेड में कुल 72 टीमों ने हिस्सा लिया। CWG उद्घाटन समारोह की परेड में पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह भारत के ध्वजवाहक थे।

इस खेल समारोह में कुल 54 देश भाग ले रहे हैं और 6,500 एथलीट 280 पदक स्पर्धाओं में भाग लेंगे। यह आयोजन 8 अगस्त तक चलेगा। 215 सदस्यीय भारतीय दल, जिसमें 111 पुरुष खिलाड़ी और 104 महिला खिलाड़ी शामिल हैं, बर्मिंघम में 15 खेल आयोजनों में भाग लेंगे।

10. भारत में फीफा अंडर -17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी के लिए सरकार ने गारंटी पर हस्ताक्षर करने की सहमति दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 के तहत फेडरेशन इंटरनेशनेल डी फुटबॉल एसोसिएशन (फीफा) की मेजबानी के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। यह टूर्नामेंट इस साल 11 से 30 अक्टूबर के बीच होना है। द्विवार्षिक युवा टूर्नामेंट का सातवां संस्करण भारत द्वारा आयोजित होने वाली पहली फीफा महिला प्रतियोगिता होगी। यह युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा और भारत में फुटबॉल के खेल को विकसित करने में मदद करेगा।

11. भारत 2025 आईसीसी महिला एकदिवसीय विश्व कप की मेजबानी करेगा

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने पुष्टि की है कि भारत 2025 ICC महिला ODI विश्व कप की मेजबानी करेगा। बांग्लादेश 2024 महिला टी 20 विश्व कप की मेजबानी करेगा, जबकि 2026 संस्करण इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। श्रीलंका ने 2027 के लिए निर्धारित महिला टी 20 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मेजबानी के अधिकार सुरक्षित कर लिए हैं, बशर्ते वह इस आयोजन के लिए क्वालिफाई करे।

12. विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास

टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चौंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन यूजीन में आयोजित प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में, नीरज चोपड़ा ने 88.13 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। ग्रेनेडियन भाला फेंकने वाले एंडरसन पीटर्स ने 90.54 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चौंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। वह पूर्व लॉन्ग जम्पर अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद दूसरे भारतीय हैं, (जिन्होंने 2003 में पेरिस में लंबी कूद में कांस्य पदक जीता था।)

13. अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस

29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य बाघों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए एक वैश्विक प्रणाली को बढ़ावा देना तथा बाघ संरक्षण के लिए जागरूकता और समर्थन बढ़ाना है। विश्व वन्यजीव कोष के अनुसार, वर्तमान में भारत में बाघों की आबादी स्थिर है या बढ़ रही है। भारत के बाघ अभयारण्य 1973 में स्थापित किए गए थे और यह प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा शासित हैं, जिसका प्रशासन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

भारत में कुल 51 टाइगर रिजर्व हैं। भारत में आयोजित 2018-19 की नवीनतम बाघ गणना के अनुसार, देश में 2,967 बाघ रहते हैं। बाघ की जनसंख्या वृद्धि दर छह प्रतिशत प्रतिवर्ष है। भारत दुनिया के 80 प्रतिशत बाघों का घर है।

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

1. आईओए रिलायंस के साथ समझौते के बाद पेरिस 2024 में पहली बार इंडिया हाउस की मेजबानी करेगा।
2. जिम्बाब्वे ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कानूनी निविदा के रूप में सोने का सिक्का (मोसी-ओ-तुन्या) लॉन्च किया।
3. IIT-मद्रास ने नीलेकणी परोपकार से 36 करोड़ के अनुदान के साथ भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए । AI4Bharat में नीलेकणी केंद्र की स्थापना की है।
4. सुप्रीम कोर्ट ने सख्त पीएमएलए प्रावधानों को बरकरार रखा और ईडी की व्यापक शक्तियों का समर्थन किया।
5. भारत के आठ प्रमुख क्षेत्रों की उत्पादन वृद्धि जून में घटकर 12.7% हो गई, जो मई में 18.1% थी, कच्चे तेल को छोड़कर सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई।
6. आरबीआई ने कार्ड डेटा भंडारण मानदंडों में ढील दी; नए मानदंड व्यापारी या उसके भुगतान एग्रीगेटर को अधिकतम चार दिनों की अवधि के लिए कार्ड डेटा को सुरक्षित करने की अनुमति देते हैं।
7. भारत ने स्वस्थ पर्यावरण के मानव अधिकार को मान्यता देने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया।
8. भारतीय नौसेना को अमेरिकी फर्म लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन से दो MH-60 बहु-मिशन हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए।
9. कैबिनेट ने बीएसएनएल के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी; बीबीएनएल (भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड) का बीएसएनएल में विलय होगा।
10. एयर इंडिया के मनोनीत सीईओ कैंपबेल विल्सन को सरकार से सुरक्षा मंजूरी मिली।
11. सरकार ने कहा है कि कंपनियां ''हर घर तिरंगा'' अभियान से जुड़ी गतिविधियों के लिए सीएसआर फंड खर्च कर सकती हैं ।
12. मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है ।
13. रक्षा मंत्रालय के iDEX-DIO ने अपने 100वें नवाचार अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।
14. विश्व डूबने से बचाव दिवस (World Drowning Prevention Day) 25 जुलाई को मनाया जाता है ।
15. Maersk ने अंतर्देशीय जलमार्गों का उपयोग करते हुए भारत और बाग्लांदेश के बीच लॉजिस्टिक सेवा शुरू की।
16. विश्व एथलेटिक्स चौंपियनशिप 2022: टोबी अमुसन ने 12.06 सेकेंड में 100 मीटर हर्डल्स गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड तोड़ा।
17. 22-24 जुलाई तक जवाहरलाल नेहरू तारामंडल, बेंगलुरु में ह्यूमन स्पेसफ्लाइट एक्सपो आयोजित किया गया।
18. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया गया।
19. लोकसभा ने अंटार्कटिक क्षेत्र में घरेलू कानूनों के अनुप्रयोग के विस्तार करने के लिए भारतीय अंटार्कटिक विधेयक पारित किया।
20. एडीबी ने 2022-23 के लिए भारत के जीडीपी विकास अनुमान को 7.5% के अपने पहले के अनुमान से घटाकर 7.2% कर दिया है।
21. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जैविक पिता (पति) की मृत्यु के बाद बच्चे की एकमात्र प्राकृतिक अभिभावक होने के नाते मां को बच्चे का उपनाम तय करने का अधिकार है।
22. एफडीआई प्रवाह के मामले में दूरसंचार क्षेत्र तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो कुल एफडीआई प्रवाह का 7% योगदान देता है, और प्रत्यक्ष रूप से 2.2 मिलियन और अप्रत्यक्ष रूप से 1.8 मिलियन रोजगार में योगदान देता है।
23. आत्मानिर्भर भारत पैकेज के तहत, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की घोषणा अचानक मांग में गिरावट के कारण एमएसएमई क्षेत्र में उत्पन्न संकट को कम करने में मदद करने के लिए की गई थी।
24. CARE ने 'खाद्य सुरक्षा और लैंगिक समानता: एक सहक्रियात्मक समझ में आने वाली सिम्फनी (Food Security and Gender Equality:A synergistic understudied symphony)' नामक एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें लैंगिक असमानता और खाद्य असुरक्षा के बीच एक वैश्विक लिंक पर प्रकाश डाला गया।
25. भारतीय सेना अपने उपग्रह संचार के लचीलेपन का परीक्षण करने के लिए अभ्यास 'स्काईलाइट' आयोजित किया ।

भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक "अशोक स्तम्भ"

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह "अशोक स्तम्भ" प्रधानमंत्री द्वारा नई संसद भवन के शीर्ष पर 11 जुलाई 2022 को अनावरण के कारण काफी सुर्खियों में रहा।
- किसी भी देश की संस्कृति एवं सभ्यता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता और स्वतंत्रता की पहचान उस देश के राष्ट्रीय प्रतीकों से की जाती है।
- इतना ही नहीं ये प्रतीक उस देश की राज्य संचालन नीति तथा बाह्य देशों से संबंधों का निर्धारण भी करते हैं।

2. नए अशोक स्तम्भ की विशेषताएं

- इस स्तंभ के शिल्पकार सुनील देवरे और लक्ष्मण व्यास हैं।
- ये स्तंभ कांस्य का बना 6.5 मीटर ऊंचा है ।
- इसका वजन 9500 किलो है।
- इसे 2000 कर्मचारियों ने मिलकर बनाया।
- यह कई चरणों की प्रक्रिया- ढलाई, मिट्टी मॉडलिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, कांस्य कास्टिंग और पॉलिशिंग के बाद तैयार हुआ है।
- सहारा देने के लिए 6,500 किलोग्राम की स्टील की संरचना का निर्माण।

लेकिन अब इस राष्ट्रीय प्रतीक की बनावट को लेकर सत्ता पक्ष एवं विपक्षी दलों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया है।

3. अशोक स्तम्भ का संदेश

- इसमें चार जानवरों को चार दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए दर्शाया गया है।
- यह बुद्ध द्वारा दिए गए पहले धर्मोपदेश की याद में बनवाया गया था, जिसे धर्मचक्रप्रवर्तन के नाम से जाना जाता है।
- यह सम्राट अशोक की युद्ध और शांति की नीति को दर्शाता है।
- इसमें चार शेर आत्मविश्वास, शक्ति, साहस और गौरव के संकेत।
- नीचे की ओर देवनागरी में लिखे 'सत्यमेव जयते' मुंडकोपनिषद का एक सूत्र है, जिसका अर्थ- सदैव सत्य की ही जीत होती है।
- इसमें चारों सिंह सभी दिशाओं में बौद्ध धर्म का प्रसार करने वाले बुद्ध के प्रतीक माने गए हैं।
- पूर्व दिशा में बना हाथी महामाया के सपने को दर्शाता है।
- पश्चिम दिशा में दौड़ता हुआ घोड़ा बुद्ध द्वारा राजसी जीवन के त्याग को दर्शाता है।
- उत्तर दिशा में बना सिंह ज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता है।
- ये दहाड़ते हुए सिंह धर्म चक्र प्रवर्तन का संदेश देते हैं।
- दक्षिण दिशा में बना बैल वृषभ राशि के उस चक्र समय को दर्शाता है, जिसमें बुद्ध का जन्म हुआ था।

4. इसके संवैधानिक प्रावधान

- 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत।
- यह महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों, मुद्राओं पर अंकित होता है।
- इस प्रतीक का उपयोग मुख्यतया संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों जैसे- राष्ट्रपति, उप. राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा उच्च अधिकारियों द्वारा ही किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय प्रतीकों के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय चिह्न (दुरुपयोग रोकथाम) कानून, 2005 बनाया गया।
- आम नागरिक द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, इसके दुरूपयोग की स्थिति में दो साल की कैद या 5 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

5. अशोक स्तंभ का इतिहास

- सम्राट अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक प्राचीन काल में 273 ई.पू. से 232 ई.पू. तक भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक था।
- अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद अपनी क्रूरता त्यागकर बौद्ध धर्म के प्रचार- प्रसार के लिए देश- विदेश में स्तूपों तथा स्तंभों का निर्माण कराया।
- सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित लगभग 45 फुट लंबा है।
- इस स्तंभ पर तीन लेख लिखे गए हैं पहला लेख अशोक के समय का ब्राह्मी लिपि में है, जबकि दूसरा लेख कुषाण काल एवं तीसरा लेख गुप्त काल का है।

6. भारत में अशोक स्तंभ के केन्द्र

- सारनाथ, इलाहाबाद, वैशाली, दिल्ली, सांची, निगाली सागर, रुम्मिनदेई, लुंबिनी (नेपाल) रामपुरवा, लौरिया, नंदनगढ़, चंपारण (बिहार) एवं अमरावती में भी अशोक के स्तंभ स्थित हैं।

मंकी पॉक्स

1. चर्चा में क्यों?

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दो साल में दूसरी बार एक वायरल प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (PHEIC) घोषित किया है। भारत में अब तक चार मामले और वैश्विक स्तर पर मंकीपॉक्स के लगभग 14,500 मामलों की पुष्टि हुई है।

2. मंकीपॉक्स

- पहली बार 1958 में डेनमार्क में 'स्टेटन्स सीरम इंस्टीट्यूट' में बंदरों में खोजा गया, मंकीपॉक्स एक जूनोटिक वायरस है जो मनुष्यों के साथ-साथ अन्य जानवरों को भी संक्रमित कर सकता है, जिसमें कृन्तकों (Rodeents) और अन्य प्राइमेट (Primate) प्रजातियां शामिल हैं।
- वर्तमान में यह वायरस कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मध्य और पश्चिम अफ्रीका में स्थानिक हो गया है।
- यह वायरस वैरियोला के समान वायरस है जो चेचक का कारण बनता है।
- इसमें चेचक के रोगियों के समान लक्षण होते हैं, हालांकि यह कम संक्रामक और कम गंभीर होता है।

3. लक्षण

- इसके लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और सुस्ती के साथ-साथ आमतौर पर चेहरे, हथेलियों, पैरों, मुंह, आंखों या जननांगों पर चकत्ते और छाले शामिल हैं।
- लक्षण आमतौर पर संक्रमण के दो सप्ताह के भीतर दिखाई देते हैं, लेकिन दो से चार सप्ताह तक रह सकते हैं। गंभीर मामले ज्यादातर बच्चों में होते हैं।
- ज्यादातर मामलों में, मंकीपॉक्स एक स्व-सीमित बीमारी है जो बिना किसी विशिष्ट उपचार के अपने आप ठीक हो जाती है।
- हालांकि, नवजात शिशुओं, छोटे बच्चों और अंतर्निहित प्रतिरक्षा की कमी वाले लोगों में गंभीर लक्षण विकसित होने का अधिक जोखिम होता है।

- रोग की प्रारंभिक अवस्था में, मंकीपॉक्स को चेचक से अलग किया जा सकता है क्योंकि लसीका ग्रंथि बढ़ जाती है।

4. वायरस संचरण

- वायरस जानवरों से इंसानों और इंसानों से इंसानों दोनों में फैल सकता है।
- वायरस का जानवर से इंसान में संचरण रक्त, तरल पदार्थ, या संक्रमित जानवरों की त्वचा के घावों के निकट संपर्क के परिणामस्वरूप हो सकता है।
- मानव-से-मानव संचरण निकट संपर्क के माध्यम से, और शरीर के स्राव, त्वचा के घावों, या मंकीपॉक्स से संक्रमित व्यक्तियों के दूषित आर्टिकल्स के माध्यम से हो सकता है।
- यौन गतिविधियों के दौरान निकट मानव संपर्क को बीमारी के वर्तमान प्रसार का एक चालक माना जाता है, जैसा कि समलैंगिक, उभयलिंगी और एमएसएम समुदायों में इसके प्रमुख प्रसार से स्पष्ट है।

5. आपातकाल की घोषणा

- WHO, PHEIC को एक ऐसी बीमारी के प्रकोप के रूप में परिभाषित करता है जो 'बीमारी के अंतरराष्ट्रीय प्रसार के माध्यम से एक सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करती है' जिसके लिए तत्काल और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है।
- यह घोषणां रोग के महामारी में बदलने से पहले उसके प्रसार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में तेजी लाने पर जोर देता है।

आपातकाल घोषित करने के तीन मानदंड:

'असाधारण घटना,'

'एक सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम का खतरा '

'संभावित रूप से एक समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।'

- पहले घोषित आपातकाल
- कोविड-19 महामारी।
- पश्चिम अफ्रीकी इबोला प्रकोप, 2014।
- लैटिन अमेरिका में जीका वायरस, 2016
- पोलियो, 2014।

6. उपचार और टीका

- मंकीपॉक्स संक्रमण के लिए कोई विशिष्ट उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है।
- अतीत में, चेचक रोधी टीके ने मंकीपॉक्स को रोकने के लिए 85% प्रभावशीलता दिखाई है।
- 1980 में दुनिया को चेचक से मुक्त घोषित कर दिया गया था, इसलिए टीका अब व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है।

पावर टैरिफ

1. चर्चा में क्यों?

हाल ही में तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्री. ब्यूशन कॉरपोरेशन (टैंजेडको) ने तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास एक रिटेल पावर टैरिफ रिवीजन याचिका दायर की जिसमें पावर टैरिफ को 10% से 35% तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया।

2. याचिका दायर करने का कारण

- बढ़ते नुकसान, बकाया ऋण और जि. सके परिणामस्वरूप ब्याज में वृद्धि का अतिरिक्त दबाव।
- जनवरी 2017 में उदय (UDAY) में शा. मिल होने के बाद भी, तमिलनाडु आप. ूर्ति की औसत लागत और प्राप्त औसत राजस्व के बीच के अंतर 2018-19 तक शून्य नहीं हो सका।
- जहाँ 2015-16 में रु. 0.6 प्रति यूनिट रहा वही 2019-20 में अंतर बढ़कर रु. 1.07 प्रति यूनिट हो गया।
- आंकड़े बताते हैं कि संचयी वित्तीय घाटा 2011-12 में रु. 18,954 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में रु. 1,13,266 करोड़ हो गया।
- राज्य सरकार ने वित्तीय सहायता के रूप में रु. 13,108 करोड़ इस वर्ष के बजट में आवंटित किया।
- आरबीआई ने बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किया है कि यदि किसी राज्य के स्वामित्व वाली बिजली उपयोगिता को ऋण प्रदान किया जाना है तो इकाई हर साल 30 नवंबर तक टैरिफ संशोधन याचिका दायर करे।

3. अन्य बिजली वितरण कम्पनियाँ:

- तमिलनाडु का मामला देश में वितरण क्षेत्र का उदाहरण है।
- नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 2021 के वित्तीय वर्ष में कुल नुकसान का अनुमान लगभग रु. 90,000 करोड़ था।
- इन संचित हानियों के कारण, DISCOMS समय पर जनरेटर को भुगतान करने में असमर्थ थे। मार्च, 2021 तक रु. 67,917 करोड़ की राशि देय थी।
- इन DISCOMS की मदद के लिए, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रु. 1,35,497 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए।
- 31 दिसंबर, 2021 तक कुल रु. 1.03

4. अन्य राज्यों की बिजली शुल्क पर स्थिति

- आंध्र प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 2 दशकों के अंतराल के बाद मार्च, 2022 में बिजली दरों में वृद्धि हुई।
- केरल में, 3 साल के अंतराल के बाद इस साल जून के अंत में वृद्धि लागू हुई।
- मार्च 2022 में, बिहार विद्युत नियामक आयोग ने एक आदेश जारी किया और 9.9% वृद्धि के प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
- पंजाब में टैरिफ में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने 1 जुलाई से घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दे रही है।
- तमिलनाडु में मई, 2016 से घरेलू उपयोग के लिए हर महीने 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है।

5. कृषि क्षेत्र में सब्सिडी

- तमिलनाडु, जो 1980 के दशक के मध्य से कृषि क्षेत्र के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति लागू किया है, ने नए कनेक्शन के लिए भी मीटर लगाने का विरोध किया है।
- कृषि और अन्य क्षेत्रों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए गुजरात को एक सफलता की कहानी के रूप में दावा किया जा रहा है।
- मणिपुर में, प्रीपेड मीटरिंग को बेहतर बिजली आपूर्ति के साथ स्थापित किया गया जिसके परिणामस्वरूप बेहतर बि. लिंग, संग्रह दक्षता के साथ-साथ कम वाणिज्यिक नुकसान हुआ।
- मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग मांग पक्ष प्रबंधन के क्षेत्र में प्रोत्साहन पैकेज लेकर आया है जोकि 5% निर्धारित किया गया है
- कई दलों का सामान्य दृष्टिकोण सत्ता हासिल करने के लिए अपने राजनीतिक एजेंडे में बिजली को एक उपकरण के रूप में प्रयोग करना है।

भुगतान में देरी और एमएसएमई

1. चर्चा में क्यों?

- पिछले कुछ वर्षों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्रों को कई झटके लगे हैं।
- विमुद्रीकरण से संक्रमण तक, वस्तु और सेवा कर से महामारी तक, एमएसएमई ने इनमें से प्रत्येक अवधि के दौरान आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान का खामियाजा उठाया है।

2. एमएसएमई की वित्तीय स्थिति :

- इसकी वित्तीय स्थिति में तनाव बना हुआ है जबकि अर्थव्यवस्था में संवृद्धि के अच्छे संकेत मिल रहे हैं।
- आरबीआई की सबसे हालिया वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के आंकड़ों से पता चला है कि एमएसएमई क्षेत्र की सकल गैर-निष्पादित संपत्ति में गिरावट आई है, लेकिन असहज रूप से उच्च बनी हुई हैं।
- मार्च 2022 के अंत में, एमएसएमई क्षेत्र में Bad Loans 9.3% बना हुआ था।
- पुनर्गठित एमएसएमई ऋण, जो कुल अग्रिमों का लगभग 2.5% है, चिंता का विषय बना हुआ है।
- व्यवधान की इन अवधि के दौरान, बड़ी फर्मों को एमएसएमई की कीमत पर लाभ हुआ है, क्रिसिल के अनुसार, देश के एक चौथाई से अधिक एमएसएमई ने महामारी के कारण बाजार हिस्सेदारी खो दी है।

3. भुगतान में देरी :

- भुगतान विलंबित (Delayed) आर्थिक क्षेत्र विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।
- भारत में एमएसएमई के विलंबित भुगतान के रूप में लगभग 10.7 लाख करोड़ रुपये अटके हुए हैं, जो वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के जीवीए (सकल मूल्य वर्धित) का 6% है।
- छोटे उद्यमों के लिए, बिक्री के प्रतिशत के रूप में विलंबित भुगतानों में पिछले कुछ वर्षों में तेज वृद्धि देखी गई है।
- निर्माण, खुदरा व्यापार और परिवहन जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों में यह समस्या अधिक विकट है।

4. भुगतान में देरी का प्रभावः

- नकदी प्रवाह प्रबंधन को जटिल बनाता है।
- कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को बढ़ाता है।
- वित्तीय स्थिति और व्यावसायिक संभा. वनाओं को प्रभावित करता है।

5. समाधानः

बाजार समाधानः

- कार्यशील पूंजी ऋण।
- व्यापार ऋण बीमा।
- चालान छूट।

नैतिक अपीलः

- बड़े खरीदारों से समय पर भुगतान करने के अपने दायित्व का सम्मान करने की अपील।
- जबकि वे कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, वे संभावित रूप से पारिस्थितिकी तंत्र में चूककर्ताओं पर प्रेरक दबाव बनाते हैं जहां ब्रांड प्रतिष्ठा व्यावसायिक परिणामों को प्रभावित करती है।

कानून और विनियमः

- कानून उन दिनों की अधिकतम संख्या को परिभाषित कर सकते हैं जिनके भीतर आपूर्तिकर्ताओं को वस्तु और सेवाओं की डिलीवरी के बाद भुगतान आवश्यक हो और देरी होने पर दंडित किया जाये ।

एमएसई फंडः

- सूक्ष्म और लघु इकाइयों के लिए कार्यशील पूंजी की निरंतरता निर्बाध रहे , इसके लिए एक स्थायी एमएसई फंड बनाया जा सकता है।

सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (एमएसईएफसी) द्वारा आदेश पारित करने के बाद एमएसई इकाइयों के उद्यमियों को भुगतान करने के लिए निधि का उपयोग किया जा सकता है।

6. निष्कर्षः

- यह देखते हुए कि एमएसएमई भारत की श्रम शक्ति के एक बड़े हिस्से को रोजगार देते हैं, और बड़ी अर्थव्यवस्था के आपूर्तिकर्ता भी हैं, उनके वित्तीय संकट के दूरगामी परिणाम हैं।
- इसीलिए उनकी परेशानी को कम करने के लिए उचित कदम उठाया जाना चाहिए।

- अन्य देशों के अनुभवों से, विलंबित भुगतानों से निपटने में कोई एकल समाान सफल नहीं रहा है, लेकिन इन समाधानों का एक संयोजन विलंबित भुगतानों को बढ़ावा दे सकता है और एमएसएमई के फलने-फूलने और बढ़ने के लिए एक वातावरण तैयार कर सकता है।

म्यांमार में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की हत्या

1. चर्चा में क्यों?

- 25 जुलाई को म्यांमार में जुंटा सरकार द्वारा चार लोकतंत्र के कार्यकर्ताओं को फांसी दी गयी। जुंटा के प्रवक्ता ने फांसी को लोगों के लिए न्यायपूर्ण बताया। म्यांमार में तख्तापलट के बाद, आंग सान सू की सहित कई नेता गिरफ्तार किए गए और अभी भी हिरासत में हैं।

2. नवीनतम घटनाक्रम

- चार में से दो कार्यकर्ताओं की पहचान '88 आंदोलन' के अनुभवी 'को जिमी' और दूसरा एक रैपर, हिप-हॉप कलाकार और पूर्व सरकार के सदस्य 'को फ्यो जेया थाव' के रूप में की गई है।
- संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता के अनुसार, जब से जुंटा सत्ता में आई है, 1500 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 12000 को हिरासत में लिया गया है।
- देश के अंदर और बाहर से वैधता प्राप्त करने में विफल रहने के लिए जुंटा के भीतर भी बेचौनी बढ़ने लगी है।
- जुंटा एक प्रतिरोध आंदोलन, जातीय संघर्ष, आतंकवादी हमले और असफल अर्थव्यवस्था से जूझ रही है।
- विश्व बैंक के अनुसार सितंबर, 2021 के अंत तक देश में 18% आर्थिक संकुचन हुआ है।
- दो साल के भीतर आम चुनाव कराने के उनके वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए कुछ सैन्य और पुलिस अधिकारी भी लोकतंत्र के आंदोलन में शामिल हो गए हैं।

3. क्या मृत्युदंड शत्रुता को कम करेगा?

- दोनों कार्यकर्ता युवा प्रतीक और लोकतंत्र आंदोलन के प्रमुख नेता थे।
- आने वाले दिनों में, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि जुंटा को संभावित प्रतिशोध का सामना करना पड़े है।
- जुंटा और जातीय समूहों के बीच समीकरण अस्थिर रहने की संभावना है।

4. निष्पादन के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया

- वरिष्ठ जनरल म्यांमार की शांति और स्थिरता के लिए आसियान की पांच सूत्रीय जो सहमति हुई थी, उन्हें लागू करने में असमर्थ रहे।
- निष्पादन की निंदा व्यक्तिगत रूप से अधिक की गई है न कि दबाव के रूप में।
- न तो इन निंदाओं से और न ही अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आसियान, यूरोपीय संघ और अन्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने जुंटा पर कोई प्रभाव डाला है।
- रूस और जुंटा के सबसे पुराने सहयोगी चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जुंटा शासन का पुरजोर समर्थन किया है।
- म्यांमार में अपनी ढांचागत परियोजनाओं और निवेशों के कारण चीन का एक अपना हित है।
- चीन अपनी सीमाओं के भीतर और आसियान सदस्यों के बीच संघर्ष को टालने में भी सहयोग देने का प्रयास किया है।

5. लोकतंत्र पर निष्पादन का प्रभाव

- म्यांमार के लिए लोकतंत्र संघर्ष की कहानी बना रहा है।
- यदि फांसी के बावजूद विरोध जारी रहता है, तो जुंटा आम चुनाव कराएगी जो स्पष्ट रूप से 2011 की पुनरावृत्ति होगी।
- चुनाव के माध्यम से धांधली Tatmadaw की प्रॉक्सी यूनियन एकजुटता और विकास पार्टी सत्ता में वापस आ सकती है।

6. यूएनओ और यूएनएचआरसी की भूमिका

- संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग और एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा म्यांमार पर ऐसा कोई सख्त दबाव नहीं बनाया गया है।
- यदि विश्व के विभिन्न भागों में इस प्रकार की हत्या जारी रहती है, तो इन संस्थाओं के विरुद्ध आवाज बहुत तेज होगी और स्थिति पहले से कहीं अधिक खतरनाक और बदतर होगी।

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक को लोकसभा ने दिया कानूनी दर्जा

1. चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा द्वारा पिछले कुछ वर्षों से लंबित राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी और राष्ट्रीय डोप जांच प्रयोगशाला से जुड़े राष्ट्रीय डोपिंग-.रोधी विधेयक, 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी गयी।

एंटी डोपिंग कानून बनने के साथ ही भारत अब अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों की सूची में शामिल हो गया है।

2. विधेयक की मुख्य विशेषताएँ:

डोपिंग पर प्रतिबन्ध:

यह विधेयक सभी खेलों, एथलीटों, एथलीट सपोर्ट कर्मियों और अन्य व्यक्तियों के बीच डोपिंग को पूरी तरह से प्रतिबंधित करेगा।

उल्लंघन की सजा:

डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन की स्थिति में खिलाडी को अयोग्य ठहराया जा सकता है, जिसमें उस खिलाड़ी के पदक, अंक और पुरस्कार तो वापस लिए जा सकते हैं, साथ ही उसे निर्धारित अवधि या आजीवन भर के लिए अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है।

वैधानिक स्वरुप :

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह एजेंसी एक वैधानिक निकाय बन जायेगी।

इसकी अध्यक्षता के लिए केंद्र सरकार महानिदेशक की नियुक्त करेगी।

इसके कार्य:

एंटी डोपिंग गतिविधियों के लिए योजना बनाना, उनको लागू करना और उनकी निगरानी करना।

एंटी डोपिंग नियमों के उल्लंघन की जांच करना

एंटी डोपिंग अनुसंधान को बढ़ावा देना।

3. राष्ट्रीय एंटी डोपिंग बोर्ड:

एंटी डोपिंग से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन करने, एंटी डोपिंग को वि.नियमित करने तथा सरकार की सलाहकारी सिफारिशों को लागू करने के लिये खेल क्षेत्र में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है।

यह बोर्ड एजेंसी की गतिविधियों की निगरानी के साथ उसे निर्देशित भी करेगा।

केंद्र सरकार डोपिंग रोधी मामलों की जांच के लिए देशभर में राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित करेगी।

4. राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी विधेयक, 2021 से लाभ:

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर हो जाएगा।

खिलाड़ियों को डोप मुक्त बनाया जा सकेगा।

खिलाड़ियों के डोपिंग टेस्ट के लिए अन्य देशों पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी।

विश्वभर में भारत की साख बढ़ेगी।

इससे 'आत्मनिर्भर भारत' को बल मिलेगा।

डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं की व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

पूरे भारत, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के खिलाडियों को अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

भारत द्वारा नवंबर 2007 में अनुमोदित खेल में डोपिंग के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू हो जायेगा।

अब नाडा (NADA) को मामलों की जांच और कार्रवाही करने का अधिकार मिल जायेगा।

5. डोपिंग क्या है?

डोपिंग से मतलब ऐसे मादक पदार्थों या नशीली दवाओं से है जिनको प्रतियोगी खेलों में खिलाड़ियों द्वारा इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।

इसके इस्तेमाल से न केवल खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि उस देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि भी धूमिल होती है।

6. राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी (नाडा)

यह एक ऐसा उत्तरदायी राष्ट्रीय संगठन है जो सभी खेलों में डोपिंग विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित, समन्वय और निगरानी करने का काम करता है।

इस एजेंसी का गठन 24 नवंबर, 2005 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत किया गया था।

वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री नलिन कोहली जबकि उपाध्यक्ष श्री अभिनव मुखर्जी हैं।

उद्देश्य- डोपिंग विरोधी नियम लागू करना,

- डोप नियंत्रण कार्यक्रम को विनियमित करना,
- शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना,
- डोपिंग से जुड़े मामलों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना।

7. विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी(वाडा)

इस एजेंसी की स्थापना वर्ष 1999 में अंत.र्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा की गयी थी

इसका मुख्यालय- मॉन्ट्रियल, कनाडा में है।

वर्तमान अध्यक्ष- क्रेग रीडी (ब्रिटेन)।

ईमानदारी, जवाबदेही और उत्कृष्टता सु.निश्चित करना इस एजेंसी के मुख्य मूल्य हैं।

इसकी प्रमुख कार्य- वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, एंटी-डोपिंग क्षमताओं का विकास करना और विश्व एंटी-डोपिंग संहिता (कोड) की निगरानी करना।

विश्व एंटी-डोपिंग संहिता- यह सभी खेलों एवं देशों में डोपिंग विरोधी नीतियों का प्रमुख दस्तावेज है।

भारतीय अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र की भूमिका

1. चर्चा में क्यों?

- मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने कहा कि सरकार जल्द ही एक नई अंतरिक्ष नीति लेकर आएगी जो भारत के अपने स्पेसएक्स जैसे उपक्रमों के उदय की शुरुआत कर सकती है।
- इस कदम से उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी।
- परामर्श के उपरांत नीति को अंतिम रूप देने हेतु जल्द ही अधिकार प्राप्त प्रौद्योगिकी समूह को भेजा जाएगा।

2. अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास का महत्व

- यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ाने, कनेक्टिविटी को मजबूत करने और जलवायु से संबंधित प्रभावों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए फायदेमंद होगा।
- उपग्रह मौसम के पूर्वानुमान पर अधिक सटीक जानकारी प्रदान करते हैं और किसी क्षेत्र की जलवायु में दीर्घकालिक रुझानों का आकलन करते हैं।
- वे भूकंप, सुनामी, बाढ़, जंगल की आग, खनन आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ वास्तविक समय की निगरानी और पूर्व-चेतावनी समाधान के रूप में भी काम कर सकते हैं।
- रीयल-टाइम ट्रैकिंग भी रक्षा क्षेत्र में कई उद्देश्यों की पूर्ति कर सकती है।
- जहां तक कनेक्टिविटी का सवाल है, उपग्रह संचार अधिक दूरदराज के क्षेत्रों में पहुंच सकता है जहां पारंपरिक नेटवर्क के लिए एक भारी मजबूत बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी।
- विश्व आर्थिक मंच ने कहा कि उपग्रह संचार दुनिया की 49% असंबद्ध आबादी को जोड़ने में मदद करता है।
- अन्य प्रमुख श्रेणियों में अंतरिक्ष यान और उपकरण निर्माण शामिल हैं।

3. वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की भूमिका

- स्पेसटेक एनालिटिक्स के अनुसार, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छठा सबसे बड़ा प्लेयर है, जिसके पास दुनिया की 3.6 फीसदी स्पेस-टेक कंपनियां हैं।
- यू.एस. स्पेस-टेक इकोसिस्टम में सभी कंपनियों का 56.4% शेयर के साथ अग्रणी स्थान रखता है।
- अन्य प्रमुख खिलाड़ियों में यूके (6.5%), कनाडा (5.3%), चीन (4.7%) और जर्मनी (4.1%) शामिल हैं।
- 2019 में भारतीय अंतरिक्ष उद्योग का मूल्य $7 बिलियन था और 2024 तक $50 बिलियन तक बढ़ने की संभावना है।
- देश की विशिष्ट विशेषता इसकी लाग.त-प्रभावशीलता है।
- भारत अपने पहले प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश होने का गौरव रखता है।
- जैसे-जैसे अंतरिक्ष उपग्रहों के अधिक प्रयोग वाला होता जाएगा, प्रौद्योगिकी इस प्रकार अंतरिक्ष कबाड़ (waste) के प्रबंधन में मदद करेगी।
- यू.एस. और कनाडा 2021 में अंतरिक्ष से संबंधित निवेश के उच्चतम प्राप्तकर्ता थे।
- अंतरिक्ष विभाग को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत का कुल बजटीय आवंटन रु. 13,700 करोड़ था।

4. भारत में निजी क्षेत्र की भागीदारी

- भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) की स्थापना जून 2020 में की गई थी।
- एक निरीक्षण और नियामक निकाय के रूप में यह प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता और सुविधाओं को मुफ्त में साझा करने की पेशकश करने के लिए जिम्मेदार है।
- इसरो IN-SPACe के इंटरफेस तंत्र के माध्यम से गुणवत्ता और विश्वसनीयता प्रोटोकॉल, दस्तावेजीकरण और परीक्षण से संबंधित मामलों में अपनी विशेषज्ञता साझा करता है।
- इसके अतिरिक्त, मार्च 2019 में गठित, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) को इसरो द्वारा विकसित परिपक्व प्रौद्योगिकियों को भारतीय उद्योगों में स्थानांतरित करने का अधिकार है।
- दीर्घावधि में निजी क्षेत्र की भागीदारी, अन्य वाणिज्यिक क्षेत्रों की तरह, निवेश और विशेषज्ञता को बढ़ाने में मदद करने के लिए माना जाता है जो पूंजी-गहन और उच्च प्रौद्योगिकी की मांग करता है।

5. आगे का रास्ता

- अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार निजी कंपनियों को उपग्रहों के प्रक्षेपण और अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं में समान अवसर प्रदान करने के इरादे से किया गया था।
- मुख्य विचार उनके लिए एक पूर्वानुमेय नीति और नियामक वातावरण लाना था। उनकी क्षमताओं में सुधार के लिए इसरो सुविधाओं और परिसंपत्तियों तक पहुंच प्रदान करता है।

मुख्य परीक्षा विशेष

राजव्यवस्था, संविधान, शासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सामाजिक न्याय

01. दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने एक संघीय आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के गठन की सिफारिश की जिसके आधार पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी अस्तित्व में आई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां क्या हैं? 2019 में एनआईए अधिनियम में संशोधन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? विस्तार से बताइए।

उत्तरः

भारत में मुख्य आतंकरोधी कार्यबल राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008, जिसे भारतीय संसद ने मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद 31 दिसंबर, 2008 को मंजूरी दी, के तहत इसे गठित किया गया।

एनआईए की भूमिकाएं और जिम्मेदारी-

1. यह एक केंद्रीय संगठन है जो अपराधों की जांच करता है और उन पर मुकदमा चलाता हैः इनमें-
   (i) भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के साथ-साथ राज्य की सुरक्षा और अन्य देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों को प्रभावित करते हैं।
   (ii) नकली भारतीय मुद्रा से संबंधित।
   (iii) परमाणु और परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अपराध शामिल हैं।
2. यह प्राथमिक केंद्रीय आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी भी है।
   (i) यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है।
   (ii) इसके पास राज्य सरकारों की सहमति के बिना कई राज्यों में आतंकवाद से जुड़े अपराधों की जांच करने का अधिकार है।
3. यदि एनआईए अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध अपराधों में से किसी से संबंधित मामला दर्ज किया गया है, तो राज्य सरकार केंद्र सरकार से जांच एनआईए को सौंपने का आग्रह कर सकती है।
4. भारत में कहीं भी कोई सूचीबद्ध अपराध एनआईए द्वारा जांच को अपने हाथ में लेने के केंद्र सरकार के आदेश के अधीन हो सकता है।

2019 में एनआईए अधिनियम में संशोधन द्वारा किए गए परिवर्तन-

2008 के राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम में तीन प्रमुख संशोधन किए गए हैं।

1. **एनआईए द्वारा जांच किए जाने वाले कार्यक्षेत्र का विस्तारः** एनआईए को साइबर आतंकवाद, नकली धन, अवैध हथियारों के उत्पादन या बिक्री, मानव तस्करी और 1908 के विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के खिलाफ अपराधों सहित अन्य अपराधों को देखने की अनुमति देना।
2. **अधिकार क्षेत्र में बदलावः** एनआईए अधिकारी भारत के बाहर किए गए अपराधों की जांच भी कर सकते हैं।
3. **ट्रायल कोर्ट से संबंधितः** पहले के एक्ट ने केंद्र को एनआईए के ट्रायल (मुकदमों)के लिए विशेष अदालतें गठित करने की अनुमति दी थी। संशोधन ने केंद्र सरकार को ऐसे ट्रायल के लिए सत्र अदालतों को विशेष अदालतों के रूप में नामित करने में सक्षम बनाया।

एनआईए अधिनियम ने जांच अधिकारियों के साथ-साथ भारत सरकार को भी पर्याप्त शक्ति प्रदान की है ताकि आतंकवाद और उससे संबंधित अपराधों की जांच में कोई अनुचित बाधा उत्पन्न न हो। यह न्यायपालिका की मदद से राज्य और संघीय सरकार को सुसंगत रूप से काम करने के लिए एकमत दृष्टिकोण देता है।

02. भारत में एकल आधिकारिक भाषा और कई राष्ट्रीय भाषाओं पर बहस की जटिल प्रकृति को चित्रित करें। अनुच्छेद 351 में परिकल्पित हिन्दी भाषा के विकास के निर्देश में निहित भावना क्या है? विस्तार से बताइए।

उत्तरः

हिंदी को भारत की ''राष्ट्रीय भाषा'' माना जाना चाहिए या नहीं, इस पर बहस उस समय से है जब संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था। हाल के दिनों में इस बहस को प्रमुखता मिली है।

एकल आधिकारिक भाषा और कई राष्ट्रीय भाषाओं पर बहस-

संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार, देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में नामित किया गया है। आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, भारतीय अंकों को उनके अंतरराष्ट्रीय रूप में लिखा जाता है। हालांकि, संविधान सभा की वार्ता के दौरान यह तय किया गया था कि अंग्रेजी का उपयोग अतिरिक्त 15 वर्षों के लिए किया जाएगा जिसे आगे भी विस्तारित किया गया।

एकल आधिकारिक भाषा के विरोध में तर्क-

1. भारत एक बहुभाषी समाज होने के कारण, हिंदी को अनिवार्य बनाने पर बहस जारी है। दक्षिण भारत इस संबंध में विशेष रूप से संवेदनशील है। काफी हद तक उनकी मांग को सही भी ठहराया जाता है।
2. वास्तव में, भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या केवल 44%

है, जिसमें भोजपुरी जैसी भाषाओं के बोलने वाले भी शामिल हैं। इस प्रकार, अभी भी 56% आबादी ऐसी है जो हिंदी नहीं समझ सकती है या इसमें सहज नहीं हैं।

3. यह अन्य भाषाओं और बोलियों को भी खतरे में डाल सकता है और विविधता को कम कर सकता है। राष्ट्रीय एकता लोगों की भाषायी पहचान की कीमत पर नहीं आ सकती।

एकल राजभाषा के पक्ष में तर्क-

1. यह राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक होगा और देश के शासन को आसान बनाएगा। यह राष्ट्र में वाणिज्य, व्यापार, अनुसंधान, शिक्षा, नौकरी के अवसरों आदि के क्षेत्र को लाभान्वित करेगा।
2. हिंदी दुनिया की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और इसके साथ ही भारत की राष्ट्रीय भाषा होने से यह दुनिया की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन जाएगी। भाषा का वैश्विक प्रभुत्व राष्ट्र में खुद को स्थापित करने वाली कंपनियों के लिए भाषा सीखने तथा उसमें कार्य करने को प्रेरित करेगा जिससे नागरिकों को भाषा संबंधी अड़चनों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
3. अनुच्छेद 351 केंद्र सरकार को हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति देता है।

अनुच्छेद 351 की मूल भावना-

1. अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हिंदी के विकास का प्रयास करे और आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं के रूपों और अभिव्यक्तियों को एकीकृत करे ताकि हिंदी भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी घटकों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।
2. संचार की खराब स्थिति और भारतीय भाषाओं और संस्कृतियों, विशेष रूप से दक्षिणी और पूर्वी भारत में शिक्षा की व्यापक कमी को देखते हुए, 1950 में हिंदी-संस्कृत को दी गई प्रधानता स्वीकार्य लग रही थी।
3. 8वीं अनुसूची में अन्य भाषाओं के साथ हिन्दी को आत्मसात करते हुए सभी के लिए अभिव्यक्ति का एक सामान्य माध्यम बनाने का विचार था।

भारत की कई भाषाओं और संस्कृतियों में केवल एक ईमानदार रुचि, साथ ही इन भाषाओं को बोलने वालों की गरिमा का सम्मान करने की प्रतिबद्धता, हमारे संविधान में शामिल बंधुत्व की धारणा को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। यदि एक भाषा या संस्कृति को दूसरी पर वरीयता दी जाती है, तो यह संभव नहीं है। 1965, 1948 और 1937 में पूर्वी पाकिस्तान और तमिलनाडु में भाषा थोपने के राजनीतिक नतीजों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है।

03. एक बहुसांस्कृतिक समाज होने के कारण भारत को अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की भूमिका, कार्यों और शक्तियों को बताइए। क्या आपको लगता है कि अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना वांछनीय है?

उत्तरः

परिचय

भारत 1.4 अरब लोगों का घर है जो विभिन्न जातियों और धर्मों से संबंधित हैं। यहाँ मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन आदि विभिन्न धर्मानुयायियों की पर्याप्त जनसंख्या है। प्रत्येक बहु-सांस्कृतिक समाज के पास अपने अल्पसंख्यकों को राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य अधिकारों की रक्षा तथा भेदभाव, अभियोजन, शत्रुता या हिंसा से बचाने के लिए सुरक्षा उपाय हैं।

इसी संदर्भ में संसद ने 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के रूप में एक वैधानिक निकाय स्थापित किया है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की शक्तियां और कार्य-

आयोग की शक्तियाँ-

- भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को बुलाना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना।
- किसी भी दस्तावेज की खोज करना और उसे प्रस्तुत करवाना।
- हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त करना।
- किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रति की मांग करना।
- गवाहों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

आयोग के प्रमुख कार्य-

- संघ और राज्यों के अधीन अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
- संविधान और कानूनों में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन की निगरानी करना।
- अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हेतु सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना।
- अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों को देखना और ऐसे मामलों को उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ उठाना एवं समाधान करना।
- केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के संबंध में उचित उपाय सुझाएं।
- अल्पसंख्यकों से संबंधित किसी भी मामले और विशेष रूप से उनके सामने आने वाली कठिनाइयों पर केंद्र सरकार को समय-समय पर या विशेष रिपोर्ट देना।
- कोई अन्य मामला जो केंद्र सरकार द्वारा संदर्भित किया जा सकता है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर स्थायी समिति (2017-18) ने अपनी 53 वीं रिपोर्ट में कहा कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार के मामलों से निपटने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अपनी वर्तमान स्थिति में 'लगभग अप्रभावी' है। समिति ने 'बिना किसी देरी के' निकाय को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की।

यदि संवैधानिक दर्जा दिया जाता है-

- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम होगा ,जो इसके आदेश का पालन नहीं करते हैं या उपेक्षा के दोषी पाए जाते हैं ।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग किसी अधिकारी को दो दिनों के लिए दंडित या निलंबित कर सकता है या उसे जेल भेज सकता है।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पास अधिक स्वायत्तता होगी, उसके पास स्वत: जांच करने और दीवानी न्यायालय के रूप में कार्य करने की शक्ति होगी।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में नियुक्तियों के लिए सरकार की निष्क्रियता पर ध्यान दिया जाएगा ।
- संवैधानिक स्थिति अल्पसंख्यकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करने में मदद करती है क्योंकि आयोग के पास इसके लिए अधिक अधिकार और धन होगा।

अल्पसंख्यकों पर 'सच्चर समिति' की रिपोर्ट ने उन निराशाजनक स्थितियों को बताया है जिनमें कुछ अल्पसंख्यक रहते हैं। उनके प्रति बढ़ती हिंसा और शत्रुता को देखते हुये आयोग को संवैधानिक दर्जा देना आवश्यक है ताकि वह स्वतंत्र रूप से अपना काम करे और अधिकारों तथा सुरक्षा उपायों से वंचित होने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों का निवारण कर सके।

04. भारत जैसे लोकतंत्र में, यह अपेक्षा की जाती है कि नागरिकों को लोकतांत्रिक नियमों और मानदंडों का पालन करना चाहिए। इस संबंध में, क्या मौलिक अधिकारों की तरह ही मौलिक कर्तव्यों का (विधिक) क्रियान्वयन किया जाना चाहिए?

उत्तर:

सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में 'व्यापक और अच्छी तरह से परिभाषित कानूनों' के माध्यम से देशभक्ति और राष्ट्र की एकता सहित मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए याचिका दायर की गई थी।

मौलिक कर्तव्यों को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और भाग 4(क), के तहत भारत की एकता को बनाए रखने में मदद करने के लिए सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है।

मौलिक कर्तव्य:

मूल रूप से संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर इसे 42 वें संशोधन अधिनियम 1976 ई0 के माध्यम से जोड़ा गया।

मौलिक कर्त्तव्यों का महत्व:

मौलिक कर्त्तव्य प्रकृति में अनिवार्य हैं। लेकिन इन कर्त्तव्यों के प्रत्यक्ष प्रवर्तन के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। उनके उल्लंघन को रोकने के लिए भी कोई प्रावधान नहीं है। हालाँकि मौलिक कर्त्तव्यों के महत्व को निम्नलिखित तथ्यों से समझा जा सकता है:

Fundamental Duties

Article 51-A Says that it shall be the duty of every citizen of India-

1. to abide by the constitution and respect its ideal and institutions;
2. to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;
3. to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
4. to defend the country and render national service when called upon to do so;
5. to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women;
6. to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
7. to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, and wild-life and to have compassion for living creatures;
8. to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
9. to safeguard public property and to abjure violence;
10. to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity, so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. Further, one more Fundamental duty has been added to the Indian Constitution by 86th Amendment of the constitution in 2002.
11. who is a parent or guardian , to provide opportunities for education to his child, or as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

- चूंकि अधिकार और कर्त्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए यह अपेक्षा की जाती है कि व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अपने कर्त्तव्यों का पालन करना चाहिए।
- मौलिक कर्त्तव्यों के कुछ प्रावधान डीपीएसपी (नीति निदेशक तत्वों)को बेहतर ढंग से लागू करने में मदद कर सकते हैं। **उदाहरण:** वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए मौलिक कर्त्तव्य और जीवित प्राणियों के लिए करुणा का डीपीएसपी अंतरसंबंधित हैं।
- किसी कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करते समय, यदि कोई न्यायालय यह पाता है कि वह किसी भी कर्त्तव्य को प्रभावी करना चाहता है, तो वह ऐसे कानून को 'उचित' मान सकता है।

मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की आवश्यकता:

- प्राचीन काल से 'कर्त्तव्य और धर्म' की अवधारणा भारतीय समाज में और अर्थशास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथों में सबसे आगे रही है।
- मौलिक कर्त्तव्यों के प्रवर्तन से संविधान के मौलिक अधिकारों (भाग III) और डीपीएसपी (भाग IV) में निहित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी, इससे नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से सरकार के प्रयासों में भी मदद मिलेगी।
- सुप्रीम कोर्ट में याचिका में तर्क दिया गया कि मौलिक कर्त्तव्यों का पालन न करना मौलिक अधिकारों जैसे कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 के प्रवर्तन को सीधे प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए हाल के विरोध प्रदर्शनों में सड़कों को अवरुद्ध करने और हिंसा की प्रवृत्ति दूसरों के सुरक्षित आवागमन, आजीविका और जीवन के अधिकार को प्रभावित करती है।

हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण कार्य व्यक्तिगत और नागरिक समाज के दावों को समेटना है। इसे प्राप्त करने के लिए, नागरिक को उसकी

सामाजिक और नागरिकता की जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना महत्वपूर्ण है। इसलिए, हमारे नागरिक कर्त्तव्यों के बारे में जागरूकता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारे अधिकारों के बारे में जागरूकता।

05. अनुसूचित क्षेत्र क्या हैं, और वे जनजातीय क्षेत्रों से कैसे भिन्न हैं? इन क्षेत्रों से बाहर रहने वाली जनजातियों के प्रशासन और कल्याण पर किस प्रकार के प्रावधान लागू होते हैं? विस्तार से बताइए।

उत्तरः

भारत दुनिया में सबसे बड़ी आदिवासी आबादी का निवास स्थान है। भारत में आदिवासी बहुल क्षेत्रों के शासन और सामान्य रूप से जनजातियों के कल्याण के लिए, अनुच्छेद (244-244 ए) के तहत भारतीय संविधान के भाग **X** में विशेष तंत्र बनाए गए हैं।

अनुसूचित क्षेत्रः

1. अनुसूचित क्षेत्रों को अनुच्छेद 244 (1) के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जनजातियों द्वारा बसाये गए क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया है, इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है और संविधान की पांचवीं अनुसूची में शामिल किया गया है।
2. इन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सांस्कृतिक और आर्थिक हितों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने में राज्य के साथ केंद्र सरकार की सीधी भूमिका होती है।
3. भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और कल्याण पर रिपोर्ट करने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं।
4. राज्यपाल को इन क्षेत्रों में आदिवासी आबादी के संबंध में विशेष जिम्मेदारियां और शक्तियां सौंपी जाती हैं, जिसमें राज्य सरकार को निर्देश जारी करना और अनुसूचित क्षेत्रों पर केंद्रीय या राज्य विधायिका के कृत्यों के प्रभाव को सीमित करना शामिल है
5. प्रत्येक अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति सलाहकार परिषद होती है जिसमें 20 सदस्य होते हैं।

ऐसे 10 राज्य हैं जिनमें ऐसे अनुसूचित क्षेत्र हैं:

1. हिमाचल प्रदेश,
2. राजस्थान ,
3. गुजरात,
4. मध्य प्रदेश,
5. छत्तीसगढ़,
6. झारखंड,
7. उड़ीसा,
8. महाराष्ट्र,
9. तेलंगाना,
10. आंध्र प्रदेश।

जनजातीय क्षेत्र

1. जनजातीय क्षेत्रों को अनुच्छेद 244 (2) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया है और संविधान की छठी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। ऐसे क्षेत्रों के लिए जिला या क्षेत्रीय स्वायत्त परिषदों का प्रावधान किया गया है।
2. ऐसे 4 राज्य हैं जिनमें ऐसे अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं - असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।
3. स्वायत्त जिला परिषद (एडीसी) में पांच साल की अवधि के साथ 30 सदस्य होते हैं, और जमीन, जंगल, जल आदि के संबंध में नियम और कानून बना सकते हैं।
4. क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों को प्रथागत कानूनों और विकास योजनाओं को संचालित करने के लिए व्यापक अधिकार दिए गए हैं। केंद्र सरकार इन स्वायत्त निकायों को सीधे वित्तपोषण कर सकती है।
5. जिला और क्षेत्रीय परिषदें कई विषयों पर कानून बना सकती हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्र और राज्य सरकार के कानूनों के क्रियान्वयन संबंधित कुछ प्रतिबंध हैं।

MEGHALAYA
- Khasi Hills Autonomous District Council
- Jaintia Hills Autonomous District Council
- Garo Hills Autonomous District Council

MIZORAM
- Chakma Autonomous District Council
- Lai Autonomous District Council
- Mara Autonomous District Council

TRIPURA
- Tripura Tribal Areas Autnomous District Council

ASSAM
- Dima Hasao Autonomous Council
- Karbi Anglong Autonomous Council
- Bodoland Territorial Council

इन क्षेत्रों के बाहर रहने वाले आदिवासियों का कल्याण-

ऐसे कई प्रावधान हैं जो पूरे भारत में आदिवासी आबादी को ध्यान में रखते हैं, चाहे उनका क्षेत्र कुछ भी हो।

1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (आदिवासी जनजातियों का संरक्षण) विनियमन (ANPATR), 1956 उस क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया गया था।
2. मौलिक अधिकार जैसे अनुच्छेद 14 जो सभी को समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है, अनुच्छेद 15 किसी भी नागरिक के खिलाफ लिंग, धर्म, जाति, आदि के आधार पर भेदभाव को रोकता है;
3. अनुच्छेद 46 राज्य को कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
4. स्वास्थ्य, कौशल विकास, आदिवासी उपज विपणन आदि के क्षेत्रों में सरकार द्वारा विभिन्न लक्षित योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए

गए हैं।

अनुसूचित जनजातियों (जिन्हें एसटी/आदिवासी भी कहा जाता है) की भलाई के लिए सरकार की विशेष चिंता और प्रतिबद्धता है, जो अपने सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन और सापेक्ष अलगाव के कारण एक समूह के रूप में पीड़ित हैं।

06. भारत में राष्ट्रपति चुनाव अप्रत्यक्ष चुनावों के माध्यम से होते हैं न कि प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से। इतने महत्वपूर्ण प्राधिकारी के लिए अप्रत्यक्ष चुनावों की प्रक्रिया और महत्व की व्याख्या करें?

उत्तर:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार, राष्ट्रपति राज्य का आधिकारिक प्रमुख होता है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है इसमें भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन में सम्राट के समान कार्य करता है । भारत के प्रधान मंत्री और उनकी चुनी हुई मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारी होते हैं।

राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया

- निर्वाचक मंडल में:-

1. उच्च सदन (राज्य सभा) के सभी निर्वाचित सदस्य
2. संसद के निचले सदन (लोकसभा) के निर्वाचित सदस्य
3. राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य (विधायक)
4. केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली और पुडुचेरी विधान सभा) के निर्वाचित सदस्य

- मतदान से पहले, नामांकन चरण होता है, जिसके दौरान उम्मीदवार 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की हस्ताक्षरित सूची के साथ अपना नाम प्रस्तुत करता है।
- **वोटों का मूल्य:**- राज्यसभा और लोकसभा के एक सांसद द्वारा प्रत्येक वोट का निश्चित मूल्य 708 है।
- विधायक का वोट मूल्य, जनसंख्या और विधानसभाओं की सीटों के हिसाब से अलग-अलग राज्यों में भिन्न होता है।

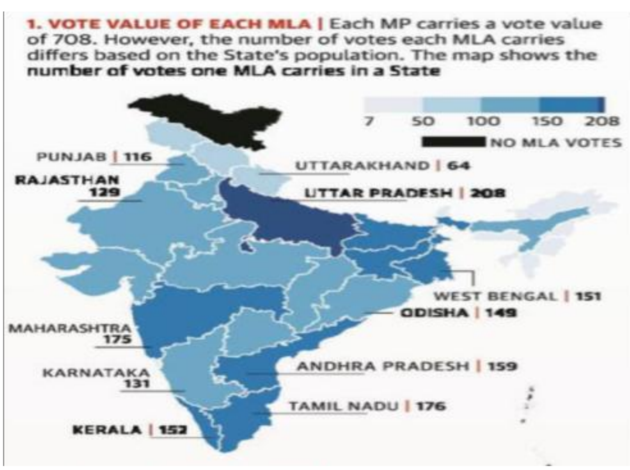

- संविधान के अनुच्छेद 55 (3) में प्रावधान है कि चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होगा और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा।
- उम्मीदवार साधारण बहुमत से जीतने के बजाय पूर्व निर्धारित संख्या में वोट प्राप्त करके जीतता है। मतगणना प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचक मंडल के पेपर मतपत्रों का मिलान किया जाता है, और एक उम्मीदवार को जीतने के लिए, उन्हें कुल वोटों का 50% + 1 प्राप्त करना होता है।

अप्रत्यक्ष चुनाव का महत्वः

- भारत में मौजूद संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली के तहत, राष्ट्रपति नाममात्र कार्यपालिका प्रमुख है और वास्तविक शक्ति प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के पास रहती है। सीधा चुनाव उनके बीच विवाद की जड़ होता।
- प्रत्यक्ष चुनाव एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसमें राज्य की विशाल मशीनरी को शामिल किया जाना है क्योंकि भारी मात्रा में धन खर्च करना संसाधनों की अनावश्यक बर्बादी होगी।
- राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से सांसदों और विधायकों के एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।
- यह सरकार के संसदीय स्वरूप की अवधारणा के अनुकूल है।
- संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग ने सुझाव दिया है कि राष्ट्रपति का पद किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरे देश का होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति को राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सबसे निष्पक्ष तरीके के रूप में स्वीकार किया गया है।

07. 17वीं लोकसभा में 43 प्रतिशत सांसदों का आपराधिक रिकॉर्ड है। इस संदर्भ में भारतीय राजनीति को अपराध से मुक्त करने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों पर चर्चा करें। राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण के संदर्भ में, हम जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को मजबूत करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं?

उत्तरः

राजनीति के अपराधीकरण का अर्थ है राजनीति में अपराधियों की भागीदारी। इसका अर्थ है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं और संसद या राज्य विधायिका के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। बढ़ता अपराधीकरण भारतीय राजनीति का एक ज्वलंत विषय रहा है।

- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), के मुताबिक वर्तमान लोकसभा में 233 सांसद आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं, 2014 में 187, 2009 में 162 और 2004 में 128 सांसद थे।

- राजनीति के अपराधीकरण का प्रभाव यह समाज में लोकतांत्रिक व्यवहार पर अंकुश लगाता है,
- कानून तोड़ने वाले लोग काले धन और बाहुबल के बल पर कानून बनाने वाले बन जाते हैं।
- यह देश की राजनीतिक प्रक्रियाओं में आम जनता के विश्वास को तोड़ता है क्योंकि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत को प्रभावित करता है।
- इन सांसदों की प्राथमिकताएं निर्वाचित होना और अपने व्यक्तिगत हितों की सेवा करना है, जो अंततः सुशासन को प्रभावित करती है। यह ईमानदार सांसदों और अन्य सिविल सेवकों के काम को भी बाधित करता है, क्योंकि उन्हें उनके ईमानदार व्यवहार के लिए दरकिनार कर दिया जाता है।
- यह सामान्य जनों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा करता है और सामाजिक सद्भाव को प्रभावित करता है

राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत प्रावधान-

- संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी दोषी सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है, यदि उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसमें उसे कम से कम 2 वर्ष के लिए कारावास हुआ हो। वह निम्नलिखित अधिनियमों में दोषी पाए जाने पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है
- विदेशी मुद्रा (विनियमन) अधिनियम,
- राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम,
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,
- आतंकवाद की रोकथाम अधिनियम
- दहेज निषेध अधिनियम
- आतंकवाद और विघटनकारी गतिविधि अधिनियम
- जमाखोरी या मुनाफाखोरी
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम,
- यौन अपराधों के लिए आईपीसी की धारा 375 के तहत घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम 2005
- कुछ भ्रष्ट आचरणः जैसे रिश्वतखोरी और चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के लिए चुनावों में धांधली करने का प्रयास अयोग्यता की ओर ले जाता है, **आरपीए अधिनियम का उल्लंघनः** धारा 10 ए, चुनाव खर्च और आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा करने की बात करता है, ऐसा न करने पर अधिनियम के तहत अयोग्य घोषित किया जा सकता है
- अधिनियम के इन प्रावधानों का अपराधीकरण को रोकने पर सीमित प्रभाव पड़ा क्योंकि पिछले कुछ दशकों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है। क्योंकि दोषसिद्धि, मुकदमों में देरी, और पर्याप्त प्रतिरोध की कमी रही।

अधिनियम को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय-

- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे उपाय शामिल हों।
- एक मौजूदा सांसद/विधायक के खिलाफ मामलों की सुनवाई विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों में की जानी चाहिए ताकि दिन-प्रतिदिन के आधार पर समय सीमा के साथ त्वरित निर्णय लिया जा सके।
- सांसदों और विधायकों की अयोग्यता के लिए सुप्रीम कोर्ट दिशानिर्देश जारी करे, यदि कानून प्रवर्तन ने उपरोक्त विधियों में अदालतों में आरोप पत्र दायर किया है।
- मौजूदा कानून के सख्त प्रवर्तन को देखा जाना चाहिए क्योंकि लंबी देरी और सक्रिय प्रतिरोध की कमी के कारण राजनीति का अपराधीकरण बढ़ रहा है।
- अधिनियम1951 में संशोधन करके, संपत्ति की घोषणा की जानी चाहिए और उम्मीदवार के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को लोक सभा की सदस्यता के लिए अयोग्यता के हिस्से के रूप में आवश्यक बनाया जाना चाहिए।
- अपराधी, व्यवसायी और राजनेता के बीच गठजोड़ का पता लगाया जाना चाहिए
- ऐसे आरोपी सांसद/विधायक के खिलाफ नोटा वोटिंग का इस्तेमाल किया जाए।
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 अपने वर्तमान स्वरूप और व्यवहार में राजनीति के अपराधीकरण के बढ़ते खतरे को रोकने में असमर्थ है। राजनीति में आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के अलावा कानूनों में संशोधन और उन कानूनों का कड़ाई से पालन करके राजनेताओं को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए ताकि आम जनता अपने राजनीतिक नेताओं को लोक तंत्र के प्रति जबाबदेह बना सके।

08. भारतीय संविधान की मूल संरचना, संविधान की मूलभूत विशेषताओं की एक सूची है। 'मूल संरचना के सिद्धांत' के विकास की विवेचना कीजिए। कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लेख कीजिए जिन्हें न्यायपालिका द्वारा मूल संरचना में शामिल किया गया है?

उत्तरः

बुनियादी संरचना का सिद्धांत विभिन्न देशों में एक कानूनी सिद्धांत है इसके अनुसार संप्रभु राज्य की विधायिका संविधान की कुछ विशेषताओं को समाप्त नहीं कर सकती है। यह सिद्धांत भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, पाकिस्तान, युगांडा, आदि में मान्यता प्राप्त है। हालांकि ''मूल संरचना'' शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है।

मूल संरचना का विकासः

यह समय के साथ संवैधानिक मामलों में न्यायिक फैसलों के माध्यम से धीरे-धीरे विकसित हुआ है, इनमें:

1. **शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (1951): SC** ने माना कि

अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियाँ इसकी घटक शक्तियाँ हैं और इसमें भाग III में दिए गए मौलिक अधिकारों **(FRs)** में संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है।

2. **सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1965):** सुप्रीम कोर्ट ने उपरोक्त दृष्टिकोण को बरकरार रखा।
3. **गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967):** सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले निर्णय को परिवर्तित कर दिया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। SC ने माना कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है क्योंकि अनुच्छेद 13 संसद की शक्तियों को प्रतिबंधित करता है और मौलिक अधिकारों को देश के शासन में 'विशिष्ट स्थिति' है।
4. **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973):** इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार मूल संरचना के सिद्धांत को संदर्भित किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि मौलिक अधिकारों सहित संविधान का कोई भी हिस्सा अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर नहीं है, लेकिन "संविधान की मूल संरचना को एक संवैधानिक संशोधन द्वारा भी निरस्त नहीं किया जा सकता है।" अनुच्छेद 368 के तहत शक्ति संशोधन करने की शक्ति है न कि नष्ट करने की शक्ति। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बताई गई कुछ बुनियादी संरचनाएं हैं - संविधान की सर्वोच्चता, भारत की एकता और संप्रभुता, सरकार का लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक रूप, संविधान का संघीय चरित्र आदि।
5. **इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975):** सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 329-ए के खंड (4) को इस आधार पर खारिज कर दिया कि 1975 में 39वें संशोधन द्वारा यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन था। 39वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव न्यायिक जांच से परे कर दिए थे।
6. **मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1980):** सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक सर्वोच्चता के सिद्धांत की पुष्टि की और 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किए गए दो बदलावों को मूल संरचना का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया।
7. **वामन राव बनाम भारत संघ (1981):** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल संरचना के सिद्धांत को 24 अप्रैल, 1973, केशवानंद भारती फैसले की तारीख से पहले किसी भी संशोधन की वैधता पर सवाल उठाने के लिए पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।
8. **इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992):** इस मामले में SC ने अनुच्छेद 16(4) के तहत ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता के दायरे और सीमा की जांच की, जिसमें कुछ शर्तें थीं: क्रीमी लेयर को आरक्षण के दायरे से बाहर रखना, पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं, और कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं। इसमें संविधान की मूलभूत विशेषताओं की सूची में विधि का शासन जोड़ा गया।
9. **एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ (1994):** सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने पर अंकुश लगाने के लिए बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को लागू किया, हालांकि संवैधानिक संशोधन का कोई सवाल ही नहीं था। SC ने माना कि संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन में राज्य सरकार की नीतियां अनुच्छेद 356 के तहत केंद्रीय शक्ति के प्रयोग के लिए एक वैध आधार होंगी।

मूल संरचना का सिद्धांत विधायी ज्यादतियों की प्रवृत्ति को रोकता है। यह संविधान को लचीलापन प्रदान करता है ताकि संविधान को विकृत करने वाले संशोधन को रद्द किया जा सके। राज्य की किसी भी शाखा द्वारा संवैधानिक अधिकार के दुरुपयोग के खिलाफ यह सुरक्षा संविधान की मूल भावना को बनाए रखने में मदद करती है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है और संशोधन इसे जीवित रहने के लिए व्यवहार्य बनाते हैं। मूल संरचना भी एक जीवंत सूची है जो समय के साथ विकसित होती है और संविधान की भावना को उलटने से रोकने का प्रयास करती है।

09. औद्योगिक खनिज भंडार की दृष्टि से विश्व में शीर्ष पाँच देशों में से एक होने के बावजूद, भारत का आयात अपने घरेलू उत्पादन का सात गुना है। भारत में खनिज अन्वेषण के विस्तार की वृहद संभावनाएँ हैं। भारत में खनिज अन्वेषण के मार्ग में कौन सी बाधाएं हैं? 'एक्सप्लोर इन इंडिया' की शुरुआत के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी प्रकाश डालें।

उत्तर:

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक जनहित याचिका **(PIL)** प्राप्त की है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम की मांग की गई है। इस कॉलेजियम में प्रधान मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हों, इसके अलावा इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के कार्यालय के लिए अधिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है।

भारतीय चुनाव आयोग-

अनुच्छेद 324 के तहत यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो संसद सदस्यों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों और राज्यों की विधानसभाओं और परिषदों के सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया को संचालित करता है।

चुनाव आयोग में नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली-

- वर्तमान में नियमों के तहत, राष्ट्रपति प्रधान मंत्री द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर सीईसी(मुख्य चुनाव आयुक्त) और ईसी (चुनाव आयुक्त)की नियुक्ति करते हैं। इस प्रकार, चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्ति राजनीतिक कार्यपालिका के पास है।
- अनुच्छेद 324(5) ने संसद को चुनाव आयोग की सेवा की शर्तों

और कार्यकाल को विनियमित करने का अधिकार दिया है।

- अनुच्छेद 324(2) राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को विनियमित करने में एक चयन समिति की स्थापना के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए अभी तक कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

चुनाव आयोग के लिए चयन समिति की आवश्यकता-

- नियुक्ति प्रक्रिया की वर्तमान प्रणाली में कमियों के कारण चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठते हैं और लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के प्रति शंकाएं उत्पन्न होती हैं।
- कई राजनीतिक दलों ने आयोग पर सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के प्रति पक्षपात का आरोप लगाया है।
- **स्वतंत्रता:** ECI एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के साथ एक अनिवार्य संवैधानिक निकाय है, और यह सत्तारूढ़ दल सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच एक अर्ध-न्यायिक कार्य भी करता है। इसे अन्य संवैधानिक निकायों के समान नियुक्तियों, सेवा शर्तों और कार्यकाल के मामलों में स्वतंत्रता होनी चाहिए।
- **आयोग के व्यय :** भारत की संचित निधि पर प्रभारित किया जाना चाहिए।
- **पारदर्शिता:** कॉलेजियम या चयन समिति नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी और इस संबंध में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन लाएगी।
- दिनेश गोस्वामी समिति ने सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति या अन्य संवैधानिक पद धारकों के एक पैनल की सिफारिश की थी।
- विधि आयोग ने चुनाव सुधारों पर अपनी 255वीं रिपोर्ट में पारदर्शिता और स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए एक चयन समिति का सुझाव दिया था।
- चुनाव आयोग में कार्यपालिका द्वारा सीईसी की नियुक्ति 'संविधान की मूल संरचना' का उल्लंघन करती है।

आगे की राह:

- भारतीय निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कानून पारित करने के मुद्दे पर संसद में बहस और चर्चा की आवश्यकता है।
- प्रभावी संचालन के लिए, ECI को भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अधिकार पर लगातार पुनर्विचार और सुधार करना चाहिए।
- भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने के लिए तथा भारत के चुनाव आयोग में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए, आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया एवं कार्यपद्धति में पारदर्शिता लाई जानी चाहिए।

भारत का चुनाव आयोग सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र सुचारू रूप से और प्रभावी ढंग से चलता रहे, इस प्रकार यह लोकतंत्र की सफलता का आधार स्तम्भ है। अतः चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार अपेक्षित है।

10. स्वस्थ लोकतंत्र के संचालन के लिए नागरिकों की भागीदारी अनिवार्य है। इस सन्दर्भ में सामाजिक जवाबदेही और उसके उपकरणों पर विस्तार से प्रकाश डालें। साथ ही सभी स्तरों पर सामाजिक जवाबदेही कानून की आवश्यकता पर भी चर्चा करें।

उत्तर:

नागरिक भागीदारी से तात्पर्य नागरिकों की, उनके जीवन को प्रभावित करने वाले राजनीतिक निर्णयों और नीतियों में व्यक्तिगत रूप से और सीधी भागीदारी से है (न कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से)। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है क्योंकि यह:

- बेहतर शासन,
- समुदायों के बीच बेहतर संवाद,
- जन जागरूकता के माध्यम से सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार,
- सार्वजनिक निकायों की क्षमता निर्माण आदि को सुनिश्चित करता है।

नागरिक भागीदारी स्वयं को सामाजिक जवाबदेही के रूप में प्रकट करती है। सामाजिक जवाबदेही सरकार की ओर से एक दायित्व और जिम्मेदारी है कि वह अपने कार्यों के लिए नागरिकों के प्रति जवाबदेह हो।

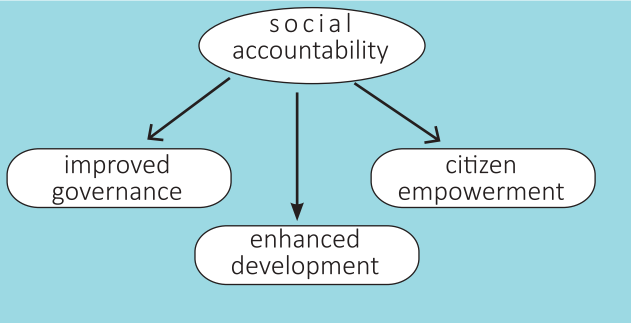

सामाजिक जवाबदेही के उपकरण:

- **सामाजिक अंकेक्षण** प्रभावी सामुदायिक निगरानी प्रक्रियाएं हैं जिनका उपयोग प्रायः लोक निर्माण कार्यक्रमों, रोजगार योजनाओं आदि में संसाधनों के उपयोग की निगरानी के लिए किया जाता है।
- **सामुदायिक स्कोर कार्ड** एक प्रभावी सामुदायिक निगरानी और नियोजन प्रक्रिया है जो स्वास्थ्य, माँ और बच्चे के विकास, या जल आपूर्ति जैसी राज्य सेवाओं के संबंध में लोगों की धारणा और कार्यक्रमों के प्रदर्शन की निगरानी करती है।
- **सहभागी बजट** वित्तीय नियोजन और प्रबंधन के लिए एक बॉटम-अप दृष्टिकोण प्रदान करता है।
- समुदाय के नेतृत्व वाली योजना और कार्यान्वयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नागरिकों को सशक्त बनाने के साथ-साथ स्वामित्व और

प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में कुछ अधिकार समुदायों को सौंपे जाते हैं।

सामाजिक जवाबदेही कानून का महत्व:

शासन में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा देश में सामाजिक जवाबदेही कानून लाने की मांग की गई है। इस कानून द्वारा :

- नागरिक अपने अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम होंगे और कानून के माध्यम से सार्वजनिक अधिकारियों को जवाबदेह ठहराकर उनकी शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निवारण किया जा सकेगा।
- यह नागरिकों को कई प्रकार की कार्रवाइयों, उपकरणों और तंत्रों के माध्यम से गुमराह करने वाले सार्वजनिक अधिकारियों और सार्वजनिक संस्थानों को उनके कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह ठहराने का अधिकार देता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि एक नागरिक को शासन के मामलों में सुनवाई का अधिकार है।
- कानून जन सुनवाई (पीपुल्स कोर्ट) के लिए एक सामूहिक मंच प्रदान करता है जो कि जनता का मंच (सार्वजनिक मंच) होगा।
- सार्वजनिक कार्यों की सूचना और रिपोर्ट अधिकारियों द्वारा अपने काम के हिस्से के रूप में नियमित रूप से जनता को प्रसारित की जाती है।

इस प्रकार, सामाजिक जवाबदेही कानून, यह सुनिश्चित करेगा कि नागरिक दिन-प्रतिदिन के शासन में सक्रिय रूप से शामिल हों, जो नागरिकों में नागरिक भावना पैदा करता है और उन्हें देश में लोकतांत्रिक संस्कृति का निर्माण करने में मदद करता है।

11. यूएनडीईएसए के अनुसार भारत में वृद्ध लोगों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 8.6% से 2050 तक कुल जनसंख्या का 20% तक बढ़ने की उम्मीद है। इस संदर्भ में भारत में बुजुर्गों के सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों और उनकी बेहतरी के लिए किये जा सकने वाले उपायों पर चर्चा कीजिए।

उत्तर:

वृद्ध भारतीय आबादी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली आबादी में से एक है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करना, उनके अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें विकास प्रक्रिया में योगदान देने में सक्षम बनाना भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए।

भारत में बुजुर्गों के सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ:

- अधिकांश बुजुर्ग आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, ये निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति (एसईएस) से संबंधित हैं, और अपने परिवारों पर निर्भर हैं।
- बुजुर्गों के लिए गुणवत्तापूर्ण, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य और देखभाल सेवाओं का अभाव है।
- कई जोखिम भरे व्यवहारों का उच्च प्रसार है जैसे कि तंबाकू और शराब का उपयोग। इसके अलावा शारीरिक निष्क्रियता भी इसका कारण है।
- पारिवारिक उपेक्षा, निम्न शिक्षा स्तर और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे।
- कौशल की कमी के कारण बुजुर्ग अर्थव्यवस्था में सक्रिय भागीदार नहीं बन पाते हैं।
- भौतिक अवसंरचना का अभाव वृद्धों को आराम प्रदान करने में एक प्रमुख बाधा है।
- अपर्याप्त कल्याणकारी योजनाएं।

बुजुर्गों की बेहतरी के लिए उठाए जाने वाले उपाय:

- सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयों के पूरक के लिए नागरिक समाज, समुदाय और परिवारों के बीच मजबूत साझेदारी आवश्यक है।
- एडॉप्शन ऑफ मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग, 2002।
- भारत को अगले कुछ दशकों के लिए बुजुर्गों की प्राथमिकता वाले दृष्टिकोण के साथ अपनी संपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल नीति की फिर से कल्पना करनी चाहिए।
- भारत को बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीएचसीई) जैसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी लाने की जरूरत है।
- बुजुर्ग-समावेशी नीतियां जो बुजुर्गों के बड़े वर्ग को कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में लाती हैं, उन्हें अंतिम मील तक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया जाएगा।

भारत को मौजूदा वैश्विक ढांचे के आधार पर समय पर कार्रवाही की जरूरत है और यह सुनिश्चित करना है कि कार्रवाई इस जनसांख्यिकीय प्रवृत्ति के पीछे नहीं होनी चाहिए। बढ़े हुए निवेश, राजनीतिक इच्छाशक्ति और डेटा तथा आंकड़ों में अंतर को दूर करना ठोस प्रतिक्रिया की कुंजी है।

12. हाल के वर्षों में भारत में नारकोटिक ड्रग का उपयोग तेजी से बढ़ा है, जिसमें पारंपरिक पौधे-आधारित नशीले पदार्थ जैसे भांग, कोकीन और हेरोइन से लेकर ट्रामाडोल जैसे सिंथेटिक अफीम तक शामिल हैं। भारत पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव क्या है? सुभेद्य जनसंख्या के बीच दवाओं के उपयोग को रोकने के लिए कुछ उपाय सुझाएं।

उत्तर:

ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी का अनुमान है कि अकेले 2017 में मादक पदार्थों ने वैश्विक स्तर पर 7.5 लाख लोगों की जान ले

ली। माना जाता है कि भारत में भी इससे 22,000 लोगों की जान चली गई थी। कुछ अनुमान दुनिया के नशीली दवाओं के व्यापार का आश्चर्यजनक मूल्य 650 अरब डॉलर रखते हैं।

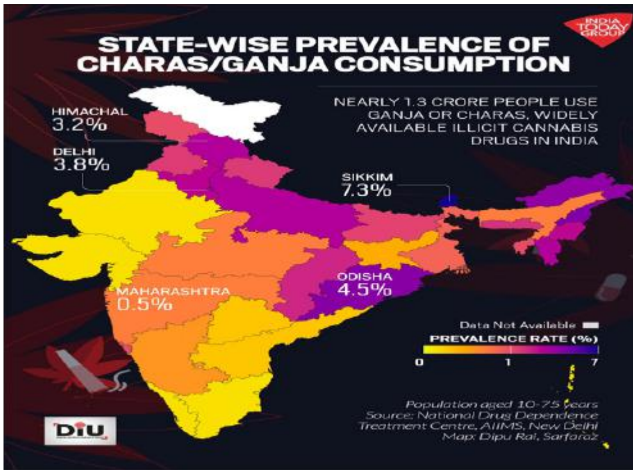

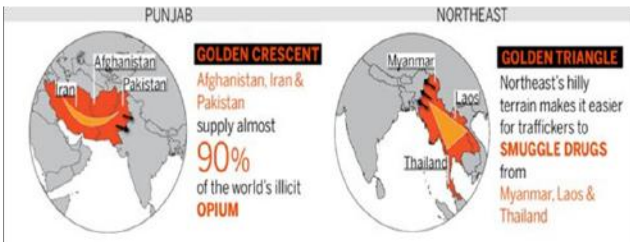

भारत पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:

1. **मनोवैज्ञानिक प्रभाव:** लंबे समय तक नशीली दवाओं के उपयोग से मानसिक बीमारियां होती हैं और इनकी आदत बनने की प्रवृत्ति होती है। इसके कई दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं। इनमें मतिभ्रम, बढ़ी हुई आक्रामकता, पैनिक डिसऑर्डर्स, चिंता और उदासी शामिल हैं।
2. **शरीर पर प्रभाव:** किसी पदार्थ का दुरुपयोग करने से अल्पकालिक शारीरिक प्रभाव भी हो सकते हैं जैसे भूख में परिवर्तन, अनिद्रा, बेचैनी, उच्च हृदय गति, धीमी आवाज, संज्ञानात्मक कार्य में परिवर्तन, उत्साह की एक संक्षिप्त भावना और समन्वय की हानि।
3. नशीली दवाओं के दुरुपयोग का एक सामाजिक प्रभाव होता है जो स्वयं व्यसनी से परे और उनके परिवारों और बड़े समाज में फैलता है। मादक द्रव्यों के सेवन वाले परिवार आपराधिक गतिविधि, अलगाव, घरेलू हिंसा और बाल शोषण या उपेक्षा सहित मुद्दों से भी जूझ सकते हैं।
4. **आर्थिक प्रभाव:** अध्ययनों के अनुसार नशीली दवाओं के उपयोग से गरीबी और पारिवारिक विघटन होता है। जिन परिवारों में मादक द्रव्यों के सेवन से व्यवधान उत्पन्न हुआ है, वहाँ गरीबी अक्सर माता-पिता से बच्चों में स्थानांतरित हो जाती है।

दुरुपयोग रोकने के उपाय:

1. भारत में नशीली दवाओं के उपयोग को रोकने का एकमात्र तरीका आंतरिक प्रवर्तन और सख्त सीमा, हवाई अड्डे और समुद्री बंदरगाह निगरानी को बढ़ाना है।
2. भांग/मारिजुआना के वैधीकरण, गैर-अपराधीकरण और व्यावसायीकरण के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है।
3. शराब और तंबाकू उत्पादों के उपयोग की तरह ही भांग के उपयोग को नियंत्रित करने और निगरानी की आवश्यकता है। इससे होने वाले खतरों को उपयुक्त तरीके से संबोधित किया जाना चाहिए, जैसे हम तंबाकू के साथ करते हैं।
4. बच्चों, युवाओं और गंभीर मानसिक समस्याओं वाले लोगों के पास पर्याप्त सुरक्षा उपाय होने चाहिए क्योंकि वे ऐसे व्यक्ति हैं जो इसके प्रभावों के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं।
5. उच्च प्राथमिक से शुरू होने वाले स्कूलों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम और नशीली दवाओं के उपयोग के स्वास्थ्य और मनोसामाजिक प्रभावों को पढ़ाया जाना चाहिए।

जैसा कि इसके संविधान के अनुच्छेद 47 में कहा गया है और संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, भारत की जिम्मेदारी थी कि वह अवैध दवाओं के उपयोग को समाप्त करने के लिए कार्रवाई करे, नशीली दवाओं के उपयोग को रोकने के लिए रणनीति तैयार करे और यह सुनिश्चित करे कि नशीली दवाओं के उपयोग के विकार वाले लोग इलाज तक पहुंच सके।

13. राज्य में रहने वाले लोगों के जीवन/आजीविका के अधिकार की रक्षा के लिए हाल के दिनों में निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग उठ रही है। निजी क्षेत्र की नौकरियों को आरक्षित करने के क्या निहितार्थ हैं?

उत्तर:

निजी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण की मांग बढ़ रही है। हाल ही में, हरियाणा सरकार ने एक अधिनियम पारित किया जिसमें हरियाणा के निवासियों के लिए 75% निजी नौकरियां आरक्षित की गई। इसी तरह की मांग अन्य राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र आदि में उठाई जा रही है।

निजी क्षेत्र में आरक्षण मांग के कारण :

- यह धारणा कि बाहरी और प्रवासी स्थानीय लोगों की ''नौकरियां छीन रहे हैं''।
- बढ़ती बेरोजगारी और कौशल तक पहुंच की कमी और स्थानीय स्तर पर कम रोजगार।
- देश भर में कृषि क्षेत्र जबरदस्त तनाव में है और युवा इस क्षेत्र से बाहर निकलना चाहते हैं, इसलिए स्थानीय नौकरियों की तलाश कर रहे हैं।
- कई रिपोर्टों से पता चला है कि भेदभाव, कॉर्पोरेट क्षेत्र में दलितों और मुसलमानों के कम प्रतिनिधित्व का एक कारण है।

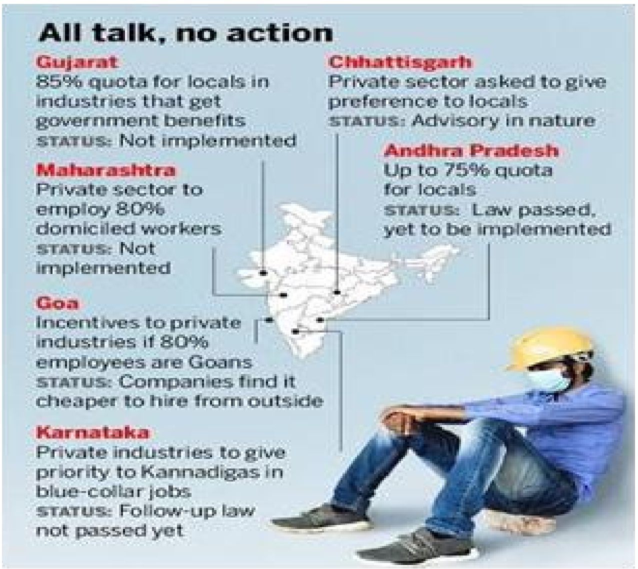

निजी क्षेत्र की नौकरियों को आरक्षित करने के निहितार्थ:

- निजी क्षेत्र में लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।
- निजी क्षेत्र में आरक्षण श्रम बाजार को प्रभावित कर सकता है और राज्य के विकास को रोक सकता है।

निजी क्षेत्र में श्रम उत्पादकता में गिरावट आ सकती है क्योंकि कुछ काम ऐसे लोग करेंगे जो कम योग्य होंगे।

- यह उन राज्यों के भीतर बेरोजगारी दर पर अंकुश लगाएगा जहां इन नीतियों को लागू किया जाना है।
- यह कम वेतन वाली नौकरियों की तलाश करने वाले प्रवासियों के आगमन को हतोत्साहित करे, जिसका स्थानीय बुनियादी ढांचे पर ''महत्वपूर्ण प्रभाव'' पड़ सकता है।
- यह पाया गया कि अल्पसंख्यकों और दलितों के खिलाफ कॉर्पोरेट क्षेत्र में अंतर्निहित पूर्वाग्रह थे और इससे यह सुनिश्चित होगा कि ऐसा कोई पूर्वाग्रह नहीं किया जाएगा।

निष्कर्ष:

जैसे-जैसे विश्व अंतर्मुखी हो रहा है, यह संभावना अधिक है कि इस प्रकार के आरक्षण अन्य भारतीय राज्यों में भी लागू किए जाएंगे। इस प्रकार, ऐसे प्रस्तावों को प्रथमदृष्टया अस्वीकार या स्वीकार करने के बजाय, सभी हितधारकों के लिए आवश्यक है कि मध्यम मार्ग की तलाश की जाए।

14. श्रीलंका में संकट ने भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को गहरा करने का अवसर प्रदान किया है। भारत के लिए श्रीलंका के सामरिक महत्व पर चर्चा करें और इस संकट को दूर करने में श्रीलंका की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए उपायों की गणना करें?

उत्तर:

भुगतान संतुलन की गंभीर समस्या, विदेशी भंडार में कमी और आवश्यक वस्तुओं के लिए बहुत कम आयात कवर के कारण श्रीलंका अपनी स्वतंत्रता के बाद से सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। यह आर्थिक संकट गंभीर राजनीतिक संकट में बदल गया है, जो भारत के लिए चेतावनी है।

भारत के लिए स्थिर और समृद्ध श्रीलंका का महत्व :

1. हिंद महासागर में सामरिक स्थिति:

a. भारत की ऊर्जा और व्यापार सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए श्रीलंका महत्वपूर्ण है, समुद्र के माध्यम से व्यापार की 90% मात्रा का परिवहन किया जाता है।

b. चीन की मौजूदगी का मुकाबला करने के लिए (स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स)।

c. हिंद महासागर में शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में उभर रहे भारत के लिए भारत के अनुकूल राजनीतिक स्थिति होना महत्वपूर्ण है।

2. व्यापार और अर्थव्यवस्था:

a. ट्रांस-शिपमेंट व्यवसाय के लिए श्रीलंकाई बंदरगाहों पर महत्वपूर्ण निर्भरता।

b. भारत श्रीलंका में शीर्ष निर्यातकों और निवेशकों में से एक है।

c. इंडियन ऑयल, डाबर, अशोक, लीलैंड आदि जैसी प्रमुख भारतीय कंपनियों की महत्वपूर्ण उपस्थिति।

d. भारत की रणनीतिक परियोजनाएं जैसे त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म।

3.सुरक्षा चिंताएं: ऐसी अस्थिरता, श्रीलंका में चरमपंथी ताकतों को प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है, जो निकटता के कारण भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

4.इंडो-पैसिफिक विजन: स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक को चीन की चेक बुक डिप्लोमेसी का मुकाबला करने के लिए राजनीतिक रूप से स्थिर और आर्थिक रूप से समृद्ध द्वीपीय राष्ट्रों की आवश्यकता है।

5. श्रीलंका में किसी भी तरह की अस्थिरता श्रीलंका से पलायन और भारत के लिए शरणार्थी संकट का कारण बन सकती है।

इस संकट में श्रीलंका को भारत की सहायता:

1. सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की करेंसी स्वैप सुविधा।
2. लगभग 500 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण स्थगन।
3. ईंधन आयात के लिए समर्पित 500 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता।
4. 1 बिलियन अमरीकी डालर के अल्पावधि रियायती ऋण का विस्तार।
5. विदेश सचिव विनय क्वात्रा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने द्वीप राष्ट्र का दौरा किया और श्रीलंका को अपने 'पूर्ण समर्थन' का आश्वासन दिया।

6. क्रेडिट लाइन सुविधा के तहत आवश्यक खाद्य सामग्री, दवाओं, ईंधन, उर्वरक आदि की आपूर्ति।
7. श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए चल रहे बुनियादी ढांचे और निवेश परियोजना के त्वरित कार्यान्वयन।

एक बड़ा पड़ोसी और प्राचीन काल से मित्र होने के नाते भारत श्रीलंका को अपनी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए हर संभव वित्तीय मदद, नीति सलाह के साथ-साथ निवेश की पेशकश आदि कर रहा है जिससे अवसरवादी चीन को आगे बढ़ने से रोकने में मदद मिलेगी।

15. ''इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को वैश्विक आर्थिक विकास का इंजन बनाने की सामूहिक इच्छा की घोषणा है।'' इस क्षेत्र में भारत के सामरिक हित के लिए इस फ्रेमवर्क के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण करें।

उत्तर:

इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) भारत सहित 13 प्रारंभिक भागीदारों के साथ शुरू की गई एक अमेरिकी नेतृत्व वाली पहल है, जिसका उद्देश्य एक लचीला, समावेशी, टिकाऊ, समृद्ध, निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी इंडो-पैसिफिक की दिशा में भाग लेने वाले देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है।

भारत के लिए आईपीईएफ का महत्व:

1. एशिया-प्रशांत क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनने के अवसर के माध्यम से क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) का विकल्प प्रदान करता है।
2. वर्तमान में वैश्विक जीडीपी के 40% का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्लॉक का हिस्सा बनने का अवसर।
3. क्षेत्र में चीन के आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करने में भारत की मदद कर सकता है चूंकि चीन आरसीईपी का हिस्सा है, परन्तु क्योंकि इसमें चीन शामिल नहीं है।
4. आईपीईएफ के चार स्तंभों, व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, स्वच्छ ऊर्जा और डीकार्बोनाइजेशन और कर और भ्रष्टाचार विरोध पर समन्वय भारत को मजबूत और जिम्मेदार आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने में मदद करेगा।
5. यह भारत और दुनिया को जलवायु परिवर्तन की दिशा में शमन और अनुकूलन के प्रयासों में सुधार करने और अपने इच्छित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को साकार करने में मदद करेगा।
6. यह भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत के सुरक्षा हित के लिए महत्वपूर्ण 'क्वाड प्लस' वास्तुकला के विकास की सुविधा प्रदान कर सकता है।
7. यह व्यापक जुड़ाव के अवसर प्रदान करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत के प्रयास को पूरक बना सकता है।

संबद्ध चुनौतियों में शामिल हैं:

1. भारत की नीति के साथ संभावित संघर्ष जैसे डेटा स्थानीयकरण नियम, पर्यावरण और श्रम मानक आदि।
2. भारत को शंघाई सहयोग संगठन में अपनी सदस्यता की तुलना में आईपीईएफ के साथ अपने जुड़ाव को रणनीतिक रूप से संतुलित करने की आवश्यकता है।
3. भाग लेने वाले देशों के बीच बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है, भारत को सेवाओं में व्यापार, बौद्धिक संपदा अधिकार आदि जैसी अपनी चिंताओं के बारे में मुखर होना चाहिए।
4. चीन इसे अमेरिका के नेतृत्व वाले चीन विरोधी उपकरण के रूप में देखता है, इसलिए भारत इस पहल में शामिल होकर चीन का विरोध करे इससे सीमा पर तनाव बढ़ सकता है।

इस प्रकार भारत को ढांचे के तहत निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आईपीईएफ के तहत भागीदारों के साथ सक्रिय रूप से संलग्न कर सहयोग करना चाहिए क्योंकि यह भारत के स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक के दृष्टिकोण की दिशा में एक निश्चित मार्ग है।

16. हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। नाटो के लक्ष्यों और उद्देश्यों का वर्णन करें और अपने पड़ोस में नाटो के विस्तार के खिलाफ रूस की आशंकाओं पर भी चर्चा करें।

उत्तर:

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल, 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि (जिसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है) द्वारा स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। वर्तमान में 30 सदस्य राज्य हैं।

अभिप्राय और उद्देश्य:

- नाटो का अनिवार्य और स्थायी उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों द्वारा अपने सभी सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना है।

- नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है और सदस्यों को समस्याओं को हल करने, विश्वास बनाने और लंबे समय में संघर्ष को रोकने के लिए रक्षा और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर परामर्श और सहयोग करने में सक्षम बनाता है।
- नाटो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून के शासन के सामान्य मूल्यों के आधार पर यूरोप में स्थायी शांति को सुरक्षित करने का प्रयास करता है।
- नाटो विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। यदि राजनयिक प्रयास विफल हो जाते हैं, तो उसके पास संकट-प्रबंधन अभियान चलाने की सैन्य शक्ति होती है।

अपने पड़ोस में नाटो के विस्तार के विरुद्ध रूस की आशंकाएँ :

- व्लादिमीर पुतिन ने लगातार कहा है कि वर्तमान यूक्रेनी सरकार की कार्रवाई रूस के लिए एक सीधा खतरा है। रूसी सीमा पर नाटो सैन्य उपस्थिति का डर रूस के लिए वास्तविक है। रूस ने एक लाल रेखा निर्धारित की जिसके आगे रूस का नियंत्रण होना चाहिए। रूस को लगता है कि यूक्रेन की सरकार नाटो के नियंत्रण वाली कठपुतली सरकार है।
- रूस चाहता है कि नाटो 1997 से पहले की अपनी सीमाओं पर लौट जाए। रूस की चिंताओं को समझा जा सकता है क्योंकि नाटो की स्थापना यूएसएसआर के प्रत्यक्ष असंतुलन के रूप में की गई थी और रूस नाटो देशों के साथ काफी भूमि सीमा साझा करता है।
- पूर्व सोवियत गणराज्य जैसे लिथुआनिया, एस्टोनिया और लाटविया पहले ही नाटो में शामिल हो गए थे जिसे रूस ने शायद ही स्वीकार किया था। इसके बाद रूस ने यूक्रेन और जॉर्जिया के मामले में सीमा रेखा खींची।
- क्रीमिया में सेवस्तोपोल सहित, गर्म पानी के बंदरगाहों की प्रचुरता के कारण सदियों से रूस ने काला सागर को अपनी सुरक्षा के लिए केंद्रीय माना। हालांकि, काला सागर से भूमध्य सागर तक पहुंच अभी भी 1936 के मॉन्ट्रो कन्वेंशन द्वारा प्रतिबंधित है, जिसने तुर्की बोस्पोरस जलडमरूमध्य का नियंत्रण दिया।

नाटो ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप को स्थिर करने, महाशक्तियों के संघर्ष को रोकने और 1989 के बाद शीत युद्ध की समाप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि, कई लोग आज की दुनिया में नाटो की प्रासंगिकता पर सवाल उठा रहे हैं। इस प्रकार, सभी दलों को एक-दूसरे के डर को दूर करने के लिए सौहार्दपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

17. लोकतंत्र की सफलता कार्यपालिका और विधायिका दोनों की जवाबदेही और पारदर्शिता में निहित है। डिजिटल संसद के उद्देश्य और विशेषताओं के विशेष संदर्भ में बताइये कि इस संबंध में डिजिटाइजेशन किस प्रकार मदद करता है?

उत्तरः

किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के मौलिक सिद्धांत पारदर्शिता और जवाबदेही हैं, न केवल वरिष्ठों के पदानुक्रम के संदर्भ में, बल्कि मतदाताओं, नागरिकों और नागरिक समाज सहित अन्य हितधारकों के संदर्भ में भी।

कार्यपालिका अपने निर्णयों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह है। संसद विभिन्न तरीकों से अपने कार्यों की जांच करती है जैसे कि विधेयकों पर बहस, संसद के पटल पर मुद्दे, प्रश्नकाल की प्रक्रिया और संसदीय समितियों में जांच द्वारा। इसी तरह, विधायिका चुनावी प्रक्रिया द्वारा भारत के नागरिकों के प्रति जवाबदेह है। उन्हें हर पांच साल में संसद के सदनों के लिए निर्वाचित होना होता है।

संसद का डिजिटलाइजेशनः

एक डिजिटल संसदीय प्रणाली कानून बनाने वाली संस्थाओं को बैठकें, सम्मेलन और अन्य प्रकार के आयोजन करने में सक्षम बनाने के लिए डिजिटल मीडिया का उपयोग करती है। ऐसा करने से प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाया जा सकता है और लोकतांत्रिक शासन में सुधार किया जा सकता है।

डिजिटलीकरण के तंत्रः

- नागरिकों के लिए उपलब्ध संसद के सत्रों की लाइव कार्यवाही।
- सभी रिकॉर्ड कागज के बजाय इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहीत किए जाते हैं। इसका उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना नहीं है कि डेटा में हेरफेर नहीं किया जा सकता है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि अब कोई भी जनता की आवाज को चुप नहीं करा सकता है।
- सभी हितधारकों के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया के बारे में

रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करना संभव है।

- हम जितना उपभोग कर सकते हैं उससे अधिक डेटा, जनसांख्यिकीय डेटा, सोशल मीडिया डेटा आदि का उत्पादन करते हैं। सरकार में नेताओं को बेहतर निर्णय लेने के लिए इस जानकारी का लाभ उठाने में सक्षम होना चाहिए।

संसदीय कार्यवाही को न केवल सदस्यों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी सुलभ बनाने के उद्देश्य से, हाल ही में लोकसभा सचिवालय द्वारा 'डिजिटल संसद ऐप' लॉन्च किया गया था।

डिजिटल संसद ऐप की विशेषताएं:

- सभी संसदीय कार्यवाही और अन्य गतिविधियों के अपडेट नागरिकों के लिए 'डिजिटल संसद ऐप' पर उपलब्ध होंगे।
- इससे लोगों को 1947 के बाद से संसद सदस्यों, सत्रों में उनकी भागीदारी, बजट भाषणों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करने में आसानी होगी।
- सदन की कार्यवाही का पुरालेख 12वीं लोकसभा से 17वीं लोकसभा तक उपलब्ध रहेगा।
- उपयोगकर्ता सदस्यों की प्रोफाइल, प्रश्न/उत्तर और आज के पेपर देख सकते हैं।

इस प्रकार, ऐप यह सुनिश्चित करेगा कि पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को धारण करने के लिए नागरिकों सहित सभी हितधारकों के बीच संसद के कामकाज और घटनाओं के बारे में जानकारी निर्बाध रूप से प्रवाहित हो। एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य में, पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्चतम मानकों को बनाए रखना संसद का कर्तव्य है।

18. डिजिटल संप्रभुता क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के लिए दिशानिर्देश) नियम, 2021 के प्रावधानों का संक्षेप में उल्लेख करते हुए, भारत में डिजिटल संप्रभुता प्राप्त करने के महत्व और चुनौतियों को विस्तार से बताइये।

उत्तर:

डिजिटल सप्रंभुता से तात्पर्य अपनी डिजिटल प्रक्रियाओं पर नियंत्रण रखने की क्षमता से है या डेटा, हार्डवेयर और साफ्टवेयर जिसका हम निर्माण या उस पर विश्वास करते है, पर नियंत्रण से है। इसका तात्पर्य है कि जो जानकारी बाइनरी डिजिटल रूप में परिवर्तित या संग्रहीत की जाती है, वह उस देश के कानूनों के अधीन रहती है न कि अन्य देश।

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के लिए दिशा निर्देश) नियम, 2021-

- नए नियमों के अनुसार, यदि मध्यस्थ द्वारा उचित परिश्रम का पालन नहीं किया जाता है, तो सुरक्षित बंदरगाह प्रावधान उन पर लागू नहीं होंगे।
- **अनिवार्य शिकायत निवारण तंत्र:** नियम निर्धारित करते हैं कि मध्यस्थ एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करेगा, उसे शिकायतों को सुलझााना होगा। मध्यस्थ को उस अधिकारी का नाम और संपर्क साझा करना होता है। उसे प्राप्त होने वाली शिकायतों की स्वीकृत देनी चाहिए और क्रमश: 24 घंटे और 15 दिनों के भीतर हल करनी चाहिए।
- ये नियम एक नई शिकायत अपील समिति की स्थापना का भी प्रावधान करता है, जो 30 दिनों के भीतर मध्यस्थ शिकायत अधिकारियों के निर्णय के संबंध में उपभोक्ताओं की शिकायतों को देखेगी और उनका समाधान करेगी।
- सोशल मीडिया मध्यस्थों को विभिन्न अन्य उद्देश्यों के लिए शिकायत अधिकारी के अलावा दो अन्य अधिकारियों की नियुक्ति किया जायेगा जो मुख्य अनुपालन अधिकारी व नोडल संपर्क व्यक्ति के साथ मासिक आधार पर प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई का विवेचना करेंगे।

भारत में डिजिटल संप्रभुता का महत्व:

- **निजता के अधिकार** को बनाए रखने के लिए सुरक्षित इंटरनेट का उपयोग महत्वपूर्ण है, जो विदेशी निगरानी और अनुच्छेद 21 के उल्लघंन से मुक्त हो।
- **डेटा सुरक्षा-** डिजिटल इंडिया अभियान ने डिजिटल सार्वजनिक, व्यक्तिगत और सरकारी डेटा प्रवाह में काफी वृद्धि की है। डेटा सुरक्षा तंत्र के बिना, यह एक आपदा का कारण बन सकता है क्योंकि इस डेटा की बिक्री से जातीय संघर्ष व अन्य खतरे हो सकते है।

नौकरियां और रोजगार- सभी के लिए सुरक्षित इंटरनेट का विस्तार करके तेजी से विकास, अधिक नौकरियां और बेहतर सेवाओं के डिजिटल लाभांश प्राप्त करने की आवश्यकता है।

आई टी क्षमताओं को बढ़ाना- भारत के भीतर बड़े डेटा एनालिरिक्स की दिशा में नीति बनाने के लिए यह आवश्यक है क्योंकि डेटा एक नया आयॅल है।

डिजिटल इंडिया- कागज रहित अर्थव्यवस्था जैसी पहल जो एस डी जी के अनुरूप है। यह मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप भी है।

व्यवसाय- बहुराष्ट्रीय कंपनियां व्यवसाय व्यवसाय शुरू करने और चलाने के लिए उच्च आई टी मानकों और डिजिटल सुरक्षा की मांग करती हैं।

डिजिटल संप्रभुता हासिल करने की चुनौतियाँ:

नीतियों का मानकीकरण सभी क्षेत्रों और मंत्रालयों में अनुपस्थित है।

- नेटवर्क उत्पादों जैसे आईसी चिप्स, मदरबोर्ड आदि के लिए विदेशों पर निर्भरता
- देश में उचित डेटा भंडारण अवसंरचना का अभाव। इन नियमों में डेटा स्थानीयकरण के लिए प्रावधान किया गया हैं।
- बढ़े हुए वैश्वीकरण और बड़े डेटा एनालिटिक्स पर चलने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश
- सरकारी महत्वपूर्ण सार्वजनिक उद्यमों पर साइबर हमले बढ़े।

उदाहरण. लद्दाख बिजली ग्रिड पर चीनी साइबर हमला:

- ओपन डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव। उदाहरण ओसाका ट्रैकज
- डेटा सुरक्षा के लिए नागरिकों में जागरूकता की कमी।

आगे बढ़ने का रास्ताः

- डेटा और भंडारण का सीमा पार हस्तांतरण सख्त निर्धारित मानकों पर किया जाना चाहिए
- महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा, स्थानीय रूप से संग्रहीत और संसाधित किया जाना चाहिए, जैसा कि अभी मामला है, विदेश स्थित डेटा केंद्रों के खिलाफ।
- डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू किया जाय।
- आम नागरिकों के बीच डेटा सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान।

चूंकि हम आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के युग में जी रहे हैं, इसलिए डेटा को अन्य देशों के राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाना और रोकना आवश्यक है।

19. भारत ने लगातार डिफेंस एक्पो के दौरान ''भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता'' को संस्थागत बनाने का प्रस्ताव दिया है। यह भारत को अफ्रीकी महाद्वीप के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने में किस हद तक मदद करेगा? सामरिक महत्व के अन्य क्षेत्रों पर भी चर्चा करें जिनके साथ भारत को पारस्परिक लाभ के लिए अफ्रीका के साथ जुड़ना चाहिए।

उत्तरः

रक्षा मंत्रालय के अनुसार द्विवार्षिक रूप से आयोजित होने वाली, भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता अफ्रीकी देशों और भारत के बीच मौजूदा साझेदारी को बनाने में मदद करेगी और आपसी जुड़ाव के लिए नए क्षेत्रों का पता लगाएगी।

अफ्रीकी महाद्वीप के साथ संबंधों को गहरा करने में रक्षा वार्ता की भूमिकाः

1. **आवधिक बैठकः** संवाद द्विवार्षिक रूप से आयोजित किए जाएंगे और इसलिए रचनात्मक जुड़ाव के लिए नियमित मंच प्रदान करेंगे।
2. **रक्षा अभ्यासः** पारस्परिक सुरक्षा लाभों के लिए महत्वपूर्ण, भारतीय और अफ्रीकी महाद्वीप के बीच रक्षा अभ्यास को नियमित बनाने में मदद कर सकता है।
3. **रक्षा सौदेः** यह भारत के घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने, अफ्रीकी देशों द्वारा रक्षा उपकरणों की खरीद की सुविधा प्रदान करेगा।
4. **नेट सुरक्षा प्रदाताः** अफ्रीकी देशों के साथ लगातार बातचीत और जुड़ाव हिंद महासागर क्षेत्र में रक्षा ठिकानों की स्थापना के माध्यम से भारत के नेट सुरक्षा प्रदाता के रूप में उभरने में सक्षम होगा।
5. **चीनी प्रभाव से जूझनाः** चीन अफ्रीकी देशों को सक्रिय रूप से शामिल कर रहा है, भारत और अफ्रीकी देशों के पारस्परिक लाभ के लिए इसका मुकाबला किया जाना चाहिए।
6. आतंकवाद, उग्रवाद, समुद्री डकैती आदि जैसे आम सुरक्षा खतरों के खिलाफ आम सहमति विकसित करने में विभिन्न स्तर के संवाद मदद करेंगे।
7. **मध्यस्थता की पृष्ठभूमि** प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से विनिर्माण में सहयोग जैसे अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में जुड़ाव के अवसर प्रदान करेगी।

अफ्रीकी महाद्वीप के साथ रणनीतिक जुड़ाव के लिए अन्य फोकस क्षेत्रः

1. **ऊर्जा और खनिज संसाधनः** अफ्रीकी महाद्वीप जीवाश्म ईंधन (पश्चिम और उत्तरी अफ्रीकी देशों) जैसे ऊर्जा संसाधनों और तांबा, सोना, मैंगनीज आदि जैसे अन्य खनिजों में समृद्ध है, यह पारस्परिक लाभ के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
2. **संचारः** 21वीं सदी डिजिटल क्रांति की गवाह है और इस पृष्ठभूमि में संचार प्रौद्योगिकियों जैसे 5जी, ब्रॉडबैंड आदि में सहयोग जरूरी है।
3. **अंतरिक्ष कूटनीतिः** भारत के इसरो के पास विशेषज्ञता के साथ-साथ सबसे सस्ती तकनीक भी है। अफ्रीकी देशों को तकनीकी जानकारी मिल सकती है और भारत को बड़ा बाजार मिलेगा।
4. **नीली अर्थव्यवस्थाः** भारत और तटीय अफ्रीकी देश सामूहिक रूप से नीली अर्थव्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं क्योंकि दोनों के पास बड़ी तटरेखाएं हैं।
5. **दक्षिण-दक्षिण सहयोगः** जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, सुरक्षा जैसे भू-राजनीतिक मुद्दों पर परिषद सुधार, निःशस्त्रीकरण आदि के साथ-साथ विश्व व्यापार संगठन और संबंधित सुधार जैसे भू-आर्थिक मुद्दे हल हो सकते है
6. लोगों से लोगों के बीच संपर्क और नरम कूटनीति को मजबूत करने के लिए पर्यटन, छात्र विनिमय कार्यक्रम, स्वास्थ्य कूटनीति, मनोरंजन उद्योग आदि को बढ़ावा देना।
7. **बुनियादी ढांचे का विकासः** अफ्रीकी देशों में एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से, संबंधों को गहरा करने और उन्हें चीन के कर्ज के जाल से बचाने में मदद मिलेगी।

अफ्रीका के साथ भारत का जुड़ाव 'वसुधैव कुटुम्बकम' (विश्व हमारा घर है) और सागर, यानी सभी के लिए सुरक्षा और विकास जैसे सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है क्योंकि अफ्रीका को प्रगति हासिल करने में मदद करने में भारत की आंतरिक रुचि है।

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. **'कोर उद्योग सूचकांक' के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिये:**
   1. आठ प्रमुख क्षेत्र के उद्योग में सर्वाधिक भार 'बिजली सेक्टर' को प्राप्त है।
   2. सबसे कम भार 'उर्वरक सेक्टर' को प्राप्त है।
   3. इनमें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में शामिल मदों के भार का 40.27 प्रतिशत शामिल है।।

   विकल्प:
   (a) केवल 1
   (b) केवल 1 और 2
   (c) केवल 2 और 3
   (d) सभी

उत्तर: C

2. **पीची वन्यजीव अभयारण्य** (Peechi Wildlife Sanctuary) **किस राज्य में है?**
   (a) तमिलनाडु
   (b) केरल
   (c) कर्नाटक
   (d) आंध्रप्रदेश

उत्तर: B

3. **'शहीद उधम सिंह' के बारे में सत्य कथन चुनिये:**
   1. वर्ष 1924 में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से प्रवासी भारतीयों को संगठित करने के लिये गदर पार्टी में शामिल हुए।
   2. 13 मार्च, 1940 को उधम सिंह ने जलियाँवाला हत्याकांड का बदला लेने के लिये जनरल डायर की गोली मार कर हत्या कर दी।

   विकल्प:
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2
   (d) इनमे से कोई नहीं

उत्तर: A

4. **हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत आई. एन. एस. विक्रांत को किस शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है?**
   (a) गोवा शिपयार्ड
   (b) कोचीन शिपयार्ड
   (c) हिंदुस्तान शिपयार्ड
   (d) माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड

उत्तर: (b)

5. **राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के बारे में क्या असत्य है?**
   1. यह मिशन हरित क्रांति के अंतर्गत लांच किया गया है
   2. यह मिशन राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (एनबीबी) के माध्यम से लागू किया जा रहा है
   3. यह केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत आता है

   (a) केवल 1
   (b) केवल 3
   (c) केवल 2,3
   (d) सभी

उत्तर: A

6. **अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए कितने लाख करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है?**
   (a) 1.64 लाख करोड़ रुपये
   (b) 2.46 लाख करोड़ रुपये
   (c) 1.46 लाख करोड़ रुपये
   (d) 2.64 लाख करोड़ रुपये

उत्तर: A

7. **जुलाई, 2022 में जारी हारून रिपोर्ट पर विचार करते हुए निम्न में से सत्य कथन चुनें:**
   1. भारत में सबसे अमीर महिला के रूप में रोशनी नादर मल्होत्रा पहले स्थान पर हैं
   2. इस लिस्ट के पहले तीन स्थानों पर एलन मस्क, जेफ बेजोस और बर्नार्ड आर्नाल्ट हैं

   विकल्प:
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2
   (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

8. **अनुशीलन समिति के सन्दर्भ में सत्य कथनों का चयन कीजिये-**
   (1) अनुशीलन समिति 20वीं सदी में बंगाल से संचालित एक प्रमुख गुप्त क्रांतिकारी समिति थी

(2) केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री ने अनुशीलन समिति के इतिहास को एनसीईआरटी के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में शामिल करने को कहा है

(3) सतीश चंद्र, प्रमथ मित्रा, अरबिंदो घोष और सरला देवी इस समिति के संस्थापक थे

विकल्पः

(a) केवल (1)

(b) केवल (2)

(c) (1) और (3)

(d) सभी

उत्तरः D

9. भारत के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (आईआइ.बीएक्स) इंडिया का शुभारंभ कहाँ होने जा रहा है?

(a) उत्तर प्रदेश

(b) महाराष्ट्र

(c) गुजरात

(d) केरल

उत्तरः C

10. चुनावी बॉण्ड (EB) के संबंध में सत्य कथन चुनिये:

1. भारतीय स्टेट बैंक(SBI) इन बॉण्ड्स को जारी करने और भुनाने (Encash) के लिये अधिकृत बैंक है।
2. ये बॉण्ड जारी करने की तारीख से पंद्रह दिनों तक वैध रहते हैं।
3. केवल ऐसे पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम-से-कम 1% वोट प्राप्त किया है, वे चुनावी बॉण्ड प्राप्त करने के लिये पात्र हैं।

विकल्पः

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 3

(d) सभी कथन सत्य है

उत्तरः D

11. निम्नलिखित में से किसके द्वारा 'भारत के राष्ट्रीय झंडे' को तैयार किया गया था?

(a) पिंगली वेंकैया

(b) मोहम्मद इकबाल

(c) रवीन्द्रनाथ टैगोर

(d) SN बैनर्जी

उत्तरः A

12. अंडाल थिरुनाक्षत्रम, जो एक प्रसिद्ध तमिल संत कवि थी उनके संबंध में सत्य कथन चुनिये:

1. उन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है।
2. अंडाल 12 अलवार संतों में से एक मात्र महिला संत है।

विकल्पः

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2

(d) इनमे से कोई नहीं

उत्तरः C

13. भारत में मीठे पानी की लोकतक झील (Loktak Lake) किस राज्य में स्थित है?

(a) नागालैंड

(b) मिजोरम

(c) मणिपुर

(d) अरुणाचल प्रदेश

उत्तरः C

14. द क्राफ्ट्स विलेज स्कीम' (The Crafts Village Scheme) किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है?

(a) केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय

(b) केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय

(c) केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय

(d) MSME मंत्रालय

उत्तरः B

15 . किस भारतीय राज्य ने पहली AI-संचालित डिजिटल लोक अदालत लांच की है?

(a) राजस्थान

(b) बिहार

(c) उड़ीसा

(d) महाराष्ट्र

उत्तरः A

16. भारत में अपनी खुद की इन्टरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना?

(a) महाराष्ट्र

(b) तेलंगाना

(c) तमिलनाडु

(d) केरल

उत्तरः D

श्री अरबिंदो घोष

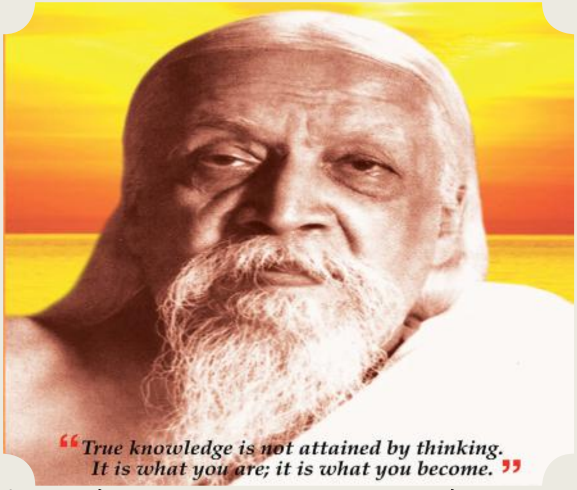

श्री अरबिंदो का जन्म 15 अगस्त, 1872 को कलकत्ता (अब कोलकाता) में हुआ था। वे कवि, दार्शनिक, योगी और राष्ट्रवादी थे जिन्होंने पृथ्वी पर दिव्य जीवन के दर्शन को प्रतिपादित किया। उनके पिता कृष्णा धुन पेशे से रंगपुर में डॉक्टर थे।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घोषणा की कि सम्पूर्ण भारत के 150 विश्वविद्यालय आध्यात्मिक नेता और स्वतंत्रता सेनानी श्री अरबिंदो की 150 वीं जयंती मनाने के लिए उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर शोध पत्र लिखने में शामिल होंगे।

शिक्षा

श्री अरबिंदो ने प्राथमिक शिक्षा दार्जिलिंग के एक क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल में प्राप्त की। कम उम्र होने पर भी उन्हें आगे की शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया। वहां उन्होंने इतिहास, फ्रेंच, अंकगणित और भूगोल जैसे कई विषयों का अध्ययन किया क्योंकि उनके पिता भारतीय सिविल सेवा के लिए इनको भेजना चाहते थे। उसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और बहुत जल्द वे दो शास्त्रीय भाषा और कई यूरोपीय भाषाओं में कुशल हो गए। उन्होंने आईसीएस परीक्षा 250 उम्मीदवारों में 11वीं रैंक के साथ उत्तीर्ण की।

भारत आगमन

इंग्लैंड में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद, 1892 में भारत लौटने का फैसला किया और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने बड़ौदा और कलकत्ता में विभिन्न प्रशासनिक और पेशेवर पदों पर काम किया। उन्होंने शास्त्रीय संस्कृत भाषा सहित योग पर काम किया। श्री अरबिंदो अमेरिकी क्रांति, इटली में विद्रोह और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मध्ययुगीन फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित थे।

भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष

सन 1902 से 1910 तक उन्होंने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के संघर्ष में भाग लिया। उन्होंने कई बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया और 1902, कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना में मदद की। श्री अरबिंदो और उनके भाई क्रांतिकारी बारिन घोष ने मिलकर प्रसिद्ध पत्रिका युगांतर में लेख लिखा, जिसने उस समय के सैकड़ों युवाओं को तत्कालीन ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी कदम उठाने हेतु प्रेरित किया। इसी दौरान उन्हें 1908 में अलीपुर बम कांड में कैद किया गया। दो साल बाद, पुलिस फिर से उनके लेखन के लिए गिरफ्तार करना चाहती थी लेकिन वे ब्रिटिश भारत से भागकर फ्रांसीसी उपनिवेश पुडुचेरी में शरणार्थी बनकर रहने लगे। पुडुचेरी में, अरबिंदो ने अपना पूरा जीवन आध्यात्मिकता के लिए समर्पित कर दिया और एक योग विकसित किया जिसे इंटीग्रल योग कहा जाता है। श्री अरबिंदो को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगम्बर माना जाता है। बंकिमचंद्र, बाल गंगाधर तिलक और दयानंद सरस्वती के साथ उन्होंने भारत में राष्ट्रवाद के सिद्धांत को विकसित किया।

आध्यात्मिकता

श्री अरबिंदो ने कहा कि उन्होंने जेल में स्वामी विवेकानंद की आवाज सुनी और सनातन धर्म की सच्चाई से आश्वस्त हुए। उनके भारत में ही नहीं विदेशों में भी अनुयायी थे। बाद में उनका 1926 में पुडुचेरी में श्री अरबिंदो नाम से आश्रम बन गया।

उनका मानना था कि पदार्थ, जीवन और मन के मूल सिद्धांतों को स्थलीय विकास के माध्यम से सुपर माइंड के सिद्धांत द्वारा अनंत और परिमित के दो क्षेत्रों के बीच एक मध्यवर्ती शक्ति के रूप में सफल किया जा सकता है।

श्री अरबिंदो ने घोषणा की कि भारत वास्तव में भारत माता है जो उनके लाखों बच्चों को एकजुट करके मजबूत शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। उनके अनुसार, भारत माता में अपने लोगों के लिए अनंत ऊर्जा है। उनका मानना था कि गाँव को अपनी स्वायत्तता और स्वशासन बनाए रखना चाहिए लेकिन साथ ही गावों को राष्ट्रीय एकता बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वराज का विचार पुराने ग्राम समुदाय पर आधारित होना चाहिए जो आत्मनिर्भर, स्वायत्त और स्वशासी था।

कुछ साहित्यिक कृतियाँ:

- 1905 में एक अंग्रेजी अखबार जिसे वन्दे मातरम कहा जाता है।
- योग के आधार
- भगवद गीता और उसका संदेश
- मनुष्य का भविष्य विकास
- पुनर्जन्म और कर्म
- सावित्री: एक किंवदंती और एक प्रतीक
- आवर(Hour) ऑफ गॉड

श्री अरबिंदो का निधन 5 दिसंबर 1950 को पुडुचेरी में 78 वर्ष की आयु में हुआ था।

ध्येय IAS® most trusted since 2003

DHYEYA IAS® most trusted since 2003

ANNUAL SUBSCRIPTION OF PERFECT 7 CURRENT AFFAIRS MAGAZINE (FORTNIGHTLY)

About Perfect 7:

The role of Current Affairs in Civil Services has tremendously increased, in all the subjects of General Studies like Economy, Polity, Science and Technology, International Relations, Environment, etc.

Need: Knowledge of Current Affairs

Inadequate Solution: Monthly Magazines available in the Market.

Why Inadequate?

- All magazines are monthly: This means that you get to know about the event after more than one month and students are unable to match the pace with newspaper and other media.
- Not suitable for Civil Services: Events are not analyzed as these magazines also cater to the one day exams and hence they provide only factual information's.
- Too much to read in one go: A student is suddenly burdened to cover too many events in a short time which leads to stress.

Solution to all the above three issues is PERFECT 7 Magazine by Dhyeya IAS.

- Released Fortnightly: A student is abreast with the current events of the month, near real time.
- Detailed Analysis of every event: Civil Services demands a deeper understanding of events, concepts and its analyses and not just know the event and its date.
- Easy to study: Since the magazine is fortnightly, a student is saved from Information overload and can relate with the newspaper, TV and other media coverages with a profound understanding of the current happenings.

Features of PERFECT 7

Important conditions for an IAS/PCS centered magazine		PERFECT 7	OTHERS
• Fortnightly	Hindi	✓	×
	English	✓	×
• Civil Services Exam centered	Hindi	✓	*
	English	✓	*
• Micro-Analysis of current issues & not a mere compilation of facts	Hindi	✓	*
	English	✓	*
• Brain boosters for important issues	Hindi	✓	×
	English	✓	×
• Multiple choice questions & their solution based on brain boosters	Hindi	✓	×
	English	✓	×
• Case studies with model answers for Ethics	Hindi	✓	×
	English	✓	×
• Explanation of important theories through pictures & graphics.	Hindi	✓	×
	English	✓	×

(* some institutes)

Annual Subscription Fee along with Courier Charges:

Cost of the Magazine:	45 x 24 = Rs 1080
Price After 25% Discount	Rs 810
Courier Charges:	30 X 24 = Rs 720
Total Charges:	**Rs 1530**

BANK ACCOUNT DETAILS

Account Holder:-	**Trueword Publication Private Limited**
Bank A/C -	**50200032675602**
IFSC:-	**HDFC0000609**

Annual Subscription Fee for Student Collecting Magazine form Mukherjee Nagar Centre:

Cost of the Magazine:	45 x 24 = Rs 1080
Price After 25% Discount	Rs 810
Total Charges:	**Rs 810**

Terms and Condition:

1. Fee submitted one will not be refunded or adjusted in any condition.
2. Dhyeya IAS ensures no damage or delay during transit however some unavoidable circumstances are beyond our control. responsibility for the delay in delivery,
3. W put best efforts to make the Magazine reach to the subscribers by 10th & 25th of every month.
4. If due to COVID-19 Pandemic or any unforeseen natural disaster or by an act of God, Dhyeya IAS is not able to print the Magazine then the duration of subscription will be increased to compensate for the same.

Whatsapp: 9205184003

dhyeyaias.com

AN INTRODUCTION

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

Dhyeya IAS, two decades old institution, was founded by Mr.Vinay Singh and Mr. Q. H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential aspirants realize their dreams which is evident from the success stories of the previous years.

As the nation progresses, the young generations become more conscious and aware about their career options. There is plethora of jobs and one among them is civil services, the most prestigious service in the country, which needs no introduction. It attracts many young minds hailing from almost all spectra of academic disciplines. The popular belief that the examination for this service is only meant for the brilliant lots has become a taboo as it also attracts the hardworking, sincere and disciplined minds. The saying- "In the end passion and hard work can substitute natural talent" holds true. It gives immense power and opportunity for young folks to bring about the positive changes in the society which would bring harmony and development. It inculcates values, moral, ethos and feeling of national integrity.

Quite a large number of students desirous of building a career for themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vastly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move may invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. Classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals' capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything, you can only help him find it within himself.

We feel that despite brilliance and diligence, most of the students are lacking proper guidance and aptitude needed to clear Civil Services Examination. This is why, we at Dhyeya IAS amalgamated the traditional as well as modern approach of teaching by incorporating best educators of the industry ably supported by Academic Associates, Class Notes and printed Study Material, routine as well as surprise Tests. Due to its arduous efforts, Dhyeya IAS is able to carve a niche among all the civil services coaching institutes in India. Access to an institution is as important as the quality of Institution. Our faith in this philosophy made us grow. With 12 Face to Face Centers located in different parts in India, Distance Learning Program , Live Streaming Centers and Residential Academy, we have made truly pan India presence. Ever since the foundation the institute has produced a heavy pool of bureaucrats both at central and state level. Dhyeya IAS not only aims at imparting the content of civil services in best way but also nurturing the aspirants as leaders of tomorrow who have a responsibility of fulfilling the dreams of around 1.4 billion Indians. Dhyeya IAS has guided over 50,000 aspirants with more than 4500 selections in civil services. Our journey is a small contribution for the development of the society and nation by nurturing the potential civil services aspirants.

Considering the toughness of Civil Services Exam, where success rate is a meager 0.1 percent, Dhyeya IAS has continuously produced phenomenal results over the years. Year after Year Dhyeya IAS is being recognized for imparting guidance to civil services aspirants using benchmarked quality practices. On the basis of scalability, innovation, achievements, impact potential our efforts and contribution have been acknowledged and rewarded with Education Excellence Awards by ET NOW, Brands Academy, Times of India, etc. This has enhanced motivation, pride and self-esteem of entire Dhyeya family.

₹ 45

For feedback write to us at :-
perfect7magazine@gmail.com

dhyeyaias.com

Face to Face Centres

North Delhi : A 12, 13, Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009, Ph: 9205274741/42/44 I **Laxmi Nagar :** 1/53, 2nd floor, Lalita Park, Near Gurudwara, Opposite Pillar no.23, Laxmi Nagar, Delhi -110092, Ph: 9205212500/9205962002 I **Greater Noida :** 4th Floor Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt., Greater Noida, UP - 201310, Ph: 9205336037/38 I **Prayagraj :** II & III Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Prayagraj, UP - 211001, Ph: 0532-2260189/8853467068 I **Lucknow (Aliganj) :** A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow, UP- 226024, Ph: 0522-4025825/9506256789 I **Lucknow (Gomti Nagar) :** CP-1, Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Near Husariya Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow, UP - 226010, Ph: 7234000501/ 7234000502 I **Lucknow (Alambagh) :** 58/1 , Sector-B Opposite Phoenix Mall Gate No. 3, L.D.A Colony , Alambagh Lucknow,, Ph: 7518373333, 7518573333 | **Kanpur :** 113/154 Swaroop Nagar, Near HDFC Bank, Kanpur, UP - 208002, Ph: 7887003962/7897003962 I **Gorakhpur :** Narain Tower, 2nd floor, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Uttar Pradesh 273001, Ph: 7080847474 I **Bhubaneswar :** OEU Tower, Third Floor, KIIT Road, Patia, Bhubaneswar, Odisha -751024, Ph: 9818244644/7656949029

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येय IAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 9205274741, 9205274742, 9205274744